खण्ड-290, अंक-2
मंगलवार, 5 श्रावण, शक संवत् 1893
(27 जुलाई, 1971 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 290 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय					पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	..	..	९७–१०१
प्रश्नोत्तर	..	..	..		१०१–१३१
प्रश्नों के संबन्ध में अनुरोध	..	..	..		१३१–१३२
प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष पर नियमों के उल्लंघन का आरोप				..	१३२–१४७
कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिशों को पुनर्विचार करने हेतु समिति को वापस)				..	१४७–१४८
१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन तथा अनुदान संख्या १५–पुलिस (जारी)				..	१४८–१८२
विद्यार्थियों को विद्यालयों में प्रवेश मिलन में कठिनाई होने के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना					१८२–१८३
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	..	..	..		१८३–१९०
उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति को भंग किये जाने तथा उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	..	..	..	..	१९०–२१०
ग्राम खुरमानपुर, जिला शाहजहांपुर में चरन सिंह तथा उसके साथियों द्वारा लूटमार के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा			..	..	२१०–२११
पत्रियां	..	..	..	..	२१२–२२१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक २७ जुलाई, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३८

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अमीसुर्रहमान, शेरवानी श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, दुबे श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ, दीक्षित श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री

ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थासिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, वैश्य श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री

गजेंद्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, तिवारी श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त, ओझा श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, नेगे श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणिकान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, सिंह श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेंद्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायन, त्रिवेदी श्री
तेजपाल सिंह, "कृष्ण" श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, राय श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्र सिंह कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह,श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल,
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, तिवारी श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री

फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन, सिंह श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल,श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
बजराज सिंह श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानू प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, प्रसाद तिवारी श्री
महादेव प्रसाद,श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह श्री (जिला सहारनपुर)
महिरज ध्वज सिंह, (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)

माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुशीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजा राम, श्री
राजित राम पाण्डेय, श्री
राजेंद्र किशोरी, श्रीमती
राजेंद्र कुमार शर्मा, श्री
राजेंद्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेंद्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर,सिंह श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)

रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामवचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम बिलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि ,श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री

श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छुन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टन्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री]
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनारायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीबल्लभ काण्डपाल, श्री
हरीसिंह बिष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट--सामूदायिक विकास मंत्री, श्री बल्देव सिंह आर्य तथा सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २७ जुलाई, १९७१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अन्तर

**१—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में, आज के मूल्य सूचकांक के आधार पर क्या अन्तर है? सरकार इस अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या कार्य कर रही है?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन मान अखिल भारतीय श्रमजीवी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि १९४९ में १०० के बराबर था, के आधार पर निर्धारित किए हुये हैं और इसमें हुई वृद्धि पर श्रेणी के अनुसार महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि स्वीकार की

हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन मान १९६०-६१ के मूल्य स्तर से सम्बद्ध है और महंगाई भत्ते की दरें उसके बाद हुई मूल्य स्तर में वृद्धि तथा राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। अतः मूल्य सूचकांक के आधार पर तुलनात्मक समीक्षा संभव नहीं है और वर्तमान दरों में अन्तर को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या वित्त मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह नियमों के विरुद्ध नहीं है कि आई० सी० एस० व आई० पी० एस० आफिसर्स, जिनको कि राज्य सरकार के अनुसार ही डी० ए० मिलना चाहिए था, को केन्द्रीय सरकार के अनुसार डी० ए० मिल रहा है?

वित्त, विद्युत मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं अखिल भारतीय सेवा के अपने नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के आधार पर उन्हें सेवा सुविधाएं व भत्ते आदि देने पड़ते हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

राज्य सरकार के कर्मचारियों की एक यूनियन है और एक एसोसिएशन है। क्या वित्त मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे किस को मानते हैं और उन्होंने किस की मांगों को स्वीकार किया है?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--

राज्य सरकार के कर्मचारियों की एक एसोसिएशन है और एक यूनियन है। वे किसको मानते हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जिन मांगों का सम्मानित सदस्य उल्लेख करते हैं वे दोनों की ही हैं--यूनियन की भी और फेडरेशन की भी।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

वित्त मन्त्री जी ने बताया कि सन् १९६० के प्राइस इंडेक्स के अनुसार राज्य कर्मचारियों का भत्ता निर्धारित किया गया था, इसलिए केन्द्र और राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में विषमता है। इस विषमता को दूर करने के लिए राज्य सरकार कौन से कदम उठा रही है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इसके लिए केन्द्रीय सरकार को बार-बार कहा भी है और लिखा जा रहा है कि केन्द्रीय सरकार हमारी वित्तीय सहायता करे जिससे कि असमानता दूर हो सके।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्री नारायण दत्त तिवारी जी का उत्तर सही नहीं है। आई० सी० एस० व आई० पी० एस० आफिसर्स के ग्रेड्स उत्तर प्रदेश सरकार के रूल्स के मुताबिक ही होंगे और उनके अनुसार ही उन्हें भत्ते दिये जाने चाहिए। यह नियमानुसार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जो आफिसर्स १००० रु० राज्य सेवा में वेतन पाते हैं उन्हें १०० रु० वार्षिक महंगाई भत्ता दिया जाता है, बाकी को नहीं दिया जाता है।

श्री राम गोपाल संड—

माननीय वित्त मन्त्री जी ने गलत उत्तर दे दिया है। श्री नित्यानन्द स्वामी ने कहा कि आई० सी० एस० और आई० पी० एस० आफिसर्स को महंगाई भत्ता केन्द्र की दर पर दिया जाता है। इस सम्बन्ध में उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सम्मानित सदस्य क्षमा करेंगे, कोई गलत बयानी नहीं हुई है। मैंने कहा कि आई० सी० एस० के सम्बन्ध में विशेष अधिकार हैं जोकि संविधान में लिखे हुए हैं, जिसके कारण संविधान में संशोधन होने की बात है। जहां तक वेतन भत्ते का सवाल है हमारी राज्य सरकार के १००० रुपये से ऊपर वेतन पाने वालों को १०० रु० तदर्थ महंगाई भत्ता दिया जाता है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

प्राइस इंडेक्स दिन-ब-दिन बढ़ता चला जा रहा है। इससे केन्द्रीय और राज्य कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ता जा रहा है, तो क्या राज्य सरकार ने कोई सुझाव दिया है कि प्राइस फिक्सेशन लाइन की ओर कदम उठाये जायें?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, भारत सरकार को यह सुझाव दिया गया है और यह मांग की गई है कि एक नेशनल वेज पालिसी बनावें जिसमें केन्द्र, प्रान्त और स्वायत्त शासन के कर्मचारियों को रक्खा जाय और केवल केन्द्रीय कर्मचारियों को ही न रक्खा जाय।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या आई० ए० एस० को कोई स्पेशल एलाउन्स दिया जाता है जिसको समाप्त करने की बात की जा रही है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सारे काडर को कोई स्पेशल एलाउन्स नहीं दिया जाता है। विशेष कार्य करने के लिए स्पेशल एलाउन्स दिया जाता है।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

यह जो आई० ए० एस०, आई० पी० एस० होते हैं, राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उनकी सेवा लेती है तो हमारे वेतन क्रम से सम्बन्ध रखते हैं। क्या केन्द्रीय सरकार का ऐसा आदेश है कि उनको उतना ही महंगाई भत्ता दिया जाय? इसका स्पष्टीकरण किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जो कर्मचारी या आफिसर हमारी सेवा के अन्तर्गत हैं उनके नियमों को हम बनाते हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि केन्द्र के कर्मचारी जो हैं उनके वेतन और जो राज्य के कर्मचारी हैं उनके वेतन में अन्तर है? यदि हां, तो क्या प्रान्त ऐसी स्थिति में नहीं हो पाया है कि यहां के कर्मचारियों का वेतन केन्द्र के कर्मचारियों के बराबर कर दिया जाय?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जिस मांग को पूरा करने के लिये माननीय सदस्य ने कहा है उससे प्रदेश को ५७ करोड़ ६७ लाख रुपये का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा जो कि राज्य के घाटे को देखते हुए संभव नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि यह अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी जो राज्य सरकार की सेवाओं में हैं उनको राज्य सरकार के नियमों के अनुसार भत्ता दिया जाता हैं, तो जो भत्ता आई० सी० एस० कर्मचारियों को दिया जाता है और जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिया जाता है, उसके बीच में इतने अन्तर का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो स्थिति स्पष्ट है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो आई० ए० एस० आफिसर राज्य की सेवाओं में हैं उनको महंगाई भत्ता राज्य के नियमानुसार दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने यह कहा है ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जी हां। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने किस आधार पर आई० ए० एस० के कर्मचारियों में और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में इतना बड़ा अन्तर रखा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, अखिल भारतीय सेवाओं के जो नियम हैं उनके आधार पर यह है, जहां तक भत्ते का आधार राज्य सरकार नियमित करती है। जो आई० ए० एस० और पी० सी० एस० का महंगाई भत्ता है वह प्रतिशत के आधार पर कम है। एक हजार के ऊपर १०० रु० पड़ताल है और ६०० से ९९९ के बीच १२० रु० है और जैसे-जैसे वेतन ऊंचे होते जाते हैं उनका महंगाई भत्ता कम होता जाता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित है। आपने लिखा है कि केंद्रीय सरकार को लिखा गया है कि वे हमारी सहायता करें। मैं जानना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार को कब लिखा और जो सहायता मांगी वह किस अनुपात में कितनी सहायता मांगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

किस तारीख को पत्र लिखे यह तो अभी मेरे पास नहीं है। इसके लिये सूचना चाहिये। लेकिन पिछले वर्षों में कम से कम पांच छः बार लिखा गया है और मौखिक रूप से भी बात की गयी है। एक पत्र तो हाल ही में मैंने लिखा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

किस अनुपात में सहायता मांगी है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जितना वे महंगाई भत्ता बढ़ाते हैं उतना हमने मांगा हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

एक हजार तक वेतन पाते हैं, उन्हें महंगाई भत्ता मिलता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

१०० रु० एडहाक मिलता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या वित्त मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी हाल में नयी सरकार बनने के बाद जिस समय सरकार के दंडित कर्मचारियों को बहाल किया गया उस समय यह समझौता करने की कोशिश की गयी कि हम डी० ए० की मांग स्वीकार नहीं करेंगे ? क्या यह सही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो संबंध वर्तमान सरकार के कर्मचारियों से हैं वे सौहार्दपूर्ण हैं ।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या यह सही है कि एक ही श्रेणी के भिन्न-भिन्न विभागों में काम करने वाले राजकीय कर्मचारियों के वेतन मान और महंगाई भत्ते में अन्तर है और क्या इस अन्तर को समाप्त करने की बाबत सरकार सोच रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो हो चुका ।

श्री रामलाल राही—

अभी नहीं हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां । उस पर विचार करने के लिए वेतन आयोग का गठन किया गया है और जो संस्तुति वेतन आयोग करेगा उन पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर नहीं आया ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

जब तक वहां अध्यक्ष जी आकर नहीं बैठेंगे हम कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे । आप वहां बैठ कर सारी परम्परायें तोड़ रहे हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैंने यह प्रश्न किया था कि क्या सरकार ने कर्मचारियों से यह समझौता किया था कि वे डी० ए० की बात न रखें और पांच सात दंडित कर्मचारियों को बहाल कर देंगे । इसका उत्तर दिया कि हमारे संबंध सौहार्द्रपूर्ण हैं ।

प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

आप उनसे कहें कि वे सही उत्तर दिया करें । मैं आरोप लगाता हूं कि उन्होंने कुछ कर्मचारियों को बहाल करके डी० ए० के मामले को खटाई में डाल दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसके नियमों में और रास्ते हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, आज मैंने भी जो प्रश्न पूछा था उसका सही उत्तर नहीं मिला । नित्य-प्रति यह देखने में आता है कि जो प्रश्न किया जाता है, जिस अभिप्राय से प्रश्न करता है वह आभिप्राय पूरा नहीं होता और जो उत्तर दिया है वह घुमा फिरा कर दिया जाता है । आपको इस पर ध्यान देना चाहिये । आप मंत्रियों को मजबूर करें कि वे उत्तर यदि दे सकते हों तो ठीक से दें, वरना न दें । हां या न में जवाब दें । हम लोग असहाय बैठे रहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब किसी प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं आता तो मैं दूसरा प्रश्न करने की आज्ञा दे देता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय नेता, जनसंघ ने जो कुछ कहा है वह तथ्य विहीन है ।

(व्यवधान)

लघु उद्योगों में गोलमाल के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही

**२—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग निदेशालय द्वारा की गई जांच के फल-स्वरूप लघु उद्योग को लोहा, इस्पात और कच्चा माल सप्लाई करने के संबंध में भारी गोलमाल का पता लगा है । यदि हां, तो शासन ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है एवं गोलमाल में क्या-क्या गड़बड़ियां पाई गई हैं ?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री देवकी नन्दन विभव)—

इस प्रकार की जांच गत मास में आगरा नगर में लोहा तथा इस्पात के मांग पत्र भेजने वाली इकाइयों की कराई गई । इन इकाइयों द्वारा प्रेषित लोहे तथा इस्पात के मांग पत्रों में गड़बड़ी पाई गई । औद्योगिक इकाइयों के जो मांग पत्र अनुचित पाये गये, निदेशालय के आदेश से लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश में वे सभी मांग पत्र रद्द कर दिये हैं । बन्द, प्रस्तावित तथा लापता इकाइयों की सूची बांच मैनेजर, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, कानपुर टाटा आयरन एँड स्टील कम्पनी, कानपुर तथा लघु निगम, कानपुर को इस आशय से भेज दी गई है कि इन इकाइयों को कच्चे माल की कोई भी सुविधा प्रदान न करें । उद्योग विभाग के जिन कर्मचारियों ने इन मांग पत्रों का गलत वेरीफिकेशन किया था उनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जा रही है । इस संबंध में आगरे में विस्तृत छान बीन जारी है । इन यूनिटों को प्रार्थित कच्चे माल की कोई आवश्यकता का न होना, सिर्फ व्यापारी एवं स्टाकिस्ट होना पर इनके पास कोई वर्कशाप न होना, बन्द, बोगस या लापता होना, मशीन का न होना जैसी अनियमितता पाई गई है।

श्री रामगोपाल संड—

श्रीमन्, उत्तर समझ में नहीं आया, डिप्टी मिनिस्टर साहब से पढ़वा दें।

(व्यवधान)

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

आप अपने सचिव से पढ़वा दें, उत्तर तो समझ में नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अगर शांति से सुनें तो सब समझ में आ जाये आप कृपया शांति से सुने तो ।

श्री देवकी नन्दन विभव—

आप शांत हो जाइये, चाहे फिर सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

जैसे आपने उनको छुट्टी दे दी है, वैसे इनको भी छुट्टी दे दें, यह बिलकुल काम करने के अयोग्य हैं ।

(व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी (मुख्य मंत्री)—

मान्यवर, मालूम नहीं क्यों सम्मानित विभव जी जब किसी विषय पर बोलने खड़े होते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं और शोर मचाते हैं । तो ऐसी हालत में वे और सदन उनकी बात कैसे सुन सकता है। (व्यवधान) हमारे माननीय सदस्यगण जरा शान्ति से सुनने की चेष्टा करें, उनके खड़े होते ही यदि ऐसी चर्चा चलेगी कि सुनाई न पड़े तो फिर यह कैसे चलेगा ? और फिर यह कहा जाये कि सुनाई नहीं पड़ता है । यह अनुचित बात है, जो हो चुका है, हो चुका अब कृपा करके शांतिपूर्वक सुनने की चेष्टा करें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मंत्री जी को सुनाई पड़ा है ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

माननीय वर्मा जी जरा अब शान्ति से सुनें । उनकी आज्ञा के मुताबिक मैं दुबारा पढ़े देता हूं । (मूल प्रश्न का उत्तर पुनः पढ़ा गया)

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

उद्योग विभाग के जिन अधिकारियों ने गलत और बोगस फर्मों के प्रार्थना-पत्रों का सत्यापन किया, जब इस अपराध का पता लग गया है, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे अपराधी कौन से हैं और तत्काल उनको निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

आगरा के चार इंस्पेक्टर्स और टेक्निकल आफिसर थे, इनका वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया है । जांच जारी है, जांच होने के बाद जब उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद हो जायेगी तो उनको दंडित किया जायगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय उद्योग मंत्री जी बतायेंगे कि जिन बोगस फर्म्स की जांच उन्होंने करवायी थी उनको कितने दिनों से रा-मैटीरियल का कोटा दिया जा रहा था ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

संविद काल से तो दिया ही जा रहा है, संविद की जब मिनिस्ट्री थी तब से] तो दिया ही जा] रहा है । उसकी जांच हो जाय तो फिर यह मालूम हो जायगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या यह सही है कि आगरा में जिन कर्मचारियों ने गलत सत्यापन किया, उन्होंने आगरा के वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं के कहने से ऐसा किया ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

जी नहीं। कांग्रेस का सवाल ही नहीं था। यह तो संविद काल में नियत किये गये। अगर किया गया होगा तो संविद के नेताओं से किया गया होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं प्रिविलेज का मोशन इनके खिलाफ देता हूं। यह उत्तर जो इन्होंने दिया है वह गलत है।

श्री रियासत हुसैन—

मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि कुछ वहां के कर्मचारियों ने गलत रेकमेंडेशन की, मशीनें नहीं थी, बोगस फर्म्स थीं, जब उन्होंने खुद यह कहा है तो क्या यह प्राइमाफेसी केस नहीं बन जाता है कि उन लोगों को मुअत्तल किया जाय सिर्फ ट्रांस्फर किया गया क्या यह अनुचित नहीं है?

श्री देवकीनन्दन विभव—

उनकी जांच की जा रही है। जब तक यह पूरी तरह पता न लग जाय कि इसके ऊपर बोझ आयद होता है कोई कार्यवाही करना मुनासिब नहीं है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे ही जिम्मेदारी आयद हो जायगी उस पर शीघ्र कार्यवाही की जायगी।

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

क्या माननीय उद्योग मंत्री बतायेंगे कि कानपुर में उद्योग विकास के अधिकारियों के द्वारा तथा हिन्दुस्तान रटील के अधिकारियों के द्वारा कई साल्वों से जो बन्द मिलें पड़ी हुई हैं उनको लोहे का कोटा दिया जा रहा है?

श्री देवकीनन्दन विभव—

यह तो अगर माननीय सदस्य महोदय इसकी सूचना देंगे तो इस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या उद्योग मन्त्री जी जांच करायेंगे कि जिन इकाइयों को कच्चे माल का लाइसेंस दिया गया है उनसे उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है या नहीं और यदि प्राप्त हो गया है तो जितना उन्होंने कच्चे माल से उत्पादन किया है उस पर सेल्स टैक्स अदा किया है या नहीं?

श्री देवकीनन्दन विभव—

जब जांच की जाती है तो माननीय सदस्य ने जो अभी प्वाइंट बतलाये हैं उन सब पर विचार किया जाता है और उसके बाद निर्णय किया जाता है कि उनकी मांग बोगस थी या सही थी?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं माननीय उद्योग मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो गड़बड़ी हुई, जहां माननीय राज्य मंत्री जी रहते हैं उसी शहर में हुई या किसी और शहर में हुई, इसके अलावा गोलमाल कब हुआ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

कुछ गोलमाल तो सभी जगह है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं विशेषाधिकार की सूचना देता हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि केवल एक जगह गोलमाल हुआ, अभी उन्होंने कहा कि सब जगह हुआ। गलत उत्तर दिया गया। मैं विशेषाधिकार की सूचना देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न में लिखित सभी गड़बड़ियों को माना है तो क्या बुरा किया है । वह स्वयं मान चुके हैं इसलिये विशेषाधिकार का सवाल नहीं उठता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

बाकी गड़बड़ियों को उन्होंने छिपाया है पहले उत्तर में ।

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के खड़े होने पर) प्रश्न और उत्तर दोनों पढ़ लें, माधवप्रसाद जी, और आश्वस्त हो जायं कि प्रश्न के वांछित उत्तर से जो उत्तर दिया गया है वह मिलता है । इसमें विशेषाधिकार का सवाल नहीं उठता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैंने यह प्रश्न किया था जिसके दो अंश थे । पहला अंश यह था क्या यह गड़बड़ी उस जिले में हुई जिसमें राज्य मंत्री जी रहते हैं तो उसका उत्तर यह दिया गया कि आपकी जानकारी में यह गड़बड़ी और जगहों पर भी है । प्रश्न का दूसरा अंश यह था कि यह गड़बड़ी किस पीरियड में हुई यानी किस वर्ष और उसके किस माह में हुई जिसका उत्तर नहीं दिया गया ?

श्री देवकीनन्दन विभव---

मेरी जानकारी में जैसे ही यह बात आई तो सबसे पहले जरूरी यह था कि मैं अपने शहर में देखता कि कहां गड़बड़ी है और मैं उसे अपने शहर में ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मेरा प्रश्न यह था कि कौन सा पीरियड था ?

श्री कृष्णकांत अवस्थी (जिला सीतापुर)---

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो गड़बड़ियां हुई उनकी सूचना शासन को कब प्राप्त हुई ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अध्यक्ष महोदय, माधव बाबू की तरफ से सवाल जो हुआ उसका उत्तर पहले आना चाहिये था । उनका उत्तर जानबूझ कर नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पहले उत्तर का दूसरा प्रश्न काट है ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं कृष्णकांत जी का नाम पुकार चुका हूं ।

श्री देवकी नन्दन विभव---

मेरी सूचना यह है कि ये गड़बड़ियां पहले से चली आ रही थीं । (शोरगुल)।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मालूम होता है कि गड़बड़ी काफी दिनों से है । अब उसे माननीय मंत्री देख रहे हैं । अपने शहर से ही उन्होंने शुरू किया है । यह गड़बड़ी काफी दिनों से है । अब

संविद के जमाने से अथवा किसके जमाने से यह तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि पूरी रिपोर्ट सामने न आ जाय । जब उनको जानकारी हुई कि गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच पड़ताल चल रही है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वह वकालत फर्स्ट क्लास करते हैं । मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि गड़बड़ी संविद काल में हुई तो मुख्य मंत्री जी ने सही उत्तर दे कर उसे सही कर दिया ।

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो यह कहा कि यह गड़बड़ी संविद सरकार के जमाने से चल रही है तो उनका ऐसा उत्तर देने का आधार क्या था ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

मैंने यह कहा था कि संविद के जमाने में भी यह गड़बड़ी चल रही थी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

एक और गलतबयानी हो गई ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उन्होंने जो यह कहा कि यह गड़बड़ी काफी दिनों से चल रही है तो काफी दिनों में संविद भी थी और आज भी वह गड़बड़ी है । अभी उसकी जांच पड़ताल हो रही है और गड़बड़ी काफी दिनों से चली आ रही है । अब इसमें किस बात की परेशानी है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुख्य मंत्री जी अपने आर्ग्युमेन्ट से रफू कर देते हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं रफू नहीं कर रहा हूं । वास्तविकता की ओर माननीय सदन क ध्यान दिला रहा हूं । कल से यह गड़बड़ी शुरू नहीं हुई और उन्होंने भी यही कहा कि पुराने जमाने से यहां गड़बड़ी चली आ रही है और उस जमाने में संविद भी रही है और संविद के पहले भी यह गड़बड़ी रही होगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं करेक्ट करना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि संविद के काल में यह गड़बड़ी हुई है...

श्री कमलापति त्रिपाठी—

हर मामले में आप अगर बेकार प्रश्न करेंगे, मुझे माफ कीजिएगा, तो उसका उत्तर भी वैसे ही दिया जायगा । उन्होंने कहा कि संविद के जमाने में भी हुई । यह नहीं कहा कि संविद के जमाने में की गई यह गड़बड़ी ।...(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आप रिकार्ड दिखवा लें और उसके बाद बतायें कि उन्होंने क्या कहा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस मामले में वास्तविकता क्या है यह तो जांच रिपोर्ट आने पर पता लगेगा कि कल हुई है या उससे पहले हो गई थी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है कि मैंने एक प्रश्न पूछा और आपने मुझे बोलने की आज्ञा भी दी। मैंने यह पूछा था कि यह गड़बड़ी कब से है तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बेकार का प्रश्न पूछते हैं तो वैसा ही उत्तर दिया जायेगा। तो इस संबंध में मैं बड़ी विनम्रता के साथ खेद पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि क्या मेरा यह प्रश्न बेकार का था ? ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो यह शब्द "बेकार" का उठा दिया है तो क्या अब आप यह पूछना चाहते हैं कि यह संसदीय है या असन्सदीय है ? यह औचित्य का प्रश्न हो सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आगरे के बारे में बनारस की राय को तरजीह देनी चाहिए ? और क्या आप बता सकेंगे कि क्यों आप इस मामले को पुलिस के हवाले कर रहे हैं ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

अब जो जांच हो रही है उसकी रिपोर्ट सामने आ जाय और यह मालूम हो जाय कि कबसे यह गड़बड़ी चल रही है और यदि उसमें कोई गंभीरता पायी जायेगी तो मामले को पुलिस को दिया जायगा।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कई वर्षों से यह गड़बड़ी बताई गई है कि कोटे और लाइसेन्स के सिस्टम में भ्रष्टाचार हुआ है जो कि एक क्वालिफिकेशन है, तो क्या माननीय मंत्री जी कोटे और लाइसेंस को खत्म करने का वे कोई निश्चय लेंगे ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

इस पर विचार किया जा रहा है। जो रा-मैटीरियल के सम्बन्ध में हमारी कठिनाइयां है वे किस तरह से दूर हों और उनका किस तरह से बराबर यूटलाइजेशन हो, इन सारी समस्याओं पर सरकार विचार कर रही है—

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि क्या सरकार कोटे और लाइसेंस के सिस्टम को खत्म करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि जांच के बाद उनको सस्पेन्ड करने की कार्यवाही की जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जांच के बाद तो जुर्म और अन्य दण्ड दिए जाते हैं किन्तु जांच के पहले मुअत्तल करने का नियम है। तो क्या माननीय मंत्री जी जिन कर्मचारियों ने गड़बड़ी की है, उनको मुअत्तल करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रश्न का उत्तर आ गया ।

श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस गड़बड़ी की कार्यवाही वे केवल कर्मचारियों के ऊपर तक ही सीमित रखेंगे अथवा उनके ऊपर भी यह कार्यवाही की जायेगी जिन्होंने गलत कोटे और लाइसेंस जारी किए हैं ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

यह हिदायतें जारी की गई हैं कि उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाय और यदि आवश्यकता पड़ी तो वैसा भी किया जायगा ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

वे कितने प्रार्थना-पत्र हैं और कितनी फर्म्स से संबंधित हैं और शासन को किस तिथि को आया कि ये फर्म बोगस हैं या बन्द हैं ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

यह तो बहुत विस्तार का प्रश्न है । सूचना की आवश्यकता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इस प्रश्न के सम्बन्ध में जितने उत्तर आये हैं उनसे पता चलता है कि सारे प्रदेश में रा-मैटीरियल्स और इन सब बीजों के बारे में गड़बड़ी थी और बहुत से बोगस फर्म्स थे जिनके बारे में पता लगाने से पता चलता है कि सारी स्टेट को उससे हानि हुई तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी रा-मैटीरियल मंगाने वाले सभी फर्मों का समाधान करेंगे जिससे पता चल जाय कि कौन बोगस है और कौन सही है ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

ये आदेश जारी कर दिये गये हैं कि जिलाधिकारी एक सूची बनाकर दें कि कौन सी ऐसी इकाइयां हैं जो पूरी तरह से काम कर रही हैं और कितनी थोड़े दिनों से काम करती है और कितनी बन्द पड़ी हैं और ३१ अगस्त तक का समय दिया गया है कि उसके बाद यदि कोई बोगस इकाई पायी जायगी तो उसकी पूरी और सीधी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों पर रक्खी जायगी ।

श्री मैनजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी बतायें कि बोगस जो फर्म हैं उनके नाम क्या हैं और जो उनके पार्टनर्स हैं उनके नाम क्या हैं ?

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

इस पर चर्चा करा दें ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

मैं इस पर नियम ४६ के अन्तर्गत चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

लिख कर दे दें ।

मैनेजर सिंह—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

श्री उपाध्यक्ष—

वैसे यह तफसील का सवाल है, वह बता सकें तो बता दें उद्योग मंत्री जी ।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)

व्यवस्था का प्रश्न है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पाता । अगर आप सिर्फ कहने के लिए ही कह रहे हैं .... ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय सदस्य भी आगरे के हैं ।

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या अभी तक यह सुनिश्चित हो पाया है कि कच्चे माल की दरखवास्तें.....

श्री मैनेजर सिंह—

यह आपका कर्त्तव्य है कि आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाएं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अपना कर्त्तव्य जानता हूं लेकिन उसमें रुकावट आ जाती है । श्री परिहार ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया और वह फिर समझ में नहीं आया । माननीय उद्योग मंत्री यदि उत्तर दे सकते हैं तो दे दें ।

श्री देवकीनन्दन विभव—

प्रश्न बहुत विस्तृत है । इसकी सूचना भी पूरी नहीं आ पाई है । इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर माननीय सदस्य भी अगर और सूचना दे देंगे तो सूचना शीघ्र इकट्ठा हो सकेगी।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री जी ने उत्तर दिया कि कुछ फर्म बोगस है, यह उनको मालूम हो चुका है । इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों को मुअत्तिल किया है । मैं पूछना चाहता हूं कि बोगस फर्म कौन-कौन सी हैं । इसमें तफसील का कोई सवाल ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सवाल बहुत विस्तृत है, अपनी जानकारी के आधार पर आप जितनी सूचना दे सकते हैं, दे दें ।

श्री देवकीनन्दन विभव—

आगरा में ११६ इकाइयां ऐसी पायी गयीं जिन्होंने, जो काम वह करती थीं, उसके अतिरिक्त मांग का इंडेन्ट भेजा, २४ इकाइयां ऐसी पायी गई जो केवल स्टाकिस्ट या व्यापारी थे, उनका कारखाना नहीं था, लेकिन फिर भी मांग भेजी थी । ५८ बोगस या लापता फर्म पायी गयीं । १३ इकाइयां ऐसी थीं जिन्होंने ऐसी वस्तुओं की मांग की थी, जिनका प्रयोग आदि करने के लिए उनके पास कोई मशीन आदि नहीं थी ।

इसके अतिरिक्त भी जांच जारी है । पूरी जांच हो जाने के बाद आप जो भी जानकारी चाहेंगे, वह आपको बता दी जायेगी ।

श्री शिवराज सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन तमाम बोगस इकाइयों को सामूहिक रूप से कितना कच्चा माल वर्तमान अवस्था में दिया जा रहा है ?

श्री देवकीनन्दन विभव---

इधर दो माह से कोई कच्चा माल नहीं दिया जा रहा है। पहले कितना कच्चा माल दिया गया, इसके लिए बहुत बड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा, जिसमें काफी समय लगेगा।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

गड़बड़ी करने के कारण किन-किन फर्मों के लाइसेंस कैंसिल किए गए ?

श्री देवकीनन्दन विभव---

जी हां, कैंसिल किए। अभी तो संख्या बतायी गयी। इसकी सूचना हमने सब जगह दे दी है कि अब उन फर्मों को कच्चा माल तथा और सुविधा न दी जाय।

श्री महीलाल---

श्रीमन्, मैं नियम ४६ के अन्दर लिखकर भेज दूंगा, आप उसकी इजाजत दे दीजिये

श्री अनन्तराम जायस वाल---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या अभी तक यह सुनिश्चित हो पाया है या नहीं कि फर्म बोगस है। यदि हां, तो किस बोगस फर्म की दरख्वास्त किस कर्मचारी या अधिकारी ने तसदीक की ?

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)---

इसके अतिरिक्त और भी प्रश्न है मेरा यह निवेदन है आपसे।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर आप किसी विषय में बहुत दिलचस्पी रखते हों और मैं आगे चला जाता हूं तो आप कहेंगे कि आगे चले गये।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, आपने मेरे प्रश्न को एलाउ कर दिया था। मैं फिर सबको दोहराए देता हूं। क्या अभी तक यह सुनिश्चित हो पाया है या नहीं कि किस बोगस फर्म की कच्चे माल की दरख्वास्त की तसदीक किस अधिकारी या कर्मचारी ने की और अगर यह सुनिश्चित हो गया है है तो सरकार ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री देवकीनन्दन विभव---

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इसकी जांच की रिपोर्ट हमारे पास आनी है और उस पर विचार होना है।

श्री कृष्ण स्वरूप वश्य---

इन बोगस फर्म्स का पता शासन को किस तिथि को लगा और आगरे में अब इसकी सारी जांच पड़ताल कौन अधिकारी कर रहा है और जिन चार इंसपेक्टर्स का ट्रांसफर किया गया है उनके नाम क्या हैं ?

श्री देवकीनन्दन विभव---

बरेली क्षेत्र के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं कुंवर सिंह जी उनकी अध्यक्षता में कुछ सेक्शन के अधिकारी हैं वे इन्क्वायरी कर रहे है और उनकी रिपोर्ट शीघ्र ही आने वाली है।

श्री उपाध्यक्ष---

तारांकित प्रश्न संख्या १, श्री हबीबुर्रहमान ।

कृष्ण स्वरूप वैश्य---

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। मैंने यह जानना चाहा था कि यह किस तिथि को पता चला ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नगरपालिका, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ के सदस्यों एवं चेयरमैन का चुनाव

*१- -श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार को मालूम है कि नगर पालिका, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ के सदस्यों का चुनाव शान्तिपूर्वक संपन्न हो गया है और अब नये बोर्ड के चेयरमैन के चुनने के लिए २२ जून,१९७१ मतदान की तिथि निश्चित है क्या यह सही है कि सरकार नगरपालिका मऊनाथ भंजन को सुपरसीड करने जा रही है ? यदि हां, तो नये चुनाव के बाद ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

राज्य गुप्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)---

जी हां, नगरपालिका मऊनाथ भंजन के सदस्यों तथा अध्यक्ष पद का निर्वाचन क्रमशः दिनांक ३० मई, १९७१ तथा २२ जून, १९७१ को शान्तिपूर्वक संपन्न हो गया है। उक्त बोर्ड के प्रवक्रमण संबंधी कार्यवाही को समाप्त किया जा चुका है ।

श्री हबीबुर्रहमान---

अब क्रमण संबंधी जो कार्यवाही चल रही थी उस सिलसिले में जो जांच की गयी थी कि चेयरमैन के खिलाफ---जो अब भूतपूर्व चेयरमैन हो गये हैं---बहुत से गंभीर आरोप लगाये गये थे, तो क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है या नहीं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

भूतपूर्व चेयरमैन के विरुद्ध जो आरोप थे उनकी जांच की गई और जांच के बाद पहला कार्य तो यही होता था कि बोर्ड को सुपरसीड किया जाता, किन्तु नया चुनाव हो गया इसलिये बोर्ड को सुपरसीड नहीं किया गया और उनको अवसर दिया गया है कि वह अपने कार्य को सुधारें ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी जरा उन आरोपों पर प्रकाश डालेंगे ? अगर उन्होंने गबन किया या बोर्ड की आर्थिक स्थिति को क्षति पहुंचाई तो भले ही बोर्ड का नया चुनाव हो गया हो, क्यों न बोर्ड की क्षति को उनसे निकालने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाय ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

तीन आरोप थे। जिसमें एक यह भी आरोप है कि जो कर्जा बोर्ड ने लिया उसकी अदायगी नहीं हो सकी तथा जो संचित निधि कर्मचारियों की थी उसे दूसरे कार्यों में खर्च किया गया। कोई आरोप व्यक्तिगत अर्थ तक नहीं प्रमाणित हो पाया है जिसमें भूतपूर्व अध्यक्ष ने कोई गबन

किया हो। अगर माननीय सदस्य इस संबंध में कोई जानकारी देंगे तो अवश्य उसकी जांच करायी जायेगी।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

किसी नगरपालिका को उसकी अनियमितताओं के लिये या उसकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण यदि सुपरसीड करने का नोटिस दे दिया गया हो, उसका कार्यकाल भी समाप्त हो गया हो तो नगरपालिका के चेयरमैन और उसके बदल जाने से वह सुपरसेशन नोटिस कैसे समाप्त हो जायगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

किसी भी निकाय को सुपरसीड करने से पहले यह देखा जाता है कि वास्तव में जो आरोप हैं वे कहां तक ऐसे हैं कि जिनका सुधार नहीं किया जा सकता। जो तथ्य जानकारी में आये हैं उनमें ऋण का अदा न होना और प्राविडेन्ट फण्ड के रुपयों को दूसरे कामों में लगाने के आरोप अब यह आशा की जाती थी कि दूसरी कोई आयेगी तो उस ऋण की अदायगी करेंगे और जो अनियमिततायें हैं उनको सुधारेगी। उसके लिए थोड़ा समय दिया गया है। यदि उसको नहीं सुधारा तो निश्चय ही उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और बोर्ड को सुपरसीड किया जायगा।

श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नये चुनाव में चूंकि शासक वर्ग का बहुमत आ गया इसलिए उसको सुपरसीड नहीं किया जा रहा है यही कारण है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह तथ्य से परे है। इस समय जो बोर्ड के अध्यक्ष होने जा रहे हैं वह उधर बैठने वाले लोगों से ज्यादा संबंधित है इधर नहीं।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या माननीय स्वशासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन से स्थानीय निकाय सुपरसीड किए जाए यह निर्णय करने के लिए, जिससे राजनैतिक बाधा उपस्थिन न हो हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल की स्थापना करेंगे जो यह निर्णय करे कि कौन सी नगरपालिका सुपरसीड करने के योग्य है ? उसमें मंत्रिगण की ओर से हस्तक्षेप करने की बाधा नहीं होगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

ऐसा नहीं है कि कोई भी मंत्री किसी भी स्थानीय निकाय के संबंध में स्वयं निर्णय ले। मंत्री जब निर्णय लेता है तब वह अपने न्याय विभाग से जानकारी प्राप्त कर लेता है। जब वह पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है तब उस पर कार्यवाही की जाती है। किसी राजनीति का इसमें प्रश्न नहीं है। न इस सरकार ने कोई बोर्ड इस तरह से सुपरसीड किया है और न भविष्य में किया जायगा। कोई भी बोर्ड तभी सुपरसीड किया जात है जब वास्तव में उसके विरुद्ध ऐसे आरोप होते हैं कि जिनसे उसका सुपरसीड होना आवश्यक है।

श्री राममूर्ति अंवल—

श्रीमन्, चूंकि यह प्रश्न बहुत महत्व का है और अब १२ बज चुका है और अभी इसका उत्तर समाप्त हुआ है यदि आप इसके लिए १५ मिनट आज बढ़ा सकें तो बढ़ा दें अन्यथा आप कल के लिए इसे स्थगित कर दें.....

श्री उपाध्यक्ष---

अब प्रश्न का समय नहीं बढ़ेगा (व्यवधान)

श्री राममूर्ति 'अंचल'---

मेरा श्रीमन् से निवेदन है कि जो हमारी प्रक्रिया नियमावली है उसको दृष्टिकोण में रखकर इसको अ प कल के लिए स्थगित कर दें ताकि इस पर सदन में सप्लीमेन्टरीज हो सकें, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष---

इसका बहुत लम्बा चौंड़ा उत्तर विस्तार से दे दिया गया है, स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है। (घोर व्यवधान)

यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा अनियमित नियुक्तियां

*२---श्री राममूर्ति 'अंचल'---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर के आदेश संख्या ४४५-ई० एस० टी० टी०-७०, दिनांक १२ जून, १९७० के द्वारा श्री आर० एस० यादव की नियुक्ति सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर की गई जिस पद का उस समय तक सृजन निदेशक मंडल द्वारा नहीं हुआ था और न ग्रेड की ही स्वीकृति हुई थी तदुपरान्त उक्त मैनेजिंग डायरेक्टर के आदेश संख्या ५७८१/७०, दिनांक २३ जनवरी, १९७१ द्वारा श्री यादव को स्थायी कर दिया गया । इस नियुक्ति तथा स्थायीकरण पद के सृजन और ग्रेड के लिये कारपोरेशन के निदेशक मंडल की स्वीकृति क्यों नहीं प्राप्त की गई ? क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि उक्त मैनेजिंग डायरेक्टर ने १ अप्रैल, १९७० से ३१ मई, १९७१ तक किन-किन पदों पर कितनी-कितनी नियुक्तियां की जिनमें निदेशक मंडल की स्वीकृति नहीं ली गई ? क्या सरकार अनियमित नियुक्तियों को तुरन्त रद्द करने की कृपा करेगी ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)---

यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर के आदेश संख्या ४४५,ई० एस० टी०/७० दिनांक १२ जून, १९७० द्वारा श्री आर० एस० यादव की नियुक्ति सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर की गई । प्रोजेक्ट इंजीनियर (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) का एक पद ७५०,१४०० के वेतन-क्रम में निगम के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत था । कतिपय प्रशासकीय कारणवश इसका पदनाम बदल कर सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर कर दिया गया था । श्री यादव की नियुक्ति इस पद पर की गई । वास्तव में अनियमितता केवल इतनी है कि पदनाम बदलने के लिये निगम के निदेशक मंडल की स्वीकृति न प्राप्त की जा सकी ।

तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर के आदेश संख्या ५७८१/७० दिनांक २३ जनवरी, १९७१ द्वारा श्री यादव के स्थायीकरण के आदेश जारी नहीं किये गये । श्री यादव की नियुक्ति निदेशक मंडल के आदेश द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा की गई । जहां तक स्थायीकरण का प्रश्न है इस संबंध में औपचारिक आदेश नहीं किये गये हैं । इसे निदेशक मंडल के समक्ष रखा जायगा ।

तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर ने १ अप्रैल, १९७० से ३१ मई, १९७१ तक निदेशक मंडल की स्वीकृति प्राप्त किये बिना जिन पदों पर नियुक्तियां की उनका विवरण निम्न प्रकार है:

पद का नाम			संख्या	वेतन-क्रम रु०
सीनियर सिविल इंजीनियर	..	..	एक	६००,१२५०
स्टोर आफिसर	..	..	एक	३५०,५५०
ओवरसियर	..	..	दो	१७५,३००
सीनियर एकाउन्टेंट	..	..	एक	३५०,५५०
फूड टेक्नोलोजिस्ट	..	..	एक	२००,४५०

इन अनियमित नियुक्तियों को विनियमित करने का अधिकार निगम के निदेशक मंडल को है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जूनियर सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन का उच्च वेतन-क्रम में कार्य करना

*१—श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि कुछ जूनियर सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन ज्येष्ठ सहायक विकास अधिकारी पशुपालन से उच्च वेतन-क्रम में कार्यरत हैं ? जब कि उनकी शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षण काल एवं कार्य समान है ? यदि हां, तो क्यों और कितने जूनियर सहायक विकास अधिकारी पशु-पालन उच्च वेतन क्रम में कब से कार्यरत हैं ?

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*२—श्री गोपाल दत्त ओझा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सहारनपुर शहर में हुए रेडक्रास मेले में हुई आमदनी तथा व्यय

*३—श्री राम सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहारनपुर शहर में जो रेडक्रास का मेला हाल में सम्पन्न हुआ उसमें टिकटों की बिक्री सहित कुल कितनी आमदनी हुई और कुल कितना व्यय हुआ ? क्या यह सही है कि जो टिकट विभिन्न व्यक्तियों तथा एजेंसियों द्वारा बेंचे गये हैं उन्होंने अभी तक न तो बचे हुये टिकट ही वापस किये और न हिसाब दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)—

सहारनपुर जिले के रेडक्रास मेले में टिकटों की बिक्री सहित कुल रु० ५१,८४०-०६ पैसे की आय हुई तथा रु० ९,०४०-५३ पैसे का मेले पर व्यय हुआ। इस समय किसी भी व्यक्ति पर टिकटों आदि का कोई हिसाब बकाया नहीं है और न किसी को बचे हुए टिकट ही वापस करना है।

नोट—नियम २९ (४) के अन्तर्गत पूछे गये तारांकित प्रश्न २ के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

घुमेटीधार टेहरी गढ़वाल में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का भवन निर्माण

*४--श्री इंद्रमणी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, घुमेटीधार कब आरम्भ हुआ तथा इतने लम्बे समय के बाद भी चिकित्सा केंद्र का भवन निर्माण क्यों नहीं हुआ ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

घुमेटीधार में एक राजकीय चिकित्सालय पहले ही से चल रहा था । वर्ष १९५२-५३ में इस चिकित्सालय को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया । १० सितम्बर, १९५९ को इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ग्राम पिलखी स्थानान्तरित कर दिया गया, इसी कारण घुमेटीधार में भवन का निर्माण नहीं हुआ ।

धानी बाजार में पक्की नाली के निर्माणार्थ क्षेत्र समिति का कथित प्रस्ताव

*५--श्रीमती प्यारी देवी (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २० जनवरी, १९६६ को धानी बाजार में पानी के बहाव के लिये पक्की-नालो के निर्माण के लिये क्षेत्र समिति धानी ने प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बल्देल सिंह आर्य)--

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सामुदायिक विकास विभाग में नहीं भेजा गया है, दिनांक २०-१-६६ को क्षेत्र समिति धानी की कोई बैठक नहीं हुई थी ।

बृजमनगंज, जिला गोरखपुर में वाटर सप्लाई योजना

*६--श्रीमती प्यारी देवी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ११ जनवरी, १९६८ को गोरखपुर जिले के धानी बाजार क्षेत्र समिति ने बृजमनगंज में वाटर सप्लाई योजना लागू करने की सर्वसम्मति से सिफारिश की थी ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां ।

इस प्रस्ताव पर पहले कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। वर्तमान खंड विकास अधिकारी, धानी ने अपने पत्र संख्या २७०/प्रस्ताव/७१-७२ दिनांक जुलाई,१७,१९७१ के द्वारा उक्त प्रस्ताव की प्रतिलिपि स्वायत्त शासन (अभियंत्रण) विभाग को भेजी है ।

जिला आगरा में फतेहाबाद अस्पताल के लिये दवाई की व्यवस्था

*७--श्री हुकुम सिंह परिहार--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा में फतेहाबाद के अस्पताल में मरीजों के लिये दवाओं की बहुत कम व्यवस्था है उसे बढ़ाकर दवाओं का अच्छा स्टाक कायम करने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

फतेहाबाद अस्पताल जिला परिषद् आगरा द्वारा चलाया जा रहा है । चूंकि अस्पताल सरकारी नहीं है। अतः शासन द्वारा दवायें दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

बेलघाट ब्लाक (जिला गोरखपुर) में पंचायत भवन निर्माण के लिए ग्राम सभाओं को अनुदान

*८--श्री रामपति (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि गोरखपुर जिला के बेलघाट ब्लाक में पंचायत भवन बनाने के लिये अनुदान में रुपये दिये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन ग्राम सभाओं को कितना-कितना रुपया दिया गया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां गोरखपुर जिले के बेलघाट ब्लाक के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्राम सभाओं को उनके समक्ष दर्शायी गई धनराशि पंचायत भवन हेतु अनुदान के रूपमें दी गई:--

गांव सभा का नाम	धन जो दिया गया (रु०)
१--आशापार	१५००-००
२--बेलघाट	२०००-००
३--मुरारपुर	१५००-००
४--एकौना खुर्द	२०००-००
५--अराव जगदीश	१०००-००
६- श्री दूधरा	१७००-००

*९--श्री रामपति--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त सभी इमारतें मुकम्मल बनकर कन्फर्म हो गई? यदि नहीं, तो कहां-कहां की अपूर्ण हैं और इनके लिये क्या कार्यवाही चल रही है? क्या सरकार अपूर्ण इमारतों का सम्पूर्ण अनुदान वापस लेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

उपरोक्त में से १ से ५ तक की सभी इमारतें बनाई हैं। केवल ६ पर अंकित दूधरा ग्राम सभा का पंचायत घर अधूरा है। प्रधान दूधरा को दिया गया समस्त अनुदान १७००-०० वापस करा लिया गया है।

फर्रुखाबाद जिले में जिला परिषदों के अस्पतालों का प्राइमरी हेल्थ सेंटर में परिवर्तन

*१०--श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में कुछ जिला परिषदों के अस्पतालों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूप में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति फर्रुखाबाद की ओर से ६ माह के अन्दर प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस प्रस्ताव में किन-किन अस्पतालों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूप में बदलने की मांग की गई है और कब तक उन पर कार्यवाही की जायेगी?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

फर्रुखाबाद जिले में जिला परिषद् के अस्पतालों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूप में परिवर्तित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

[illegible]नगरपालिका, मुरादाबाद के कर्मचारियों का निलम्बन

*११--श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी सन् १९६७ से ३१ मार्च, १९७१ तक की अवधि में नगरपालिका मुरादाबाद ने किन-किन कर्मचारियों को निलम्बित किया है ? और वे कर्मचारी कितने-कितने समय तक निलम्बित रहे और उनके नाम क्या हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

वांछित विवरण सूची 'क' में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१२ पर)

*१२--श्री नौनिहाल सिंह--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जो कर्मचारी इस समय तक भी निलम्बित हैं उनके मामले किस स्थिति में विचाराधीन हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

वांछित विवरण सूची 'ख' में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१६ पर)

तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[८वें मंगलवार के लिये प्रश्न सं० ८-९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३-४--श्री राम गोपाल संड--

[निरस्त]

*५-६--श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह--

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

[illegible]गौरा पड़ाव (धौराखेड़ा) तथा अन्य ट्यूववैल पेयजल योजनाएं

*७--श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)--

विधान सभा की बैठक दिनांक ६ मई, १९७० ई० की नत्थी (ग) में प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के क्रम पर क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गौरा पड़ाव ट्यूबवेल पेयजल योजना जो धौराखेड़ा ग्राम समूह योजना के नाम से मंजूर हुई है, इसमें अब तक किन-किन ग्रामों को पेयजल की पाइप लाइनें दी गई हैं ? इसमें और कितने ग्रामों को दी जानी अवशेष हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

धौरा खेड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित सभी ग्रामों में पाइप लाइन बिछायी जा चुकी है । इन ग्रामों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २१७ पर)

*८—श्री इन्द्रलाल—

क्या मंत्री यह बतायेंगे कि गौरा पड़ाव ट्यूबवेल के अतिरिक्त वह कौन-कौन से ट्यूबवेल इस क्षेत्र में मौजूद हैं जिनको पेयजल के लिये कार्यान्वित किये जाने की योजना विभाग बना रहा है ?

श्री धर्म दत्त वैद्य—

गोरापड़ाव ट्यूबवेल के अतिरिक्त ग्राम हल्दूचौड तथा ग्राम तेजपुर नेगी में सिंचाई विभाग के दो नलकूप और हैं जिनसे पानी ले कर स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा पेयजल योजनायें बनाई जा रही है।

उपनिदेशक, पशु पालन लखनऊ मण्डल, द्वारा दवाइयों तथा अन्य जरूरी सामान की खरीद

*९—श्री राम लाल राही—

क्या पशुपालन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६८–६९, १९६९–७० तथा १९७०–७१ के लिये निदेशक, पशु-पालन विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश तथा उप-निदेशक, पशु-पालन मन्डल, लखनऊ ने आल इन वन ट्रेडर्स तथा वी० एम०ब्रदर्स खन्डेलवाल एन्ड कम्पनी (सभी लखनऊ की फर्मों) से दवाइयां या पशुपालन विभाग के लिये अन्य जरूरी सामान खरीदा ? यदि हां, तो टेन्डर के द्वारा या अन्य किसी विधि से तथा प्रत्येक वर्ष में कुल कितने का सामान फर्मों से लिया गया ?

डाक्टर सीता राम—

वर्ष १९६८–६९, १९६९–७० तथा १९७०–७१ में केवल उप निदेशक, पशु पालन मण्डल, लखनऊ द्वारा मेसर्स आल इन वन ट्रेडर्स लखनऊ तथा मेसर्स जी० सी० खण्डेलवाल एण्ड कम्पनी लखनऊ से दवाइयां तथा अन्य जरूरी समान टेन्डर/कोटेशन द्वारा खरीदा गया जिसका ब्योरा संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २१८ पर ।)

गोरखपुर में महिलाओं की चिकित्सा का अभाव

*१०—श्री राम लगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के हेडक्वार्टर गोरखपुर से लगभग ९० किलोमीटर उत्तर की दूरी में महिलाओं की चिकित्सा का कोई प्रबन्ध अब तक नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो इस कमी की पूर्ति के संबंध में सरकार का विचार क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह सही नहीं है कि गोरखपुर से ९० किलोमीटर उत्तर की दूरी तक महिलाओं की चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है।

*११—श्री राम लगन दुबे—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को इस बात की भी जानकारी है कि गोरखपुर से लगभग ८५ किलोमीटर उत्तर प्रदेश स्थित नौतनवां बाजार में लगभग चौदह, पन्द्रह वर्ष पूर्व एक स्थानीय व्यवसायी के द्वारा एक लेडीज अस्पताल का निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या विभाग इसके लिये उपयुक्त लेडी डाक्टर और अन्य आवश्यक प्रबन्ध करने का कष्ट करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। उक्त भवन में जिला परिषद्, गोरखपुर द्वारा एक महिला अस्पताल चलाया जा रहा है। चूंकि यह अस्पताल जिला परिषद् का है। अतः शासन द्वारा लेडी डाक्टर तथा दूसरे प्रबन्ध किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

मलेरिया उन्मूलन तथा मेन्टीनेंस पर व्यय

*१२—श्री राम करन, श्री सुखपाल पान्डेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३–६४ में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार का वार्षिक व्यय कर्मचारियों के वेतन में कितना होता था और सन् १९७०–७१ में कर्मचारियों के वेतन मलेरिया उन्मूलन तथा मेंटेन्स पर कितना व्यय हुआ ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सन् १९६३–६४ में कर्मचारियों के वेतन में रुपये १,०७,१२,८४२ व्यय हुये।

वर्ष १९७०–७१ में मलेरिया उन्मूलन तथा मलेरिया मेन्टीनेन्स में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में क्रमशः रुपये ५२,८१,०५९ तथा रु० ७२,६३,९५७ व्यय हुये।

१९६९–७० के कृषि विभाग के फार्मों के आय-व्यय के आंकड़े

*१३—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

विधान सभा के सन् १९७० के प्रथम सत्र के ६वें मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ४२ के उत्तर के संबंध में क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि संबंधित कृषि फार्मों का कृषि वर्ष १९६९–७० का आय-व्यय के आंकड़े उपलब्ध हो गये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। वर्ष १९६९–७० के कृषि विभाग के फार्मों के व्यय के आंकड़े †प्रदर्श १ तथा २ में दिये हुये हैं।

*१४–१५—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

*१६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[४थे सोमवार में प्रश्न संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

झांसी, आगरा व गाजीपुर में शुष्क कृषि योजना

*१७—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी,आगरा व गाजीपुर में शुष्क कृषि योजना जो चालू की गई है उसमें कितना धन खर्च होगा और कितने एकड़ जमीन पर यह योजना चालू की गई है ?

डाक्टर सीताराम—

केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरोनिधानित शुष्क खेती की अग्रगामी परियोजना झांसी जिले में वर्ष १९७०–७१ से चालू की गई है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में इस परियोजना के अन्तर्गत ८,००० एकड़ क्षेत्र उपचारित करने के लिये ६८–५३६ लाख रुपये का प्राविधान है। आगरा

---

†छापी नहीं गई।

तथा गाजीपुर जिलों में यह परियोजना वर्ष १९७१–७२ से चालू की जायेगी । चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के अन्तिम तीन वर्षों में प्रत्येक परियोजना में ५७–९७७ लाख रुपये की धनराशि से ६,००० एकड़ क्षेत्र उपचारित किया जायेगा ।

*१८––श्री सुरेन्द्र विक्रम––

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि प्रदेश के कौन-कौन से जिले शुष्क कृषि योजना से चतुर्थ पंचव-वर्षीय योजना काल में लाभान्वित होंगे और क्या सरकार प्रत्येक जिले के प्रत्येक विकास क्षेत्र जहां सिंचाई साधन नहीं है यह योजना चलायेगी ?

डाक्टर सीताराम––

यह परियोजना केवल झांसी, आगरा तथा गाजीपुर में चलाई जायेगी इसलिये वही जिले लाभान्वित होंगे नहीं ।

चूंकि यह परियोजना केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरोनिधानित है और केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को झांसी, गाजीपुर तथा आगरा जिलों में चलाने की स्वीकृति दी है इसलिये किसी अन्य जिले में इस परियोजना को चलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१९–२०––श्री राम लाल राही––

[८वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १०–११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

परिवार नियोजन क्लीनिक खोलने हेतु ऐच्छिक संस्थाओं को अनुदान एवं उनका सम्परीक्षण

*२१––श्री नौनिहाल सिंह––

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, १९६६ से अप्रैल, १९७१ तक परिवार नियोजन क्लीनिक खोलने हेतु कौन-कौन सी ऐच्छिक संस्थाओं को कितनी–कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा सहायक अनुदान के रूप में दी गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी––

मार्च, १९६७ तक अनुदान की धनराशि भारत सरकार द्वारा औद्योगिक संस्थ ओं को सीधे स्वीकृत की जाती है । अप्रैल, १९६७ से मार्च, १९७१ तक जिन संस्थाओं को अनुदान प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया उनकी तालिका स्वीकृत धनराशि सहित संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २१९ पर ।)

*२२––श्री नौनिहाल सिंह––

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या उपरोक्त सहायक अनुदान का सभी ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा पूर्णरूपेण उपयोग कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन ने कोई स्पेशल आडिट उन संस्थाओं का कराया है ? और जिन संस्थाओं ने उपयोग नहीं किया उनसे उपरोक्त धनराशि वापस लेने की शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी––

उपयोग किये धन की सत्यता की जांच चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संस्था को कराना आवश्यक है । सत्यापित सेवा प्राप्त होने पर गत वर्ष में स्वीकृत अनुदान का समायोजन किया जाता है, एवं अगला अनुदान दिया जाता है ।

शासन ने इंडियन रेडक्रास सोसाइटी, लखनऊ को अनुदान देने का विशेष सम्परीक्षण कराया है जो शासन के विचाराधीन है । जिन संस्थाओं द्वारा अनुदान की धनराशि का अंशतः उपयोग किये जाने की सूचना मिलती है उस संस्था को अगले वर्ष देय धन में से उतनी धनराशि को काट लिया जाता है ।

फतेहगढ़, जिला महिला चिकित्सालय के डाक्टर के विरुद्ध शिकायत

*२३—श्री महरम सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहगढ़, जिल महिला चिकित्सालय में दिसम्बर, १९७० में रामदेवी नाम की एक महिला लगभग रात्रि के ८ बजे आई थी जिसके बच्चा होनवाला था और उसकी हालत काफी चिन्ताजनक थी फिर भी महिला चिकित्सालय के डाक्टर ने उसके भाई के विशेष प्रार्थना करने पर भी देख-भाल तथा उपचार और दाखिला नहीं किया जिसके फलस्वरूप उस महिला की मृत्यु हो गई और इस घटना की शिकायत संबंधित अधिकारियों से महिला के भाई, श्री राम पाल ने की ? यदि हां, तो अधिकारियों एवं सरकार ने इस पर क्या-क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अस्पतालों में ट्रेन्ड फार्मेसिस्टों का अभाव

*२४—श्री महरम सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में कितने ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेन्टर तथा मेडिकल अस्पताल हैं जिनमें ट्रेन्ड कम्पाउन्डर नहीं हैं और सरकार ट्रेन्ड कम्पाउन्डरों की क्या व्यवस्था कर रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

६ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा ४ अस्पतालों में ट्रेन्ड फार्मेसिस्ट नहीं है।

मेडिकल कालेज, कानपुर तथा मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में फार्मेसिस्टों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

डेरापुर खास में राजकीय एलोपैथिक अस्पताल खोलने का प्रश्न

*२५—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के विकास खण्ड डेरापुर के अन्तर्गत डेरापुर खास में राजकीय एलोपैथिक अस्पताल खोले जाने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल कब तक खोल दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। चूंकि वहां पर जिला परिषद् का अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से संबद्ध है।

उन्नाव जिले के सरकारी अस्पतालों को वित्तीय सहायता

*२६—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में उन्नाव जिले के किस-किस सरकारी अस्पतालों के लिए पृथक-पृथक् कितना-कितना धन भवन निर्माण तथा दवाओं के लिए दिया गया ? और क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट डिस्पेन्सरी, हसनगंज तथा नवाबगंज को उक्त वित्तीय वर्ष में कुछ भी नहीं दिया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

उन्नाव जिले के सरकारी अस्पतालों को वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में भवन निर्माण तथा दवाओं के लिए दी गई धनराशियों का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है जिसकी एक प्रति माननीय सदस्य की मेंज पर रख दी गई है। यह सही नहीं है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हसनगंज तथा नवाबगंज को कोई धन नहीं दिया गया।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २२१ पर।)

गांधी मेमोरियल अस्पताल, लखनऊ में आई बैंक की स्थापना

*२७—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आई बैंक की स्थापना के बाद दिनांक ३० अप्रैल, १९७१ तक गांधी मेमोरियल अस्पताल, लखनऊ में कितने व्यक्तियों के आंखें लगाई गईं और उनमें से कितने केस सफल रहे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आई बैंक की स्थापना अभी नहीं हुई है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् कर्मचारी संघ की मांगों पर विचार

*२८—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २ जून, १९७१ के उत्तर प्रदेश जिला परिषद् कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मण्डल का वेतन आदि के संबंध में मांग-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उनकी मांगों को कब तक पूरा करने का विचार कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

(क) जी हां।

(ख) उनकी मांगों पर अभी विचार हो रहा है।

*२९–३०—श्री राम मूर्ति अंचल—

[५वें मंगलवार के लिए स्थगित]

*३३–३२—श्री राम लाल राही—

[९वें मंगलवार में प्रश्न संख्या ७–८ के अन्तर्गत स्थगित]

कृषि विद्यालय, धौलाना संबंधित शिकायतों की जांच

*३३—श्री मंजूर अहमद—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का ३ जुलाई, १९७० का पत्र तथा उसके साथ संलग्न विद्यार्थियों का शिकायती-पत्र जिसमें कृषि डिप्लोमा स्कूल, धौलाना के प्रधानाचार्य तथा सेक्रेटरी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं करने के गंभीर आरोप थे, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। प्रश्नकर्त्ता के उल्लिखित पत्र के साथ संलग्न विद्यार्थियों का शिकायती-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था। उस शिकायती-पत्र में जो आरोप है उसी प्रकार के आरोपों के संबंध में इससे पूर्व प्राप्त अनेक शिकायती-पत्रों पर विभागीय जांच कराई गई थी। आरोपों

की पुष्टि में निश्चायक साक्ष्य नहीं मिल सका। जिस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं उनके संबंध में खुली जांच में साक्ष्य मिलना कठिन है। अतएव स रकार ने कृषि विद्यालय, धौलाना से संबंधित सभी शिकायतों की जांच सी० आई० डी० से कराने का निर्णय किया है।

*३४—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*३५—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

विकास खण्डों मे व्यावहारिक पुष्टाहार कार्य-क्रम

*३६—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश के कितने विकास खण्डों म पौष्टिक आहार योजना चालू करने का निश्चय सरकार ने किया है और उनके लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है? अब तक कितने विकास खण्डों में यह योजना चालू हो चुकी है? शेष में कब तक चालू हो जायेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

चालू वित्तीय वर्ष में १३ और विकास खण्डों में व्यावहारिक पुष्टाहार कार्य-क्रम आरंभ करने का निश्चय किया गया है। वर्ष १९६७–६८ से १९७०–७१ तक उक्त योजना के अन्तर्गत लिए गए ८९ खण्डों में भी यह योजना चलती रहेगी। इन १०२ खण्डों के लिये ३४.६८ लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान है। अब तक १५७ विकास खण्डों में योजना चलाई गई है। शेष विकास खण्डों में भारत सरकार द्वारा विकास खण्डों के कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए जाने की संख्या के आवटंन पर निर्भर है क्योंकि संपूर्ण व्यय वे ही वहन करते हैं।

*३७—श्री गोपाल दत्त—

[५वें मंगलवार में संख्या ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३८—श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री बंशीधर पांडेय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सहारनपुर जिला अस्पताल में कुमारी हशमत इलाही के इलाज में कथित लापरवाही

*३९—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह विदित है कि गत अप्रैल के दूसरे हफ्ते में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, सहारनपुर में कुमारी हशमत इलाही (२५ वर्ष) जो कि पुरानी मरीज है, एक नर्स के इन्जेक्शन लगाने के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर गई? यदि हां, तो इस लापरवाही के लिए क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं। लेकिन ७ अप्रैल, १९७१ को सहारनपुर के जिला अस्पताल में कुमारी हशमत इलाही, जो काक्स-एब्डोमिन (पेट का क्षय) एनीमिया तथा सामान्य दुर्बलता से बहुत अर्से से पीड़ित थी, को एक नर्स ने स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन लगाया, जिससे उन्हें एर्लजिक-रिएक्शन हो गया। इससे पूर्व भी उन्हें उक्त इंजेक्शन लग चुके थे परन्तु पहले कभी उन्हें एर्लजिक-रिएक्शन नहीं हुआ था। इंजेक्शन लगने के बाद न तो वे बेहोश होकर जमीन पर गिरी और न बेहोश ही रहीं।

जिला अस्पताल, मुरादाबाद के डाक्टरों का स्थानान्तरण

*४०—श्री रियासत हुसैन—

डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल मुरादाबाद में कितने डाक्टर ऐसे हैं जिनको तीन साल से ज्यादा हो गये हैं ? क्या मंत्री जी तुरन्त उनको हटाने के आदेश जारी करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जिला अस्पताल मुरादाबाद में केवल दो डाक्टर ऐसे हैं जिन्हें ३ वर्ष से अधिक हो गये हैं, लेकिन ऐसा कोई अनिवार्य नियम विभाग का नहीं है कि ३ साल पर स्थानान्तरण कर ही दिया जाय। इनमें से एक का स्थानान्तरण जून, १९७१ में वार्षिक स्थानान्तरणों की शृंखला में कर दिया गया था, किन्तु उनकी कुछ घरेलू कठिनाइयों के कारण उनका स्थानान्तरण ३ महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है।

स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के वर्कचार्ज स्टेब्लिशमेन्ट के कर्मचारियों का लाइन इंसपेक्टरों की पद पर नियुक्ति

*४१—श्री धर्मवीर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेन्ट में काम करन वालों को लाइन इन्स्पेक्टरों के पदों पर स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग में सरकार ने रेगुलर करने के आदेश दिए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत वर्कचार्ज इस्टेब्लिशमेन्ट में कार्य करने वाले कर्मचारियों को लाइन इन्स्पेक्टर के पदों पर रेगुलर नियुक्ति के शासन ने कोई आदेश नहीं दिए हैं क्योंकि उक्त विभाग में लाइन इन्सपेक्टर का पद नहीं है।

*४२–४३—श्री डी० पी० बोरा—

[५वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

खण्ड विकास क्षेत्र, फखरपुर, जिला बहराइच में व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम

*४४—श्री बासुदेव सिंह (जिला बहराइच)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के खंड विकास क्षेत्र, फखरपुर को पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत ले लिया गया है ? यदि हां, तो इस कार्य को कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बहराइच जिले के खंड विकास क्षेत्र, फखरपुर को व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं लिया गया है।

खण्ड विकास क्षेत्र, फखरपुर जिला बहराइच में पेय जल योजना

*४५—श्री बासुदेव सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के अन्तर्गत खंड विकास क्षेत्र, फखरपुर को पेय जल सप्लाई योजना के अन्तर्गत ले लिया गया है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जी नहीं ।

कार्य को पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड, झींझक और रसूलाबाद (कानपुर) में परिवार नियोजन से संबंधित कार्य

*४६---चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतावेंगे कि कानपुर जिले के विकास खंड, झींझक और रसूलाबाद में जनवरी, १९७० से जून, १९७१ तक परिवार नियोजन के अन्तर्गत अलग-अलग कितनी नसबन्दी की गई व कितने लूप लगाये गये और इसी दरम्यान इन विकास खंडों में जो परिवार नियोजन की जीप गाड़ियां हैं वह अलग-अलग कितने किलोमीटर चली हैं? और कितना लीटर पेट्रोल इस्तेमाल हुआ ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी---

कानपुर जिले के विकास खंड, झींझक और रसूलाबाद में जनवरी, १९७० से जून १९७१ तक परिवार नियोजन के अन्तर्गत निम्नलिखित नसबन्दी की गई व लूप लगाये गये:---

	नसबन्दी	लूप
झींझक	८८	७२
रसूलाबाद ..	७४	६१

उक्त अवधि में इन विकास खंडों की जीप गाड़ियों द्वारा चली दूरी तथा खर्च हुआ पेट्रोल निम्नलिखित प्रकार है:---

	गाड़ी द्वारा चली दूरी (कि० मी० में)	खर्च हुआ पेट्रोल (लीटर में)
झींझक	१६२६४	२४८१
रसूलाबाद	२५८१	५२८

*४७---चौधरी रामपाल सिंह यादव---

[४थे मंगलवार में प्रश्न संख्या ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगरपालिका गोंडा के कर्मचारियों का भविष्य निधि

*४८---श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा नगरपालिका अपने कर्मचारियों का पी० एफ० काटती है ? यदि हां, तो यह धन उनके हिसाब में नगरपालिका ने जमा नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जी हां, जुलाई १९६९ से जुलाई १९७१ तक नगरपालिका, गोंडा द्वारा अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि की काटी गई कुल धनराशि १,५७,६७६ रु० ४ पैसे थी । नगरपालिका ने यह धनराशि उनके हिसाब में जमा नहीं किया, अतः आयुक्त फैजाबाद मंडल ने यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा ३५ के अन्तर्गत कार्यवाही की जिसके फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट ने अबतक रु० ६६०५२.५६ जमा करा दिया है और अब केवल रु० ९१,६२३.४८

जमा करना शेष रह गया है जिसे शीघ्र जमा कराने का प्रयत्न जिला मजिस्ट्रेट कर रहे हैं । पिछली नगरपालिका ने उपर्युक्त धन बोर्ड के अन्य कार्यों पर व्यय कर दिया था ।

जिला अस्पताल, गोंडा में डेंटल क्लीनिक खोलने का विचार

*४९---श्री त्रिवेणी सहाय---

क्या सरकार गोंडा जिला अस्पताल में दन्त विभाग खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जी हां । चालू वित्तीय वर्ष में जिला अस्पताल, गोंडा में भी एक डेंटल क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश बेरोजगारी उन्मूलन संबंधी सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकारी तथा सम्मेलन में लिये गये निर्णय

*५०---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मई सन् १९७१ में राज्य में लघु कृषक एवं सीमांत कृषक विकास योजनाओं तथा शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की योजनाओं के अन्तर्गत विशेष तथा द्रुतगामी कार्य-क्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिये उच्चस्तरीय अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन अधिकारियों ने भाग लिया और प्रत्येक कार्य-क्रम के संबंध में प्रगति रिपोर्ट क्या-क्या पेश हुई ? तथा इस सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय हुए ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां । मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में रविवार दिनांक १६ मई, १९७१ को एक सम्मेलन हुआ । सम्मेलन में उपस्थित मंत्रि मंडल के सदस्यों और अधिकारियों की सूची संलग्न है ।

सम्मेलन में विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित प्रगति रिपोर्ट तथा लिये गये निर्णय सम्मेलन की कार्यवाही में दिये हुये हैं, जिसकी एक †प्रति संलग्न है ।

अतारांकित प्रश्न

१---श्री कल्याण सिंह---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जिला आजमगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात कर्मचारीगण

२---श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में अगस्त, १९७० से दिनांक १० जून, १९७१ तक कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले गये हैं ? और कहां-कहां पर और प्रत्येक हेल्थ सेंटर पर कब से कौन-कौन कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी---

जिला आजमगढ़ के पल्हनी, कोयलसा, फतेहपुर, मंडाव मिर्जापुर तथा महराजगंज स्थित पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मुख्य अस्पतालों की स्थापना अगस्त, १९७० से १० जून, १९७१ की अवधि में की गई । इन पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों का ब्योरा संलग्न† तालिका में दिया हुआ है जिसकी एक प्रति माननीय सदन की मेज पर रख दी गई है ।

---

†छापी नहीं गई ।

क्षेत्र समिति, वीरोंखाल, जिला पौड़ी-गढ़वाल में पेयजल योजना

३—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र समिति, वीरोंखाल, जिला पौड़ी-गढ़वाल ने सन् १९७० तथा १९७१ में (१५ मई तक) किन-किन ग्रामों को पेयजल योजनायें स्वीकार करके किन-किन तिथियों को जिला परिषद् की स्वीकृति के लिये भेजी हैं? और जिला परिषद् ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

क्षेत्र समिति, बीरोंखाल ने ५८ ग्रामों की पेयजल योजनायें जिला परिषद् पौड़ी-गढ़वाल को स्वीकार कर के अपने क्षेत्र समिति के प्रस्ताव सं० ४, दिनांक ३-९-७० के द्वारा अग्रसारित की थी ।

उक्त योजनायें १९७० की हैं । सन् १९७१ (१५ मई) तक कोई योजनायें जिला परिषद् को प्राप्त नहीं हुई हैं ।

जिला परिषद् ने उक्त योजनाओं में से दस योजनायें : १—कोठला, २—रग सच्छा, ३—बमण खोला- ४—रगडोगाड, ५—नाकुरी, ६—काडा तल्ला ७—बामसा तल्ला, ८—ढौढ़, ९—विरगणा, और १० माकड पास करके (अतिरिक्त जिलाधीश नियोजन) पौड़ी-गढ़वाल के पत्र संख्या १४३२/९-१-३/७०, दिनांक २९-१२-७० के अनुसार सवक्षण हेतु उप खंड अधिकारी द्वितीय सर्वेक्षण एवं अनुसंधान उपशाखा, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग, पौड़ी-गढ़वाल को भेजी हैं ।

प्रश्नो के संबंध में अनुरोध

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष जी, मेरा निवदन है कि सदन की प्रक्रिया नियमावली के आधार पर अगर किसी प्रश्न पर सप्लीमेंटरी से बात साफ नहीं हो पाती तो नियम ४९ के अन्तर्गत आधा घंटे की चर्चा दी जा सकती है । आज केवल २ ही प्रश्नों पर १ घंटा जाया हो गया और जो कृषि विभाग के प्रमुख प्रश्न है जिस पर सारा मामला निर्भर है उसके लिये अनुपूरक प्रश्न का समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिये आप से प्रार्थना है कि आप इस सवाल को कल के लिये मुल्तवी कर दें और यह कल को सब से पहल रख दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न अब नहीं आयेगा । इस का उत्तर हो चुका है ।

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, मैं आप के माध्यम से निवेदन करूंगा शासन से कि वह इस पर किसी दिन आधा घंटा की चर्चा होने दे ताकि हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में शासन से जानकारी प्राप्त कर सकें और जो अनियमितताये हुई हैं, उन पर प्रकाश पड़ सके । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं वचन नहीं देता, आप लिखकर देंगे और वह नियमानुकूल होगा तो स्वीकार किया जायगा ।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जो बैठे हैं, वह इस प्रश्न को दबाना चाहते हैं क्योंकि इस के पूरक प्रश्नों से सारा भ्रष्टाचार जो किया गया है और गलत नियुक्तियां की गई हैं और जो अनैतिकता एग्रो इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन में हुई है, वह सब खुल जायंगी, वहां पर जो नियुक्तियां मनमाने ढंग से हुई हैं उन का एलान होना चाहिये (व्यवधान) मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को कल लिये जाने के लिये कहें और आप उसकी अनुमति दें ।

(व्यवधान)

प्रश्नों के संबंध में श्री उपाध्यक्ष पर नियमों के उल्लंघन का आरोप

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि हम लोगों में आप के व्यवहार और कार्य करने के ढंग से एक जिनुइन और सिन्सियर भावना पैदा हुई है कि प्रश्नों के संबंध में आप के द्वारा जो संचालन हो रहा है उसमें बिलकुल अव्यवस्था और सारे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय--

अगर आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप अपनी गलती को सुन सकें तो आप इस पद के योग्य नहीं हैं. . .

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय--

यह आप की ओर से बिलकुल पक्षपात की स्थिति है, आप ने केवल २ प्रश्न ४५ मिनट तक चलाये जिनमें आप इन्टरेस्टेड थे और यह अंचल जी का प्रश्न अभी १२ बजे आया और वह उस पर एक भी अनुपूरक नहीं करने पाये और वह जायज मांग कर रहे हैं उस की भी आप ने इजाजत नहीं दी । आप उस आसन पर बैठे हैं लेकिन आप बिलकुल नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं । आरम्भ का जो प्रश्न था हमारे साथी कपूर साहब बैठे हैं वह जानते हैं कि पी० सी० एफ० में करोड़ों रुपये का गड़बड़ घुटाला है और हफ्ते भर से वह आप के यहां जा रहे हैं और आप उस में पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं और अपने इंटरेस्ट से देखते हैं कि किनको स्वीकार किया जाय या न किया जाय । श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, लाल बहादुर जी के खिलाफ प्रश्न लाये तो आप ने यह कह दिया कि हम व्यक्तिगत रूप से उन को जानते हैं, इसको हम नहीं आने देंगे . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिलकुल मिथ्या और भ्रामक बात कह रहे हैं, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है. . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कृणानन्द राय—

आप ही बिलकुल गलत और मिथ्या बात कह रहे हैं, हम ठीक कह रहे हैं ....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं । आप कृपया बैठें ।

श्री कृणानन्द राय—

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि आप पर्सनल इन्टरेस्ट लेते हैं । जिन प्रश्नों को आप चाहते हैं । उनको आने देते हैं और जिनको आप चाहते हैं कि न आवें उन्हें सदन में नहीं आने देते हैं । आप अपने पर्सनल इन्टरेस्ट से यहां पर प्रश्न लेते हैं ।

*श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान हमारी विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४६ (१) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अध्यक्ष किसी ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर जो सदन में हाल में प्रश्नोत्तर का विषय रहा हो, चर्चा करने के लिये आधे घंटे का समय नियत कर सकेंगे ।

श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय का प्रश्न है । इसको पहले अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों में रखा गया था लेकिन फिर शासन की अज्ञानता के कारण इस को तारांकित प्रश्न संख्या २ पर लिया गया । आज भी यह प्रश्न इस समय नहीं आ सका । मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसमें बहुत ही गड़बड़ घोटाला है । पहले भी मान्यवर, इस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित किया । मैं चाहता हूं, सदन की और मेरी यह मांग है, सदन की दरख्वास्त है कि इस प्रश्न पर जिसका संबंध माननीय मुख्य मंत्री, माननीय वित्त मंत्री और कृषि मंत्री से है, आधे घंटे का समय दे देने की कृपा करेंगे । श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि इसके लिये आप समय दिलवा दें ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुयी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं । आपका इस तरह से बात करना मुनासिब नहीं है । (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, आप प्रश्नों के मामले में पर्सनल इंटरेस्ट से काम करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, आप प्रश्नों में पर्सनल इन्टरेस्ट लेते हैं । जिनको आप लाना नहीं चाहते हैं, उनको सदन में आने नहीं देते हैं । (व्यवधान) आपको इस्तीफा दे देना चाहिये ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठें, आपको बोलने की मैं अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री कृष्णानन्द राय---

आप कितना भी कूदिये, कुछ नहीं होगा । कुर्सी पर कूदने से कुछ नहीं होगा । जब तक आप आश्वस्त नहीं कर देंगे इस सदन को अपनी ईमानदारी से और निष्पक्षता से तब तक आप इस कुर्सी पर बैठने के हकदार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि इससे आपका खोखलापन सिद्ध होता है।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, जब सदन में रायबरेली का प्रश्न उठा तो आपने कहा कि मैं परसनली जानता हूं इसलिये इस प्रश्न को नहीं आने दूंगा । यह प्रश्न सही नहीं है, यह भी आपने कहा ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह बिल्कुल मिथ्या है । आप बिल्कुल झूठ कह रहे हैं । मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, आपकी योग्यता मालूम हो गयी है, इसलिये आप इस कुर्सी से उठ कर चले जाइये ।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, २-३ दिन पहले यहां पर चौधरी चरण सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा था । इस सदन की जो कार्य-संचालन की कार्यवाही है, उसके संबंध में उन्होंने एक सुझाव दिया था और उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कृपा करके यह कहा था कि अच्छा हो कि किसी दिन हम ही नेताओं को आमंत्रित करेंगे और इस बात पर विचार करेंगे । मान्यवर, जो माननीय कृष्णानन्द जी ने बात उठायी उस भ्रम में, वातावरण में उस कुर्सी से कुछ ऐसी बातें कह दीं । यह प्रश्न एक दिन और भी उठा था तो यह तय हुआ था कि एक प्रश्न पर ६ सप्लीमेंन्ट्री से अधिक प्रश्न नहीं किये जायेंगे । पहले यह ३ प्रश्न पर तय हुआ था पर उस दिन अध्यक्ष ने यह कहा था कि ६ तो अधिकाधिक होंगे । अगर महत्व का प्रश्न है तो आप नियम ४९ के अन्तर्गत या दूसरे नियमों के अन्तर्गत आधे घंटे या २ १/२ घंटे के विवाद की स्वीकृति दे देंगे । छः सप्लीमेन्टरीज के बाद यदि किन्हीं ज्यादा सदस्यों की दिलचस्पी है तो उसे नियम ४९ के अन्तर्गत करायें । अगर और ज्यादा सदस्य चाहते हों तो सदन को ९ बजे तक चलाइये और अगर दिलचस्पी नहीं होगी तो हाउस एडजर्न हो जायेगा ।

दूसरे यह भी तय था, आपने स्वयं कहा था कि जब ऐसे महत्वपूर्ण और नीति विषयक प्रश्न आयेंगे तो उन पर एक-एक को विचार करने का अवसर दिया जायेगा । अगर आप अपनी बात को महसूस करेंगे तो इस समय दो प्रश्न हुये । दो प्रश्न पर ५२ मिनट लग गये । केवल एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आठ-सात मिनट जो उस तरफ से पूछा था, उसका समय प्रश्न का उत्तर देते समाप्त हो गया । उनको जवाब देने का मौका नहीं मिला । ऐसी परिस्थिति में जब आप

इस बात को करेंगे तो हाउस में बराबर इस बात पर गड़बड़ी पैदा होगी। कोई न कोई दस बीस आदमी इस कार्यक्रम को नष्ट करेंगे और समय नष्ट हो जाने के बाद फिर उसी प्रश्न में आयेंगे कि सम्मेलन बुला लिया जाय, व्हिप्स और नेताओं का। तो नतीजा यह होगा कि इस चेयर से आप स्वयं, मुख्य मंत्री ने जैसे कहा था, मीटिंग बुलायेंगे ही। लेकिन यह गम्भीर बात है। इसमें ८८-१०० क्वेश्चन हैं और कितने महत्वपूर्ण विषय हैं। दो प्रश्नों पर ही पचास मिनट हो गये। बाकी प्रश्न केवल उत्तर देकर ही छोड़ दिये गये। वे भी सप्लीमेन्टरीज में आते, उससे हाउस वंचित रह गया। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया नियमावली आप निश्चित कर लें कि एक प्रश्न पूछना है, दो प्रश्न पूछने हैं तो उसके बाद आप प्रश्न अलाऊ न करें। उसके बाद अलाऊ करने की गम्भीरता सामने है। उसको नियम ४९ या ५२ के अन्तर्गत उसको कर दें लेकिन उसको कठोरता से करें। हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर इस नियम के साथ आप कार्य करेंगे तो हमारी पार्टी के लोग उसका पालन करेंगे।

(मुख्य मंत्री, श्री कमलापति त्रिपाठी के खड़े होने पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री मेरा निवेदन सुन लें और उसके बाद बोलें तो अच्छा हो। इस से आसानी हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष---

आसानी नहीं, मुश्किल ही पैदा कीजिये तो अच्छा है।

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मैं तो इतना ही निवेदन करने उठा हूं कि सदन में स्पीकर का जो पद होता है वह एक बड़ा महत्वपूर्ण और सारे सदन में गौरव का प्रतीक होता है। विधियों में गलतियां हो सकती हैं, या नई विधियां बन सकती हैं, या परम्परायें बनाई जा सकती हैं। लेकिन माननीय कृष्णानन्द राय जी ने बहुत आवेश में जो उपाध्यक्ष के ऊपर इस समय आक्षेप किये और उन्होंने कहा कि आपकी नियत ऐसी है और उन्होंने और शब्दों का प्रयोग कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं समझता हूं यह बात उचित नहीं थी। अगर हम ही उनके पद के गौरव की रक्षा नहीं कर सकते तो सदन के गौरव की रक्षा नहीं होगी। मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रकार की बात के लिये और ऐसी घटना घटने के लिये हम सब भविष्य के लिये सावधान रहें और क्षमा मांगें कि हमसे इस प्रकार की भूल हुई।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम २९ (४) की ओर दिलाना चाहता हूं और यह २९ (४) वह है जिसमें किसी अल्पसूचित प्रश्न को दूसरे दिन के लिये आप कार्य सूची में ले आते हैं। यह जो प्रश्न था माननीय राममूर्ति अंचल का यह २९(४) के अन्तर्गत था। इसको आपने अल्प सूचना में स्वीकार किया था। सरकार ने असमर्थता प्रकट की थी और फिर यह अल्पसूचित प्रश्न के स्थान पर २९ (४) के अन्तर्गत आया। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज श्रीमान् ने दो प्रश्नों पर ५२ मिनट लगाकर इस २९ (४) के अन्तर्गत लिये हुए प्रश्न पर एक भी अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत न देकर प्रश्न के महत्व को समाप्त कर दिया। क्या इस नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि स्पीकर की गरिमा है, उपाध्यक्ष की गरिमा है। निश्चय ही आपके आदेश का सदैव हम और हमारा दल पालन करता रहा है। लेकिन मजबूरी तब हो जाती है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

जैसे माननीय राजेन्द्र प्रताप सिंह ने एक नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना भेजी जिसका जिक्र किया माननीय कृष्णानन्द राय जी ने।

श्रीमन्, यही आवश्यक नहीं है कि इंसाफ होता है बल्कि यह भी आवश्यक है कि लोग महसूस भी करें कि इंसाफ होता है। तब उसका नाम इंसाफ है। जब यह मालूम है कि एक दलबहादुर सिंह नाम के व्यक्ति का नाम उस नोटिस में है, आपने उसको खारिज कर दिया। कृष्णानन्द राय जी ने यह कहा और उन्होंने यह चार्ज किया तो मैं समझता हूं कि यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जिस प्रकार कि कार्य-संचालन की पद्धति चल रही है। हम ही नहीं माननीय चौधरी साहब ने विस्तृत रूप से इन सारी चीजों का विश्लेषण किया है। आप क्षमा करेंगे हमारे दल के किसी भी माननीय सदस्य ने जो अनुपूरक प्रश्न पूछने की उत्सुकता नहीं दिखायी उसका कारण है और उन कारणों की तरफ आप जायं। मुख्य मंत्री जी भी जायं। जिन भावों को मैं आज व्यक्त कर रहा हूं, सदन में शायद पहली ही बार ऐसा मौका आया है। मैं आप से और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को चलाने के लिये, सदन की महिमा, गरिमा और परम्परा को व्यवस्थित रूप से, निर्विवाद रूप से चलाने के लिये आवश्यक है कि आप पुनः उन पद्धतियों और तौर-तरीकों पर विचार करें और उन सारे तरीकों को छोड़ दें जो दलीय भावनाओं से प्रेरित रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा कि पांडेय जी ने अभी कहा, ठीक है कि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि नेताओं से मिलकर बातचीत की जाये। इस लिये हम लोगों ने यह उचित समझा कि स्पीकर साहब आज बुलाकर बातचीत करें।

दूसरी चीज, अगर किसी का सवाल अस्वीकृत हो जाय और वह इस तरह से लांछन लगाने की कोशिश करे तो मैं उसको और उसके दल को कहना चाहता हूं कि मैं एक क्षण भी यहां नहीं बैठना चाहता हूं। जो कांग्रेस (संगठन) का अधिष्ठाता हो, वह आकर यहां बैठे और वह ऐसे सवालों को स्वीकार करे नहीं तो मैं आज से उस तिथि तक यहां नहीं बैठूंगा। जो बात माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कही है अगर वही कांग्रेस (संगठन) की बात है तो मुझे यहां हरगिज नहीं रहना चाहिये और मैं सदन को स्थगित करता हूं १५ मिनट के लिये।

(इस समय १२ बजकर १९ मिनट सदन स्थगित हुआ और १२ बज कर ३४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जे० एन० सिनहा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुयी।)

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, यह जो हम लोगों की नियमावली है उसमें कुछ नियम परिवर्तन करने की बात थी। खासतौर पर कार्य-स्थगन वगैरह के प्रश्न के ऊपर, और आज १४ दिन हो गये। १२ तारीख को असेम्बली बैठी और आज २७ तारीख है। १४ दिन के बाद रूल्स कमेटी में जो नियम में संशोधन होता है, वह स्वतः नियम बन जाता है तो मैं जानना चाहता हूं कि कार्य-स्थगन वाला जो नियम में संशोधन हो गया है, क्या वह १२ बजे या साढ़े १२ बजे जैसा कि नियमों में व्यवस्था है, वह लिया जायगा या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

रिपोर्ट छप रही है, अभी आयी नहीं है। अभी उसको सदन की मेज पर नहीं रखा गया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, यह एक दुखद घटना इस सदन में घट गयी जिसको मैं समझता हूं इस सदन के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है और हम समझते हैं कि सभी माननीय सदस्यों को

खेद होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि यह उचित बात होगी कि सदन की गरिमा को देखते हुए डिप्टी स्पीकर, स्पीकर के सम्बन्ध में जो शब्द प्रयोग किये गये हैं वे वापस ले लिये जायं और हम सब उपाध्यक्ष जी से यह प्रार्थना करें कि वे आवें और जो सन्देह हमारे साथियों के मन में उत्पन्न हो गया था उसका भी वे निराकरण कर दें। हम यह समझते हैं और मानते हैं कि आवेश में जो कुछ हो गया। स्पीकर जब कुर्सी पर बैठता है तो वह निष्पक्ष होकर बैठता है। कभी-कभी विधियों के या नियमों के संचालन में--मनुष्य से कोई ऐसी बात हो सकती है जिसे हम समझते हैं कि वह मुनासिब नहीं है और इसका यही कारण है कि इस प्रकार की पारस्परिक भ्रान्ति अगर सदन में उत्पन्न हो तो मैं समझता हूं कि कार्य की दृष्टि से और हम लोगों के सदन के स्वाभिमान की दृष्टि से कोई अच्छा उदाहरण न होगा। तो मैं श्री कृष्णानन्द राय से प्रार्थना करता हूं कि वे यह कहें कि इन शब्दों को वापस लेता हूं और हम सब उपाध्यक्ष जी से कहें कि वे यहां आवें और आकर जो भ्रान्ति हो गयी थी माननीय सदस्यों के मन में, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार का आवेश हुआ। इस प्रकार की भ्रान्ति को दूर करने की चेष्टा करें कि सदन का काम ठिकाने से चल सके।

श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय अधिष्ठाता जी, मुख्य मन्त्री जी ने जो विचार प्रकट किया है, जहां तक उन भावनाओं का सम्बन्ध है, उससे मेरा कोई मतभेद नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि स्पीकर, डिप्टी पीकर या कोई अधिष्ठाता जब उस कुर्सी पर बैठता है तो उनके सम्बन्ध में ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिये जिससे उस कुर्सी की मर्यादा पर किसी प्रकार का कुठाराघात हो। मुझे केवल दुख इस बात का है कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां शुरू से आखिर तक इस घटना में बैठे रहे। एक प्रश्न मैंने आज रायबरेली के सम्बन्ध में उठाया था जिसको दोहराने से कोई लाभ नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष जी ने साफ कहा कि आप मिथ्या बोल रहे हैं, झूठ शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। आप इस आदरणीय सदन के सभी सदस्यों से पूछ लें, श्री मैनेजर सिंह से पूछ लें। जब उस कुर्सी पर बैठ कर असंसदीय शब्दों का प्रयोग इस आदरणीय सदन के सदस्यों के प्रति किया जा सकता है तो श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि तब हम लोगों के पास क्या चारा है। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। उनके झूठ कहने पर प्रतिवाद के रूप में मैंने कहा था, वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं थी यह कहने के लिये कि वे झूठ बोल रहे हैं या इस प्रकार के अशोभनीय काम करते हैं। यदि मैंने कोई गलत आरोप लगाया था तो उसके लिये माननीय उपाध्यक्ष के पास एक तरीका था और वे इस मामले को प्रिविलेजेज कमेटी को भेज सकते थे। वे तो संसदीय परम्परा के मानने वाले व्यक्ति हैं। यदि हम लोग, खास तौर से वे जो कि विरोधी पक्ष के हैं, कोई असत्य बात कहते हैं, अशोभनीय बात करते हैं, या कोई असंसदीय बात कहते हैं तो उसके सम्बन्ध में तो आपके पास अनेक हथियार हैं। आप कह सकते हैं कि हमको सदन से बाहर निकाला जाये, मुख्य मंत्री जी इशारा कर सकते हैं और इंगित कर सकते हैं कि इनको १ सप्ताह के लिये सदन से बाहर निकाल दिया जाये या सदैव के लिये ही सदन से बाहर कर दिया जाये। इसके लिये भी यहां पर नियम मौजूद हैं। तो इतने शस्त्र आपके हाथ में हैं और नेता सदन के हाथ में हैं और आप इनका हम सदस्यों के विरुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन श्रीमन्, आप देखें कि हमारे पास कोई भी शस्त्र या अधिकार ऐसा नहीं है जिससे कि हम अपनी रक्षा कर सकें और हमारे प्रति कोई अशोभनीय और असंसदीय शब्द न कहा जाय। ऐसी हालत में सदस्यों के पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है। आप कहते हैं कि "नो कान्फिडेन्स" ले आइये। अगर हमारे पास इतनी शक्ति होती तो मुख्य मन्त्री जी उधर न बैठते और हम उधर से इधर क्यों फेंक दिये गये होते। हमारे पास वह शक्ति नहीं है। हम अविश्वास का प्रस्ताव पास करा के श्री कमलापति त्रिपाठी को निकाल सकते थे, मगर श्रीमन्, हमारे पास वह क्षमता नहीं है।

श्रीमन्, मैं इस बात को मानता हूं और स्वीकार करता हूं कि सदन की एक रेस्पेक्ट होती है। मेरी कभी भी न तो इच्छा रही है, न कोई भावना रही है और न होगी कि मैं कभी भी उन

[श्री कृष्णानन्द राय]

आदरणीय सदस्यों के विरुद्ध जो उस चेयर पर बैठते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं जो कि गौरव-पूर्ण न हों । अगर कभी कोई ऐसे शब्द कहे गये हैं तो उसके लिये मुझे दुःख है, मगर मुझे इस बात का भी दुःख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक काम नहीं किया । सदन की गरिमा के लिये उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव में कोई गलती नहीं है । मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह प्रस्ताव सही है । उन्होंने यह नहीं बताया कि यदि उस चेयर से कोई ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है जो असंसदीय हो,गौरवहीन हो, और ऐसा हो जिसको कि हम अपमानजनक समझें, तो हमारे पास क्या विकल्प रह जायगा । इस बात को मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं । हम आपकी भावना से सहमत हैं और यह कहते हैं कि हमारा ऐसा कोई विचार नहीं था । यदि वे अपमानित हुए हैं तो इसका हमें दुःख है । उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं हालांकि श्रीमन्, मैं सच बोल रहा था ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जो घटना यहां आज घटित हुयी है और हमारे उपाध्यक्ष जी यहां से किसी कारण गये, उसके लिये हम बहुत दुखी हैं । यह बात सही है कि वह कुर्सी जिस पर कि उपाध्यक्ष जी विराजमान हैं या और कोई व्यक्ति जो वहां पर बैठते हैं, मर्यादा की एक गठरी है । उस गरिमा और महिमा का पूरा ध्यान रहना चाहिये । आज का विषय जो हमारे सामने है उसमें हम तर्क नहीं करना चाहते, तर्क से पता नहीं यह बात क्या रूप ले ले । हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो भावना व्यक्त की है हम उससे सहमत हैं । मुझे इस बात का दुख है कि जो सारा प्रसंग हुआ उसको मैंने नहीं सुना, मैं नियमावली पढ़ रहा था ।

जैसा कि अभी कृष्णानन्द राय जी ने कहा, तो और कुछ न कहकर मैं दुःख प्रकट करते हुए यह कहूंगा कि हमारे नेता बैठें, उपाध्यक्ष जी बैठें और यह देखें कि क्या भावावेश में यह शब्द प्रयोग हुए हैं और यह मामला सुलझ जाय । बाहर भी आज अखबार में यह चीजें जायेंगी । हम निर्णय करके आयें और अपनी मर्यादा की रक्षा स्वयं करें । ऐसी मेरी करबद्ध प्रार्थना है और मैं उपाध्यक्ष जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वह हमारे साथ सहयोग करें ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विचार प्रकट किये हैं मैं उनसे सहमत हूं । जो भी पीठासीन अधिकारी वहां बैठते हैं उनकी गरिमा जो है उसकी हम सबको मिलकर रक्षा करनी है और सभी के सहयोग से ही उनकी गरिमा और इस हाउस की गरिमा रह सकती है । अगर हम सब लोग मिलकर सहयोग नहीं करते तो सदन चलना मुश्किल हो जावेगा । मैं समझता हूं कि माननीय कृष्णानन्द राय जी ने भी कहा है कि इस स्थान की गरिमा रहनी चाहिये और उनका भी सहयोग इसमें होगा और दूसरे सदस्यों का भी सहयोग होगा । माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो शब्द कहे हैं उसके बाद मैं समझता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष जी से प्रार्थना की जाय कि वह यहां बैठें और उनकी मौजूदगी में सभी बातें साफ हो जायं और काम शान्ति से चल सके ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि नेतागण बैठ जायं और ५, १० मिनट में मिलकर तय कर लें तभी कार्यवाही हो तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अधिष्ठाता महोदय, नेता सदन ने जो विचार और भावनायें व्यक्त की हैं उनसे किसी को असहमति नहीं हो सकती है । हर आदमी यह चाहता है कि उस कुर्सी पर बैठने वाला चाहे उपाध्यक्ष

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जी हों, चाहे आप हों, या अध्यक्ष जी हों, उनकी आज्ञाओं और आदेशों का पालन किया जाय। हर सम्मानित सदस्य यह चाहता है लेकिन मान्यवर उस ओहदे के साथ निष्पक्षता का अंश अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। उस कुर्सी पर बैठनेवाले को भी कभी किसी तरह से, न तो आचरण से, न उक्ति से, न कृति से यह आभास देना चाहिये कि वह किसी सदस्य के साथ ज्यादती कर रहा है या किसी के साथ पक्षपात कर रहा है। यह चीज भी इस ओहदे के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। जब यह चीज होगी और सदस्यों के अधिकारों को बचाने के लिये आगे रहेंगे तो मैं निश्चित रूप से इस सदन की ओर से कह सकता हूं कि कोई भी सदस्य नहीं होगा जो किसी प्रकार का आरोप या लांछन लगावे। तीन दिन से मैं देख रहा हूं कि यहां वही सवाल बारबार दोहराये जाते हैं जो कि पहले आ चुके हैं। तो जो सवाल यहां पर मूलरूप में आ चुके हैं वही सवाल उसी रूप में या थोड़े हेरफेर के साथ दोबारा कैसे मंजूर कर लिये जाते हैं, यह ताज्जुब की बात है। इससे पता चलता है कि कायदे कानून के अनुसार संचालन नहीं किया जा रहा है या जांच-पड़ताल नहीं की जा रही है। उसी तरह से कल यहां पर एक विषय उठा था और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मंत्रिपरिषद् के कतिपय सदस्यों के विरुद्ध गम्भीर आरोप का प्रश्न था। पूरे सदन की इच्छा थी कि उस पर बहस हो लेकिन उसकी इजाजत नहीं दी गयी। इसके कारण जो विपक्ष के प्रमुख दल हैं उन्हें सदन त्याग करना पड़ा। ऐसे ही कभी कोई सदस्य व्यवस्था के किसी प्रश्न पर खड़ा होता है और वह बार-बार निवेदन करता है कि वह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता है तो यह देखने में आया है, सभी माननीय सदस्य जानते हैं, कि पीठासीन अधिकारी, ने इस तरह का रुख अख्तियार किया कि जैसे उस निवेदन को सुना नहीं जा रहा है, घंटों नहीं सुना जा रहा है। अगर इसी तरह से सदन का संचालन होता रहेगा और यही तरीका रहेगा तो इस तरह की अव्यवस्था भी उत्पन्न होती रहेगी। आज जो हुआ उसे उत्तेजना आप समझ लें या यह कि एकाएक आवेश में कृष्णानन्द राय जी के मुंह से निकल गया। लेकिन वह स्वाभाविक है। आप जब कुर्सी पर बठे हैं तो आपको तो संतुलित और ठंढ दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर आप ही असंसदीय शब्दों का प्रयोग करें तो वह उचित नहीं।

मेरे ही सम्बन्ध में एक दिन कहा गया कि मैं इस सदन का समय नष्ट कर रहा हूं। इस सदन की स्वयं नजीर मौजूद है कि यह वाक्य असंसदीय है और जब मैंने निवेदन करना चाहा कि इत्तिफाक से यह शब्द आपके मुखारबिन्द से निकल गया इसको कार्यवाही से निकलवा दीजिए तो मुझसे आसन ग्रहण करने को कहा गया, । मैंने भी बैठ जाना ही स्वीकार किया बजाय इसके कि उनका कोप भाजन बनूं या अवज्ञा का पात्र बनूं। मैं सदन से कहना चाहता हूं कि ज ऐसी स्थिति बनी रहती है तो क्या हमको आवेश नहीं हो सकता है और क्या आप चाहते हैं कि हम ही अकेले रैशनल रहें और अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले न रहें। इस पर विचार होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको अवज्ञा न हो तो मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो तो आपको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और आपको अपने आचरण, अपनी उक्तियों और कृतियों से जाहिर करना चाहिए कि आप न इस पक्ष के हैं और न उस पक्ष के, न आपको हममें दिलचस्पी है और न नेता सदन में। आपको अपने विवेक से जो न्यायसंगत है वही करना चाहिए।

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आपके साथ सचिव जी बैठते हैं तो आपको अधिकार है कि आप या तो व्यवस्था के प्रश्न पर तुरन्त रूलिंग दे दें या उस समय मुल्तवी करके और सोच-विचार कर पढ़कर बाद में दे। यह सुविधा आपको प्राप्त है। लेकिन बार-बार सचिव जी आपके कान में कुछ फूंकें और बार-बार आप अपने कान को उधर झुकावें तो यह अच्छा नहीं लगता। यह उस कुर्सी की मर्यादा और गरिमा को नहीं बढ़ाता है। अगर कभी इत्तफाक से इस तरह का मौका आ जाय कि आपको किसी बहुत ही मुश्किल प्रश्न पर

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

व्यवस्था देनी है और तुरन्त व्यवस्था नहीं दी जा सकती और उसके लिए कुछ किताबों को पढ़ने की आवश्यकता है तो आप उस समय स्थगित कर दें और फिर पढ़ने के बाद शाम को या किसी उपयुक्त अवसर पर अपनी व्यवस्था दे दें। लेकिन मान लीजिये कि बार-बार कान झुकायें और सचिव आपसे कान में कुछ कहें और तब उसके बाद आप व्यवस्था दें तो फिर निष्पक्षता नहीं रह जायेगी और यह समझा जायगा कि निष्पक्षता से यह काम नहीं हो रहा है। वह आपकी सहायता कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन यह काम उनको आपके चेम्बर में करना चाहिये, सदन में नहीं करना चाहिये, इससे कुर्सी की शान घटती है।

आज मान्यवर, माननीय उपाध्यक्ष जी बड़े गुस्से में आ गये और उस गुस्से में कुर्सी छोड़ कर चले गये। यह किसी भी पीठासीन अधिकारी के लिये उचित नहीं है। तो मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि गुस्से को थोड़ी देर में शान्त हो लेने दिया जाय, आप अधिष्ठाता महोदय, संचालन कर ही रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद नेता सदन और सभी दलों के लोग उनके पास चलेंगे, अपनी बात भी रखेंगे और कोई ऐसा तरीका निकालेंगे कि जिससे सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके। धन्यवाद।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी की भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं। आज यहां बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना सदन में हुई। माननीय अध्यक्ष या माननीय उपाध्यक्ष के पद की गरिमा इस सारे सदन की गरिमा है और जो कुछ हम उनके लिये यहां पर कहते हैं उस पर इस सदन की गरिमा और हम सब की गरिमा निर्भर करती है। लेकिन माननीय सदस्यों की भावनाओं का भी पीठासीन अधिकारी को आदर करना चाहिये। माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी जी ने जो सुझाव दिया है मैं उसका समर्थन करता हूं। हम सब दलों के लोग माननीय उपाध्यक्ष के कक्ष में जाकर मिलें, उनकी बात सुनें और माननीय कृष्णानन्द राय जी की भावनाओं को भी उनको बता दिया जाय, उसकी भी सफाई हो जाय, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही सदन चल सकता है। मैं चाहता हूं कि सभी दल के लोग माननीय उपाध्यक्ष के कक्ष में जायं और उन्हें लाने के लिये राजी करें तथा जो यहां हुआ है उसके लिये खेद प्रकट करें।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता सदन ने जो विचार प्रकट किये हैं उससे तो मैं सहमति प्रकट करता हूं, लेकिन एक दो बातों का निवेदन अवश्य करूंगा। इस सदन की गरिमा में ही माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष और सभी माननीय सदस्यों की गरिमा सम्मिलित है। यदि आदरणीय सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रखा जायेगा तो माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष की गरिमा भी नहीं रहेगी और यदि माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष की गरिमा का ख्याल नहीं रखा जायेगा तो इस सदन की गरिमा भी नहीं रहेगी। सदन की गरिमा में ही सबकी गरिमा निहित है।

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यगण विभिन्न अंचलों से आते हैं और अपने-अपने अंचल की बात को वह यहां पर रखना चाहते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि माननीय सदस्य अपनी समस्याओं को यहां रखना चाहते हैं, किन्तु वे नहीं रख पाते और उस वक्त उनके रास्ते में कोई रोड़ा अटकाता है तो माननीय सदस्य अपना सन्तुलन खो बैठते हैं। जब कोई सदस्य किसी समय अपना संतुलन खो बैठे तो उस समय पीठासीन अधिकारी का यह कर्त्तव्य होता है कि वह उसे शान्त करे। यदि माननीय सदस्य उनके व्यवहार से शान्त नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होते हैं तो उन्हें चाहिये कि वे माननीय सदस्य से कहें कि उनका व्यवहार असंसदीय है, उनकी बातें असंसदीय हैं, वे उन्हें वापस लें, अगर वे वापस नहीं लेते तो अन्य प्रक्रिया दी हुई है नियमों में जिसके अनुसार वे कार्य कर सकते हैं। वे माननीय सदस्य को निर्देश दे सकते हैं कि वह सदन का त्याग करे। यदि इसके बाद भी पीठासीन अधिकार के निदेश का पालन सम्बन्धित सदस्य नहीं करते हैं तो उनको भी यह अधिकार है कि माननीय सदस्यों का इंगित करें और माननीय नेता सदन उनके विरुद्ध इस बात का प्रस्ताव लायें। यह सारी प्रक्रिया बनी हुई है। कोई सदन के संचालन में व्यवधान पैदा हो तो उसके लिए प्रक्रिया बनी हुई है। माननीय सदस्य असन्तुलित हो जाएंगे, परिस्थितिवश हो जाएंगे तो क्षम्य भी है और उनको ठीक करने के लिए भी प्रक्रिया में अधिकार और नियम हैं। लेकिन अगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी ही असन्तुलित हो बैठें या असंसदीय शब्दों का प्रयोग करें तो इस सदन की गरिमा नहीं रहेगी। तो वह जाकर दो औरतों के बीच का झगड़ा हो जाएगा और वह उसी के समान निन्दनीय होगा। इससे सदन की, पीठासीन अधिकारी की और माननीय सदस्यों की गरिमा घटती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न न आवें। इसके लिए आवश्यक है कि इस सदन के माननीय सदस्यगण और पीठासीन अधिकारी सभी सजग और सतर्क रहें।

मैं ऐसा तो नहीं मानता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय किसी पक्ष की बात करत हैं यानी वह निष्पक्ष भाव से सदन नहीं चलाते हैं। उनमें केवल वह कमी है जो सब में हो सकती है किन्हीं परिस्थितियों में मैं भी आवेश में आ जाता हूं और सन्तुलन खो बठता हूं। वही कमजोरी उनमें भी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय नेता सदन माननीय उपाध्यक्ष महोदय को यहां लायें। मैं चाहता हूं कि वह यहां आयें और इस कुर्सी को सुशोभित करें। उनके बिना यह उनकी कुर्सी उदास लग रही है। माननीय सदस्य क्या कहते हैं किन्हीं परिस्थिति-वश इसे वह नजरन्दाज कर दिया करें तो अच्छा हो। आज एक परिस्थिति ऐसी आई, जिससे उनको आघात लगा, उसके लिए हमें खेद है। हम उनको वहां से लायें और कुर्सी पर बिठाल दें। पुनः यह बात कहना चाहता हूं कि पीठासीन अधिकारी स्वयं अपने श्री मुख से असंसदीय शब्दों का प्रयोग न करें। यदि वह स्वयं करेंगे तो सदन की गरिमा गिरेगी और पीठासीन अधिकारी की गरिमा गिरेगी इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि हम लोग उनको मनाकर लावें और उनकी अध्यक्षता में यहां का कार्य हो।

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—

अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा हम सबको आज की जो दुखद घटना हुई उसके लिए बड़ा दुख है। हमारे वर्मा जी ने कह दिया, हमारी तरफ से तो हम कह चुके हैं, कृष्णानन्द राय ने कहा उनको बड़ा दुख है। अब अधिष्ठाता महोदय, हमें चाहिए कि हम उनके विवेक पर छोड़ दें कि जो वह उचित समझें करें। हमने तो अपनी तरफ से कह दिया, खेद प्रकट कर दिया। मैं समझता हूं कि वही काफी है, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने कर दिया, अब उनका विवेक चाहे तो आज कर दें, कल कर दें और चाहे परसों कर दें। न भी करें तो हमने तो अपनी तरफ से कर ही दिया है।

*श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो घटना आज घटी है, जिसके प्रति माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने विचार प्रकट किए हैं, मैं भी उनके विचारों से अपनी सहमति प्रकट करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे खेद है, अभी विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपने विचार प्रकट किये और उसी सम्बन्ध में माधव बाबू ने एक सुझाव भी दिया कि जो घटना घटी उसके लिए सभी पार्टियों के नेता लोग चलकर उपाध्यक्ष जी से यहां आने की बात करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकरन सिंह]

उस सम्बन्ध में मान्यवर, कुछ और भी नेताओं ने अपनी बात कही है। मुझे इस बात का खेद है कि बजाय इसके, कि कुछ भाइयों ने यह कहा कि सदन की गरिमा सदन के सदस्यों से है और वहां से भी है। यह सही है कि सदन की गरिमा अध्यक्ष से है और पीठासीन व्यक्ति की गरिमा सदन से है। यहां खेद प्रकाश करने की बात थी। माननीय कृष्णानन्द राय ने अपनी बात कही है काफी विस्तार से कही है । उन्होंने जो बात भाषण में कही ऐसा लगता है, उपाध्यक्ष जी ने कहा और उदाहरण स्वरूप उन्होंने कहा कि अगर हम अध्यक्ष को हटा सकते, या उपाध्यक्ष जी को कुर्सी से हटा सकते तो इधर न बठते उधर बैठते । मैं आपसे निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय ने ईमानदारी से सदन की गरिमा की रक्षा की है। जिस वक्त किसी माननीय सदस्य ने उपाध्यक्ष के ऊपर उनके व्यक्तिगत व्यवहार पर आक्षेप किया है, उपाध्यक्ष महोदय स्वयं इस बात को कह कर गये, कि माननीय कृष्णानन्द राय अपने दल के किसी मेम्बर को वहां बैठाएं और बैठा कर जो फैसला कर देंगे वह हमको मान्य होगा, चाहे मुझे आना पड़े या न आना पड़े। इस प्रकार उन्होंने अपनी गरिमा के साथ सदन की गरिमा को स्वयं कबूल किया है। जो बात पैदा हुई, वह कैसे सुचारुरूप से निभ सकती थी, उस तरफ सदन का ध्यान खींचने का प्रस्ताव माननीय त्रिपाठी जी ने किया। माधव बाबू ने उसको मान कर चाहा कि कोई रास्ता निकले, उपाध्यक्ष जी से चल कर कहें। इस पर माननीय जायसवाल जी ने कहा कि उपाध्यक्ष जी कुछ आवेश में रहे हैं, उनको जरा ठंडा हो जाने दें। वह अपने आप चले आयेंगे। ये सब बातें इस सदन की गरिमा के लिए नहीं उचित हैं। मैं पुनः सभी नेताओं से इस बात को कहता हूं कि यह बात सही है कि हम सब की गरिमा अध्यक्ष की कुर्सी की गरिमा से है, मेरा निवेदन है कि 'सब नेता चल कर उपाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करें कि वह अपनी कुर्सी पर आएं और उसके बाद कार्यवाही चलाएं। यह मेरा आप सब लोगों से निवदन है।

श्री बंशीधर पांडेय--

अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे सभी दलों के नेताओं ने और उधर से माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी इस बात को कहा, मुझे खेद है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने केवल एक पक्ष को उपस्थित किया, श्री कृष्णानन्द राय जी ने जो बातें कहीं उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में। नेता सदन का कर्त्तव्य है, मैंने पंडित जी से उस दिन जो चौधरी चरण सिंह ने प्रश्न उठाया था उसको मैंने आज सवेरे उठाया था, कि उपाध्यक्ष जी को माननीय मुख्य मन्त्री जी बुलाएंगे और सारे दलों के नेताओं को बुला कर विचार करेंगे जब आपने तय किया है आपने तय किया था कि तीन क्वेश्चन से ज्यादा सप्लीमेंटरी नहीं होंगे। कृष्णानन्द राय जी ने जो बातें कहीं, जैसे जायसवाल जी ने कहा हमारे बहुत से साथी ऐसी परिस्थितियों में कभी कुछ बातें कह जाते हैं और जब स्वयं उस परिस्थिति में पड़ते हैं, तो सारी प्रोसीडिंग को निकाल कर पढ़ा जाय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सबसे अधिक आचार संहिता का पालन इस दल ने किया है। लेकिन यह बात जरूर है कि कुछ राजनीतिक दृष्टियों से कुछ लोग दूसरा अर्थ लगाने लगते हैं। अभी एक साहब ने कहा कि उपाध्यक्ष का आदर करते रहे हैं और करेंगे।

अगर प्रोसीडिंग निकाल कर देखी जाय तो इस हाउस के अन्दर ज्यादा प्रहार किये हैं। आप देखें प्रोसीडिंग को। तो घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलता है। गांधी ने कहा था, मैं रेस्पेक्ट रखता हूं पीठासीन व्यक्ति के लिए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिष्ठाता के प्रति। जैसा जायसवाल जी ने कहा, आप बताएं, मैं आपके सामने क्वेश्चन पोज कर रहा हूं। जब इस कुर्सी पर कोई बैठा हो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा अधिष्ठाता तो उनके हाथ में होता है सदन और सदन के सदस्यों की मान मर्यादा की रक्षा करना लेकिन नियमावली के अनुसार आज बहुमत के साथ में अर्थात इस सरकार के हाथ में सदस्यों की प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, सदस्यों को इंगित करना और उनको सदन से निकालना, चला गया है। तो क्या

यह सही मानों में लोकतंत्र है? कृष्णानन्द राय जी ने बहुत मार्मिक शब्दों में कहा था कि उस कुर्सी पर बैठ कर आप किसी सदस्य को ५ साल, १ साल, ६ महीने अथवा १ घंटे के लिए निकालने का प्रस्ताव कर सकते हैं। लेकिन बार-बार सवाल यही उठाया गया है कि जब इस तरफ से जवाब देने वाले मन्त्रियों की तरफ से सही जवाब नहीं आता है और प्रश्न बार-बार उठाये जाते हैं कि उन जवाबों और प्रश्नों के बीच में विनियमन कौन करेगा? मन्त्रियों ने कई दफा ऐसे उत्तर दिये हैं जो निरर्थक हैं। विशेषाधिकार के वह प्रश्न बन जाते हैं लेकिन हमने उनको तरह दी और उनको होने दिया।

कृष्णानन्द राय जी ने कोई नई बात नहीं कही। प्रोसीडिंग्स देखें तो सैकड़ों सदस्यों ने उससे भी बढ़ चढ़ कर बातें कही हैं। नारायण दत्त तिवारी जी इस समय संसदीय कार्यों के मन्त्री हैं जब वे इधर बैठते थे तो तीन चार दफा कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। कार्यवाही में उनको देखा जा सकता है। मेरा निवेदन है कि आदमी कहने से पहले अपनी करनी को भी देखें। इसलिये कथनी और करनी में विभेद करते हुए कोई सदस्य जोश में ऐसी बातें न कहा करें क्योंकि इधर के लोगों को कल उधर जाना हो सकता है और उधर के लोगों को इधर आना हो सकता है। ६ महीने के अन्दर एक ही सदस्य दो प्रकार की बात कहे, यह गलत होगा। कृष्णानन्द राय जी ने यही कहा कि चेयर से रनिंग कमेंटरी और रिमार्क्स नहीं होने चाहिये और चेयर का भी कर्त्तव्य है कि वह सदस्यों की मान-मर्यादा की रक्षा करे। हम चेयर का आदर करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। हम कभी ऐसी बातें कहते नहीं लेकिन आज ऐसी बात आ गई कि इस पर सबको विचार करना चाहिये और सबके विचार के साथ उपाध्यक्ष जी को स्वयं भी विचार करना चाहिए।

मैं एक दृष्टांत को निवेदन कर दूं। फैजाबाद में कान्फ्रेंस हो रही थी। मुझको अच्छी तरह से मालूम है उसमें बड़े-बड़े नेता थे। पं० जवाहर लाल नेहरू की बात में कहता हूं। वहां पर एक प्रस्ताव पास हुआ कि जिला परिषद् और म्यूनिसिपल बोर्ड के जो सदस्य हैं वह जिला कांग्रेस के पदेन सदस्य न बने। पं० नेहरू ने कहा कि इसमें एम०एल० एज० तथा एम०पी० को भी जोड़ दिया जाय। लेकिन कुछ सदस्यों ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। मोहन लाल सक्सेना उस समय प्रिसाइड कर रहे थे। पं० नेहरू उनके पास पहुंचे और उनको उठा कर ले गये। श्री श्रीप्रकाश जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया और कार्यवाही चलने लगी। बाद में पं० नेहरू ने स्वयं अपनी गलती महसूस की। लौट कर आये और श्रीप्रकाश जी से कहा कि आप १५ मिनट के लिये मीटिंग मुल्तवी कर दीजिये, हम सब इस पर विचार कर लें। १५ मिनट बाद जब मीटिंग फिर शुरू हुई तो देश के इतने बड़े और महान नेता ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। मेरा कहना यही है कि हम भी उनका अनुकरण कर के ऐसी बातें न करें उस कुर्सी पर बैठ कर। तो उपाध्यक्ष महोदय को भी इस पर सोचना होगा। मैं मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनकी भावनाओं का हम आदर करते हैं। लेकिन वह नियम बनवायें। दो ही सप्लीमेंटरी क्वश्चेन्स किये जायं तो तीसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकेगा। आप इसको मानते हैं तो हम भी मानने के लिए तैयार हैं किन्तु जिस बात पर आप मेरे लिए रोक लगाते हैं वही दूसरे के लिए भी करने की कृपा करें। यह बात इस सारे सदन से संबद्ध है अतः जितने भी पार्टियों के नेता हैं वे इस बात को माननीय उपाध्यक्ष जी भी समझाइए। जैसा आप माननीय कृष्णानन्द जी के बारे में कहते हैं वही चीज आप उपाध्यक्ष से भी कहिये। कृष्णानन्द जी नहीं ज्यादा जिम्मेदारी तो माननीय उपाध्यक्ष की हो जाती है कि वे सभी मयननीय सदस्यों से न्यायपूर्ण बात करें और रनिंग कमेन्टरी न किया करें।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

माननीय सदस्य, वाराणसी ने अपने शब्दों में मेरे संबंध में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और उन्होंने "चुनौती" शब्द का भी प्रयोग किया कि जब मैं उधर बैठता था तो ऐसी बातें कहता

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

था। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मैंने कभी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिनका कि वे उल्लेख कर रहे हैं....

श्री बंशीधर पांडेय--

मैंने तो यह कहा कि जब आप विरोध पक्ष में बैठते थे तो कुछ ऐसी बातें कहते थे। बोलते समय कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं किन्तु मेरा मतलब व्यक्तिगत आक्षेप से नहीं था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, जब कभी भी ऐसी दुखद घटना घटित होती है तो विवाद द्वारा उसके सुलझने के बजाय वह घटना और उलझ जाती है। हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि आरोप और प्रत्यारोप से कोई मामला सुलझता नहीं है। विवाद करने से बहुत सी चीजें सामने आ जायेंगी। इसलिए इस विषय पर अधिक न कहकर सिर्फ यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस मसले पर अब वाद-विवाद न करें और जो कदम उठाना है जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुझाव रखा है तदनुकूल उसे हम करें और अन्य बातों में न उलझें।

*श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

मैं इस माननीय सदन की भावनाओं से अपने आपको संबद्ध करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक इस विषय हम लोग चर्चा न करें, उस पर अपने विचार व्यक्त न करें तब तक यह परिस्थिति पैदा होती रहेगी। यह आज की कोई नई परिस्थिति नहीं है। यह सदन में आखिर क्यों हुआ करती है इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और उसके बारे में सोच विचार कर कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। अगर आप इस परिस्थिति पर विस्तार से विचार नहीं करेंगे, तब तक यह चीज हमेशा के लिये बनी रहेगी। यहां पर कितने ही माननीय सदस्य ऐसे हैं जो बैंक बेंचेज हैं, उनको अपनी बात रखने का मौका ही माननीय उपाध्यक्ष नहीं देते हैं और अगर माननीय सदस्य अपनी बात कहना भी चाहता है तो वे माननीय सदस्य डांट भी देते हैं। तो वे खुद इस प्रकार का सदन में वातावरण पैदा करते हैं जिससे सदन की कार्यवाही चल नहीं पाती है। जब वे गुस्सा हो जाते हैं तो माननीय उपाध्यक्ष भी अपना संतुलन भी खो बैठते हैं। तो मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर पूरी तरह से आज विचार किया जाय। यह बड़ा गंभीर प्रश्न है। जब तक हम लोगों और माननीय उपाध्यक्ष के बीच विचारों में सामन्जस्य नहीं होगा इस प्रकार का असंतोष बारबार माननीय सदस्यों में उठता रहेगा और समय-समय पर ऐसी परिस्थिति पैदा होती रहेगी। अतः मैं सभी पार्टियों के नेताओं से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले में विचार करें और अपनी भावनाओं से माननीय उपाध्यक्ष को अवगत करा दें।

मैं एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं। एक बार बांकेलाल जी और कुछ अन्य सदस्यों ने एक प्रश्न उठाया था कि एक ही दल के कुछ माननीय सदस्यों को लगातार---आप प्रश्नावली उठाकर देखें तो पता चल जायगा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के लिए निवेदन किया और उनका एक भी सवाल नहीं आया और कुछ लोगों को लगातार अवसर मिला। तो मैं उपाध्यक्ष की तरफ कोई लांछन नहीं लगाना चाहता लेकिन उनके कार्यवाही विभाग के अन्दर, सूचना विभाग के अन्दर, प्रश्न विभाग के अन्दर ऐसी कोई बात है, कि कुछ माननीय सदस्यों के लगातार सवाल चले आ रहे हैं और कुछ माननीय सदस्यों के न सवाल आए हैं बल्कि उनका नम्बर ही नहीं आते पाता। तो किस प्रकार आखिर अपने क्षेत्र और जनता की भावनाओं को हम यहां रखें? मैंने परसों एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपाध्यक्ष जी से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा कि यह इलाहाबाद के इंजीनियरिंग कालिज का है, इसको स्वीकार किया जाय, पूरे प्रान्त से संबंधित है, लेकिन उसको अस्वीकार कर दिया । (व्यवधान)

तो ये सब बातें हैं, जब तक सदन विस्तारपूर्वक इन पर विचार नहीं करेगा, कार्यवाही आगे चलने वाली नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

सभी नेताओं ने अपने अपने भाव इस प्रश्न के ऊपर रखे । इस पार्टी से भी ३--४ सदस्यों को बोलने का अवसर मैंने दिया क्योंकि उनसे यह मामला संबंधित था । अब इस विवाद को समाप्त किया जाय और मुख्य मंत्री जी की बात इस मामल म सुन लें ।

(आवाजें---ग्रांट ले लें ।)

*श्री कमलापति त्रिपाठी--

ग्रांट तो ले लूंगा । लेकिन मैं समझता हूं कि शिकवा-शिकायत बहुत हो चुकी और अपने मन की भावनाएं जो थीं वह सब लोगों ने व्यक्त भी कर दीं---उपाध्यक्ष जी के संबंध में भी और उनके कार्य के संबंध में भी, और सभी ने यह स्वीकार किया कि किसी का यह मंशा नहीं है कि कि उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी या अधिष्ठाता जी, जो वहां बैठते हैं, उनका किसी कदर अपमान हो, और जो कुछ उसका कारण भी व्यक्त कर दिया गया । अब यदि सदन अनुमति दे तो अब उपाध्यक्ष जी को आमंत्रित कर लिया जाय और वह आगे, बैठें और फिर जैसा मैंने पहले कहा था---कृष्णानन्दजी ने कहा कि आपने कोई उपाय नहीं बतलाया तो मैंने तो पहले ही निवेदन किया था कि उनको बुला लिया जाय और वे स्वयं ही जो मनों में भ्रांति है उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त कर दें, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दें तो यह किस्सा खत्म हो और काम चले । अगर सदन की इजाजत हो तो इसके पहले कि ग्रांट उपस्थित करें, मैं उन्हें आमंत्रित कर लाऊं ।

कुछ सदस्य--

ठीक है, ठीक है ।

(मुख्य मंत्री श्री उपाध्यक्ष को उनके कक्ष से बुलाने के लिये गये ।)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

जब तक माननीय मुख्य मंत्री जी गये हैं और उपाध्यक्ष जी आवें..

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना स्थान ग्रहण करें । दोनों पक्षों ने सहमति दी थी, उस आधार पर मुख्य मंत्री जी गये हैं । आप उतनी देर प्रतीक्षा कीजिए, उसके पश्चात् जो कहना है वह कहें । आप स्थान ग्रहण करें ।

(इस समय १ बजकर २५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री उपाध्यक्ष--

सदन के माननीय सदस्यों, मैं किसी से क्षमा की याचना करना अच्छा नहीं समझता । सभी गलती कर सकते हैं । आपसे भी गलती हो सकती है और हमसे भी हो सकती है इसलिए जिन लोगों ने भी क्षमा शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं चाहूंगा कि वे उसको वापस ले लें । किसी से किसी को क्षमा करके एक प्रश्न ही नहीं है । संसदीयता का जहां तक संबंध है जो बातें कही गयीं उनमें मिथ्या या झूठा कहना यह मैं संसदीय नहीं मानता । कोई किसी को झूठा नहीं कह सकता और ऐसा मैंने कहा भी नहीं है । "मिथ्या" शब्द किसी कथन के लिए आ सकता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री उपाध्यक्ष]

अब रही क्रोध वाले मामले की बात। जब मैं बच्चा था तो मेरी मां ने मुझको बाघ का मास घिस कर खिला दिया था। तो क्रोध तो आ ही जाता है, लेकिन वह केवल तात्कालिक होता है। मैं जन्म से राजपूत क्षत्रिय घर में पैदा हुआ अब तो सोशलिस्ट हूं। बचपन में मां ने शेर का मांस घिस कर खिला दिया था। यद्यपि गांधीजी और लोहिया जी की अहिंसात्मकता में मेरा विश्वास रहा है और उसको सभ्यता के प्रतीक के रूप में मैं मानता हूं लेकिन कभी-कभी जंगलीपन आ ही जाता है। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं और इसीलिए मैंने यह कदम उठाना उचित समझा क्योंकि मैंने अपने मन में यह प्रतिज्ञा की है कि अगर किसी दल के किसी नेता को मेरे किसी कार्य में बदनीयती झलकती है और अगर वह यह मुझसे ऐसा कहता है तो मैं एक क्षण को भी नहीं रहूंगा। एक के कहने पर ही चला जाऊंगा। माननीय कृष्णानन्द जी ने कहा कि अगर वे इस कुर्सी पर होते तो अविश्वास का प्रस्ताव लाते। मैं उनसे अभी भी कहता हूं कि किसी दल का नेता यदि मुझसे कह दे कि आपको हट जाना चाहिये तो मैं अभी अपनी पुरानी बात को दुहराता हूं कि मुझे उस हालत में एक क्षण को भी संकोच नहीं होगा और मैं इस पद को त्याग दूंगा। तो अब बहुत ही बातें हो गयीं, आज का आगे का कार्य शुरू किया जाय।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपके लिये गंडा तावीज बनवा कर ला सकता हूं।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इलाहाबाद से तीन तार मेरे पास आ चुके हैं। एक तार आज भी आया है। वहां के बाघंबरी, अलोपीबाग और बलुआघाट जल मग्न हो रहे हैं। जमुना और गंगा का पानी बढ़ रहा है। अतः माननीय मुख्य मंत्री जी इलाहाबाद के जिलाधीश और अधिकारियों को इस तरह का निर्देश दे दें कि उन बस्तियों को तथा ४-५ सौ गांवों में जो पानी भर गया है और बाघंबरी गद्दी के १ हजार मकानों में पानी भर गया है। उनको बचाने के लिए तुरन्त निर्देश दे दिए जाएं। इसके बारे में मैंने नियम ५१ की भी एक सूचना भेजी है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज की कार्यवाही का वह अंश निकाल दिया जाय जिनकी वजह से यह सारा वाद-विवाद प्रारंभ हुआ।

श्री उपाध्यक्ष---

जो बाद भी इस सदन में हुई है, उसको रहने देने में कोई हर्ज नहीं है। अब आगे कार्य किया जाय।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

श्रीमन्, आप आदेश कर दें कि यह जो कुछ आज सदन में हुआ है वह अखबार में न छपे।

श्री उपाध्यक्ष---

दो नियम नहीं हो सकते। अगर अखबार को निर्देशन देना एक बात के लिए गलत है तो दूसरी बात के लिए भी गलत है।

श्री रियासत हुसैन---

मैंने निवेदन किया था कि जिन अंशों के ऊपर यह सारी बात हुई उन अंशों को आज की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। किसी अंश को निकालना ठीक नहीं है। जैसा हमारा व्यवहार है उसके अनुरूप जैसे हमारे शब्द निकलें, अगर हम शब्द से व्यवहार को शासित करें तो अच्छा है लेकिन व्यवहार ही प्रधान होना चाहिये। इसलिये संसदीय असंदीय की बात मैं नहीं कहता। माननीय जायसवाल जी ने संसदीय असंसदीय की बात कहीं लेकिन बहुत शब्द ऐसे हैं जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और मैंने शिक्षा ग्रहण की है। उनका शब्द से व्यवहार भिन्न हो रहा है लेकिन मैं अपनी जगह पर हूं।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

जो अंचल जी का प्रस्ताव था उस पर आपने क्या निर्णय दिया ?

श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी गढ़वाल)---

मेरा एक प्रदन संख्या ४ था जोकि पहले भी स्थगित हुआ था और आज भी जिस ढंग से उत्तर आया है अगर ऐसे ही उत्तर आएं तो ह। उत्तर प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व यहां पर नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष---

यह कैसे बताऊं। आप लिखकर दीजिएगा। नियमानुसार होगा तो देखेंगे।

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)---

मान्यवर, नियम ४९ में जो मैंने दिया है उसके संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने दिया है तो उस पर विचार होगा।

कार्य-मत्रंणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष---

अब कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी २६ जुलाई, १९७१ की बैठक में सदन के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं---

१---दिनांक ९, १२ व १६ अगस्त, १९७१ को सदन के उपवेशन न हों। अब आपको १६ अगस्त के बारे में फिर विचार करना पड़ेगा क्योंकि १६ के लिये माननीय नेता, भारतीय क्रान्ति दल ने यह मुझको बाद में बताया कि जो उनकी कौन्फ्रेस १६ को होने वाली थी अब वह १६ को न होकर २८ को होगी। इसलिए मैं आपके सामने रखता हूं, जैसा आप निर्णय करेंगे।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

जो कार्य २८ को होने वाला है वह १६ को रख दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका मन्तव्य यह है कि १६ तारीख को कार्य रहे और २८ को अवकाश रहे ?

श्री महीलाल---

जी हां।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

यह नहीं हो सकता क्योंकि २८ को विनियोग विधेयक भी है। वह १६ को लिया नहीं जा सकता क्योंकि विनियोग विधेयक तो सबके बाद में आता है।

श्री कृष्णनन्द राय (जिला गाजीपुर)--

कार्य-मंत्रणा समिति में यह भी दिया हुआ था कि सूचना विभाग की मांग पर विवाद नहीं होगा। लेकिन जब चूंकि भारतीय क्रान्ति दल की तरफ से आया है कि १६ तारीख को सदन बैठे तो मेरी प्रार्थना यह है कि पार्लियामेन्टरी अफेयर्स के मंत्री साहब ऐसा ऐडजस्ट कर लें कि सूचना विभाग की ग्रांट पर भी दो-दो घंटे विवाद हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा क्यों न किया जाय कि फिर कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक कर के तय कर लिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सारी बातें तय हो गयीं हैं। सिर्फ सूचना विभाग की बात है।

श्री उपाध्यक्ष--

९ और १२ का तो तय है ही। प्रश्न १६ के बारे में आता है। ९ अभी दूर है। इसलिए क्यों न शाम को बैठक कर तय कर लिया जाय ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

१६ तारीख आप रहने दें।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

महीलाल जी ने कार्य-मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया है और वीरेन्द्र वर्मा जी ने भी इस्तीफा दे दिया है तो उनकी जगह आपने डिप्टी मिनिस्टर को नियुक्त कर दिया है और हमारी एक जगह रह गई है। इसलिए उस पर आप निर्णय कीजिए। यह जो आप कर रहे हैं यह सर्वसम्मत निर्णय नहीं है।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)--

कल सुबह के लिए कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुला लीजिए तो इसके बारे में तय कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

इन सब बातों पर विचार करने के लिये इसको वापस ले लिया जाता है।

१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १०--सामान्य प्रशासन अनुदान संख्या ११--आयुक्त और जिला प्रशासन तथा अनुदान संख्या १५--पुलिस

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १०--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,०६,२१,७००रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १४९ १०—सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या ११ —आयुक्त और जिला प्रशासन तथा अनुदान संख्या १५—पुलिस

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,४५,४४,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १५—पुलिस के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १५,९७,८९,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, समय बहुत हो गया है और बहुत देर से यह अनुदान प्रस्तुत किया जा रहा है तो मैं सदन का बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे माननीय सदस्यों की राय सुनने के बाद जो वे कृपा करके सुझाव देंगे उनको जानने के बाद और जिन दिशाओं की ओर वह संकेत करेंगे उन्हें समझने के बाद उनका उत्तर देते समय जो आवश्यक समय होगा ले लूंगा। इस समय केवल इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक अनुदान संख्या १० का संबंध है गतवर्ष इस अनुदान में जो ७०–७१ में स्वीकृत हुआ था उससे आज जो अनुदान मांगा गया है उसमें करीब-करीब २३,८८,५०० रुपये अधिक हैं, वृद्धि हुई है। वृद्धि मुख्य रूप से अधिकारियों (इस समय १ बज कर ३९ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर पीठासीन हुए) कर्मचारियों के वेतन पर तथा महंगाई भत्ते और जो आकस्मिक व्यय होते हैं उनके कारण हुई है साथ ही साथ जो वेतन आयोग गठित हुआ है उसकी सिफारिशों को कार्यान्वियन के लिये इसमें प्राविधान की व्यवस्था की गई है। दूसरे सचिवालय में विभागीय अधिकारियों का पुनर्गठन हुआ है उसमें अनुसचिव, उप सचिव, निजी सचिव उनके वेतनक्रमों में सामन्जस्य स्थापित करने में, ६२ में जो कमेटी थी, उसके हिसाब से पी० सी० एस० में कुछ के कारण जो स्थान हुए हैं उसके अनुसार इसमें वृद्धि हुई है।

(इस समय १ बजकर ३९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

मान्यवर, जहां तक जिला प्रशासन का संबंध है सामान्य प्रशासन में शासन के सभी विभाग आ जाते हैं। आप के सचिवालय का, राजभवन का और मंत्रि-परिषद् का एक हिस्सा आता है जो सामान्य प्रशासन में है, इसमें आयुक्त, जिलों के अधिकारी और जिलों के तमाम विभाग आते हैं। सामान्य प्रशासन में इस वर्ष २३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और जिला प्रशासन में भी इस वर्ष वृद्धि करीब १,५२,७४,००० रुपये की हुई है और यह भी बढ़े हुए वेतन, भत्तों और आकस्मिक व्यय के कारण से हुई है।

मैं अधिक समय न लेकर पुलिस के संबंध में केवल इतना कहूंगा कि इस अनुदान में भी जो वृद्धि हुई है वह ९९,१२,६०० रुपये के करीब हुई है। यह भी वेतन, भत्ते और महंगाई भत्ते आदि में जो वृद्धि होती है उस को लेकर है और पुलिस विभाग में कुछ अधिक भरती हुई है और आवश्यकतानुसार कुछ अधिक खर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से अनुदान पर भारतवर्ष में कुछ न कुछ बढ़ जाता है। मैं सदन के सम्मुख इन अनुदानों को पेश करते हुए यहा आशा करूंगा कि माननीय सदस्य सरकार को सुझाव भी दें, वह इस की त्रुटियों की ओर तो ध्यान दिलायेंगे ही और जो कुछ भी उनके प्रस्ताव होंगे उन पर सहानुभूतिपूर्वक हम विचार ही नहीं करेंगे बल्कि संकल्प के साथ हम उन पर विचार करने की चेष्टा करेंगे क्योंकि शासन में त्रुटि तो होती ही हैं और वे बहुत दिनों से बार-बार सामने आती हैं, कुछ में सुधार भी हुआ है, नई भी उत्पन्न हुई हैं। फिर भी सदन को अधिकार है कि वह उनकी ओर प्रशासन का ध्यान दिलाये और उनके सुझावों से लाभ हम उठावें और काम करें। प्रशासन का कर्त्तव्य है कि जनता का जो चुना हुआ एग्जिक्यूटिव है जो जनता के और सरकार के बीच में एक पुल की तरह है और यहां जो जन-प्रतिनिधि बैठते हैं वह जो सुझाव देंगे उनमें वह जनता की भावनाओं को प्रकट करेंगे और यह आवश्यक है कि हम गम्भीरतापूर्वक उन पर

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

विचार करें और शक्ति भर उन को कार्यान्वित करने की चेष्टा करें । मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या १०, ११ व १५ को माननीय सदन की सेवा में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

श्री चरण सिंह, आप कितना समय लेंगे ?

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

आप की सुविधा के अनुसार ही समाप्त करने की कोशिश करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

समय कम है, २ घंटे में आप समाप्त कर लें ।

*श्री चरण सिंह—

चाहता तो मैं ३ घंटे था लेकिन २ घंटे में समाप्त करने की कोशिश करूंगा, अगर कुछ ज्यादा हो जाय तो आप मेहरबानी कर के इनडलजेंस न करें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०,११ तथा १५ के अन्तर्गत मांग की धनराशियों को घटा कर एक-एक रुपया कर दिया जाय ।

मैं यह कह रहा था कि मेरा इरादा अब के इस सेशन में कोई भाषण आदि देने का नहीं था लेकिन कुछ उस हद तक प्रशासन पहुंच चुका है। कि मैं यह समझता हूं और कभी-कभी मेरे मन में यह खयाल आता है, पूरी राय तो कायम नहीं की, कि भाषण आदि देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, देश और प्रदेश की स्थिति में । जिन लोगों ने सारी उम्र लगा दी अपने देश के उत्थान में, जनतंत्र को मजबूत करने में वे मजबूर हो गये हैं यहां कहें या न कहें, कम से कम इस पर विचार करने के लिए कि जिस ढंग से हमारा देश चल रहा है, हम सब लोगों की कोशिश है कि जनतंत्र मजबूत हो और देश उसके रास्ते तरक्की करें । आया इस में कुछ विचार तब्दील करने की जरूरत है तो मेरे मन में भी कभी-कभी यह विचार आता है कि क्या फायदा और क्या नतीजा है कहने सुनने से । इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता हूं । तो मैंने ३ कटौती के प्रस्ताव पेश कर दिये । पेश्तर इस के कि मैं कुछ अधिक बातों के बारे में कहूं, मैं एक छोटी सी बात की ओर माननीय मुख्य मंत्री और मंत्रिमंडल के जो दोस्त हैं, और सारे सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि अब हमारी कौंसिल चैम्बर ने, हमारे विधान भवन ने एक बाजार की शक्ल ले ली है, एक चौराहे की शक्ल ले ली है । मेला लगता है और मैं तो यह समझता हूं कि हमारे जो सेक्रेटरीज हैं, उनके सहयोगी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं या हमारे दूसरे स्टेट मिनिस्टर्स हैं या डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, जिस प्रकार से उन्हें सुचारु रूप से कार्य करना चाहिये, इस भीड़ भाड़ के कारण वे नहीं कर पाते होंगे । एक वातावरण है टेंशन का, दबाव का, मुलाकातों का । फिर जब हम सदन में आते हैं तो मुश्किल से रास्ता मिलता है । तो इसलिये जब कांग्रेस और बी०के०डी० की कोलिशन गवर्नमेंट थी, उस समय हमने अपने साथियों के सामने यह विचार रखा था कि इसमें, इस तरीके में, इस ढंग में हमें कुछ सुधार करना चाहिये । जहां तक मुझे याद है कि मेरे सहयोगी मुझ से सहमत थे । मैंने उस समय चीफ सेक्रेटरी को कहा था कि वे एक नोट तैयार करें और कैबिनेट स्तर पर इसको लावें । नोट तैयार हुआ लेकिन समय न मिल सका कि उसको मंत्री परिषद् की मीटिंग में पेश किया जा सके । तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस फाइल को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंगा लें और उस नोट को देख लें । जहां तक मुझे याद पड़ता है, उसमें यह था कि सिवाय विधायकों और अधिकारियों के, जिनको यहां काम करना पड़ता है, उनके अलावा किसी व्यक्ति को साढ़े ४ बजे से पहले इस विधान भवन के अन्दर, इस कौंसिल चैम्बर के अन्दर, आने की इजाजत नहीं होनी चाहिये । ताकि यहां पर एक शांति का वातावरण कायम कर सकें, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं कि साढ़े ४ के स्थान पर आप ४ बजे तक कर दें । और जितने दिनों तक सदन की मीटिंग होती है इन दिनों में देखने के लिये विजिटर्स आते हैं, आने चाहिये, लेकिन कुछ इस तरह का प्रबन्ध होना चाहिये कि वे लोग सीधे बाहर निकलें न कि यहां पर सारे कौरीडौर्स में भीड़ लगायें ।

इस संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री और उनके सहयोगियों का ध्यान माननीय राजगोपालाचार्य के इन शब्दों की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब स्वर्गीय अन्नादुराई चीफ मिनिस्टर, डी०एम० के० की ओर से थे, १९६७ में कहा था कि "कीप दि कौरिडौर्स क्लीन" । यह जो भीड़ लगती है कौरिडौर्स में इसको साफ रखेंगे । तो ज्यादा सफाई से मतलब सुनने और शांति से, अपने दत्तचित से और जनहित की दृष्टि से काम करना था। खैर तो मेरा मशविरा यह है कि आप इस पर जितनी जल्दी ध्यान दें उतना जनहित में कार्य सम्पादन करने में अच्छा होगा ।

दूसरी छोटी सी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष एक यहां आवाज उठी सदन की ओर से कि लैजिस्लेटिव कौंसिल को जो हमारे यहां की विधान परिषद् है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इसको अबालिश कर देना चाहिये । मेरी अपनी राय उस अबालिशन के खिलाफ थी और खिलाफ है । लेकिन मेरे अपने दल के लोग, उधर के जो लोग हैं, उनके दल के लोग सब की वास्ट मैजारिटी हमारे विधायकगण की इसके अबालिशन के हक में थी और सबसे बड़ी दलील यह दी जा रही थी कि विधान परिषद् की मेम्बरशिप का दुरुपयोग किया जा रहा है । जो लोग इलेक्शन में हार जाते हैं उनका नामीनेशन होता है । तो एक तरह से जनमत की अवहेलना होगी । मैं जानता हूं कि पालिटिकल लाइन में बहुत से प्रैशर और दबाव पड़ते हैं । क्योंकि वे जगहें खाली हैं, पालिटिकल पार्टी का लीडर मजबूर होता है, चलो, तुमको यहां एडजस्ट कर लें। लेकिन इससे ज्यादा एतराज जो था वह इस सदन के माननीय सदस्यों को इस बात का था कि नामीनेट करके लोगों को मिनिस्टर बना दिया जाता था । यह सब परिस्थिति थी । तो अध्यक्ष महोदय, इसलिये यहां से रैजोलूशन पास हो गया । फिर मेरी भी अपनी राय थी कि पुनर्विचार हो । माननीय त्रिपाठी जी की भी राय थी कि उस पर विचार हो । हमारे सहयोगियों की राय थी । इसलिये जो चार मैम्बर नामीनेट हो सकते थे उसको नामीनेट भी किया । मेरा एक सज्जन से वायदा था वे आज नाराज हैं उस पर । उससे पहले मैं नामीनेट कर सकता था । लेकिन मुनासिब नहीं समझा । माननीय त्रिपाठी जी ने भी नहीं किया । मुझे त्रिपाठी जी माफ करेंगे उन्होंने अपने मित्र को मिनिस्टर बनाया क्यों । उससे पहले बन जाते, बने ही हैं । लेकिन इस सब कांड की अभिव्यक्ति के बाद श्री पी०डी० टंडन को आपने इंफारमेशन मिनिस्टर बनाया । टंडन जी से मेरी कोई शिकायत नहीं है । मुझे कोई मौका नहीं है, मैंने उनका भी काम नहीं देखा । अगर देखा भी हो तो वास्ता नहीं है । न मैं समझता हूं कि उनसे मेरी नाराजगी होगी । कोई पर्सनल बात नहीं है । लेकिन जब मिनिस्टर की लिस्ट बनाने चले तो उनका नाम शामिल किया । मेरी इस सम्बन्ध में स्थिति जो पहले हो चुकी थी और सदन की राय जिसमें थी पूरी तरह से, आपने कैसे उनको नामीनेट कर दिया । कैसे मिनिस्टर बना दिया । मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है इस सदन के मत की अवहेलना करना है । वे मुख्य मंत्री हैं जो चाहें करें ।

[श्री चरण सिंह]

अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि डैमोक्रेसी में चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटर होता है। जैसे सदन के मामले में स्पीकर डिक्टेटर होता है उसी प्रकार से मुख्य मंत्री हैं और प्रधान मंत्री हैं। मुख्य मंत्री की और प्रधान मंत्री की पावर्स आज कल बहुत ज्यादा हैं और किसी की हिम्मत है इस बात पर एतराज कर सके। नहीं। मैं जानता हूं। लेकिन यह रेस्ट्रेन्ट, संयम, माननीय त्रिपाठी जी को स्वयं रखना है। इस पर मैं समझता हूं सभी दोस्तों की ओर से एक इजहारे-नाराजगी करना चाहता हूं।

अब मुझे कुछ और बातों पर आना है और उन्हीं पर मैं बल भी देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बी० के० डी० कांग्रेस मिनिस्ट्री ने एक अध्यादेश जारी किया था कि स्टूडेंट्स यूनियन का जो अनिवार्य होने का रूप है वह न रहे। वह ऐच्छिक हो। मेम्बर बना दिया जाय सबको। एक यूनियन है। एक यूनियन के न बनना चाहे तो ५, ७, १० हो जायं। इसी प्रकार की सिफारिश सन् ६४ में वाइस चांसलर्स की कांफरेन्स ने की थी। उसके बाद सन् ६७ में जो वाइस चांसलर्स की कांफरेन्स हुई उन्होंने भी यह सिफारिश की। एक महान् शिक्षा विद् हैं—डा० कोठारी। उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बैठा, उनकी भी यही सिफारिश है। सिफारिशों को छोड़ दीजिए। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि हमारे कालेजों और यूनीवर्सिटीज में बजाय इसके कि बच्चों का अध्ययन ठीक हो, बजाय इसके कि वह काबिल नौजवान बन कर इस गिरे हुए देश को उठाएं और अपने आप को योग्य बनाने का एक अवसर समझें, वहां बैटिल ग्राउंड फार पालिटीकल पावर बन गया। मुख्तलिफ पार्टीज ने हिस्सा लिया और उन लड़कों के जरिए देश या प्रदेश में अपनी राजनैतिक शक्ति बढ़ाने की कोशिश की। और बात यह कह दी कि कांग्रेस की जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी तो उस वक्त भी इन लोगों ने आन्दोलन में हिस्सा लिया था, हालांकि इससे उसका कोई मेल नहीं है। तो वहां पालिटिक्स हुई। कम्पलसरी जब आपने यूनियन कर दी तो उसका नतीजा यह हुआ कि चन्द ऐसे लड़कों के हाथ में वह यूनियन आ जाती थी जिनका पढ़ने की ओर ध्यान कम था। प्रोफेशनल स्टूडेंट्स या पालिटिशियन स्टूडेन्ट्स—दो चार को छोड़कर—के हाथों में अधिकतर सेक्रेटरीशिप और प्रेसीडेन्टशिप आयी। जो लोग पढ़ने की तरफ ध्यान देना चाहते थे वह इधर दिलचस्पी नहीं लेते थे। मास आफ दि स्टूडेन्ट्स, ९९ प्रतिशत उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। जबरदस्ती फीस मां-बाप से लेकर दाखिल करनी पड़ती है। मुझको तो एक जिम्मेदार अधिकारी ने यह बताया कि कुल यूनीवर्सिटी में ३० विद्यार्थी ऐसे हैं तो इस आन्दोलन की जड़ में हैं, बाकी लड़के नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरठ यूनीवर्सिटी की यह बात मुझे बतलायी गई और मैं समझता हूं वह सही होगी। जब हमारा आर्डीनेंस जारी हुआ उससे पहले फीस दाखिल हो चुकी थी कम्पलसरी यूनियन के सिलसिले में, और अध्यादेश के आने के बाद ७० प्रतिशत लड़कों ने अपनी फीस वापस ले ली। वह चुप नहीं बैठे रहे। तो अध्यक्ष महोदय, यूनियन का १५, २०, ३० हजार रुपया लड़कों के कब्जे में आया। उसका सदुपयोग नहीं हुआ, गलत चीजों में इस्तेमाल किया गया। वाइस चांसलर के खिलाफ एजीटेशन, अपने प्रोफेसर्स के खिलाफ एजीटेशन, एजूकेशन मिनिस्टर को गालियां, गवर्नमेंट के खिलाफ एजीटेशन, जलूस, स्ट्राइक। सन् ४९ या ५० से हर कालेज और यूनीवर्सिटी में कितने दिन स्ट्राइक हुई और कितने दिन बच्चे पढ़े इसके आंकड़े अगर देखें तो हैरत होगी। सितम्बर–अक्तूबर तक तो कोई पढ़ाई होती ही नहीं। उसका नतीजा यह हो रहा है कि हमारे लड़के जो देश के अन्दर एक प्रतियोगिता की बात होनी चाहिए उसमें बहुत पिछड़ गए। बल्कि कानून और संविधान के विरुद्ध आगे रहे। यहां से लड़के जब कभी हरियाणा वगैरह गए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन या सलेक्शन कमेटी के सामने गए और उनको मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं तो कहा कि आपकी जरूरत नहीं है, हम आपका इन्टरव्यू नहीं लेना चाहते हैं। तो यह हमारा एजूकेशनल स्टैंडर्ड बहुत गिर चुका है, बहुत गिर चुका है। उधर दक्षिण की यूनिवर्सिटीज हैं—मद्रास है, पूना है, बाम्बे है, सिवा

पूना में बेशक लड़कों ने वाइस चांसलर का १४ घंटे तक घिराव किया लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें लड़कों की गलती नहीं थी। जिस मसले को उन्होंने उठाया था उसमें उनकी बहुत गलती नहीं थी लेकिन फिर भी उनको यह नहीं करना चाहिये था। दिन रात वे मेहनत करते गवर्नमेंट आफ इंडिया की सर्विसेज में स्टेट के लड़के आते हैं। कम्पलसरी यूनियन नहीं है बनारस में, नहीं है अलीगढ़ में, नहीं है पूना में और जहां तक मैं जानता हूं बाम्बे में भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी खराबी यह थी कि टीचर्स का अनादर। जिस समाज में अपने गुरुजनों का आदर नहीं रहेगा वह कैसे उन्नति कर सकता है। इनविजिलेटर्स की हत्या, पिस्तौल निकाल लेना, चाकू निकाल लेना और फिर नकल हो रही है और यही नहीं—यूनीवर्सिटी के कुछ होस्टलों में हथियार पाये गये, शराब पायी गयी, बल्लम, पिस्तौल पाये गये और पुलिस वाले ऐक्शन करें तो आमतौर पर हमारी तरफ से यही होता रहा कि बच्चे हैं, छोड़ो, इसलिये वे भी कोई कार्यवाही नहीं करते थे और अगर करते थे तो उनको छोड़ना पड़ता था। जो हमारी बेटियां पढ़ती हैं, उनके ऊपर फिकराकशी। लड़कियां घर पर आकर कहती नहीं कि क्या कहें। लेकिन उस कम्पलसरी स्टुडेंट्स यूनियन ने एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है कैम्पस में कि हमारी लड़कियां यह महसूस नहीं करतीं कि हम यहां अपने भाइयों के साथ पढ़ती हैं। गार्जियन पेरेंट्स क्या करें? वे जानते हैं कि स्ट्राइक करके और उसकी हवा पैदा करके लड़के हमारे पैसे का दुरुपयोग करते हैं और इसका नतीजा यह हुआ कि जब आर्डिनेंस जारी हुआ तो आमतौर पर पेरेंट्स ने, स्टुडेंट्स, टीचर्स ने और खासतौर से लड़कियों ने इसका बहुत वेलकम किया। इसमें शिक्षा का कोई सवाल नहीं है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से इसका सम्बन्ध है, आर्डिनेंस कैंसिल किया गया था इसलिये उसके अन्दर यह आता है। अगर आप इसे शिक्षा की बात कहें तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं करीब-करीब इस सिलसिले में बात खतम कर चुका हूं और जब बात फिर सदन के सामने आयेगी तो मैं उसको अर्ज करूंगा। इस वक्त मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि वाइस चांसलर्स के खत आये, प्रिंसिपल्स के खत आये कि २० साल में यह पहला साल है जब कि शान्तिपूर्ण पढ़ाई हुई है और कोई स्ट्राइक या हड़ताल नहीं हुई है, बावजूद उनके बहुत से दोस्तों की कोशिश के। कुल ९० लड़के गिरफ्तार हुए डेढ़ लाख लड़कों में और वह भी पोलिटिकल भड़कावे में आकर।

खैर, उसके बाद संविद बनी बी० के० डी० और कांग्रेस की और यहां एक बिल पेश हुआ और उसमें तमाम संशोधन करके इस सदन ने उसको पास किया। जो आर्डिनेन्स पहले निकला था वह इसी असेम्बली में पास हुआ और कौंसिल में जाने पर उसे वापस ले लिया गया और यहां भी वापस लेने की बात थी। तो अध्यक्ष महोदय, यह क्यों? मैं पूछता हूं कि जब असेम्बली में यह बिल पास हो चुका भले ही दूसरी आप की राय थी, जो कुछ राय रही हो, सिर्फ मुख्य मंत्री के उन दोस्तों की राय थी। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल में १३—१४ सदस्य थे और सर्व सम्मति से यह अध्यादेश पास हुआ, और यह उन पोलिटिकल रीजन्स से पास हुआ which have nothing to do with public interest उसके खिलाफ आवाज उठी, क्योंकि माननीय त्रिपाठी जी कह चुके थे कि हम इसको वापस ले लेंगे। उसी पार्टी ने जिसके नुमाइन्दे सरकार में उस वक्त शामिल थे, तय किया कि इसको वापस ले लिया जाये। इसको वापस लेने का और कोई कारण न था सिवाए इसके कि पहली गवर्नमेन्ट एक बात कर गयी थी और इसको वापस लेकर यह दिखा दिया कि इनकी ताकत कितनी बड़ी है। मैं त्रिपाठी जी की ताकत को बहुत बड़ा मानता हूं। यह तो मैं पहले भी मानता था कि कांग्रेस पार्टी की भी बहुत बड़ी ताकत है—इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह कार्य जनहित के खिलाफ हुआ है और पोलिटिकल प्रोपराइटीज के विरुद्ध हुआ है। वह अध्यादेश उन सब की सहमति से जो उस वक्त सरकार में थे पास हुआ और फिर उसको वापस लेने की बात मेरी अक्ल में नहीं बैठती है।

[श्री चरण सिंह]

अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात है जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है ला एन्ड आर्डर की। शांति की जो व्यवस्था है वह दिन पर दिन खराब होती जा रही है। उसके कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि मैंने चाहे गलती की हो सक्सेना को आई० जी० बनाने में, मगर इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि वह एक बहुत ही एफिशेन्ट आफिसर था, था क्या है। वह बहुत एफिशेन्ड आई० जी० थे। जिस प्रकार आपने उनको रिप्लेस किया, हटाया, क्या है उसके पीछे। जिसको अब आई० जी० बनाया गया है, मुझे कोई व्यक्तिगत बात उस आफिसर के खिलाफ नही कहनी है, वह सुपरसीड हुए थे, डी० आई० जी० के पद के लिए जिस समय कि उस पद के लिए सिलेक्शन हुआ था। उस समय माननीय पन्त जी थे, यह उनके जमाने की बात है और दुनिया को मालूम है कि वह किस वजह से सुपरसीड हुए थे। मैं नहीं कहना चाहता उसकी बाबत। ऐसी कुछ और भी बातें थीं। सुपरसीड हुए और फिर उनको डी० आई० जी० बनाया गया, यह भी दुनिया को मालूम है कि किस कारण बनाया गया। मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहता जो कि इस समय संसार में नहीं है, मगर वे डी० आई० जी० बना दिये गये। सन् १९६७ में जब संविद की गवर्नमेंट बनी तो मैंने श्री जिया राम को आई० जी० बनाया। वे जूनियर पड़ते थे मौजूदा आई० जी० से। इन्होंने अपील किया या रिवीजन किया और कांग्रेस (आर०) की गवर्नमेंट ने उन लोगों की गवर्नमेंट ने जो आज कांग्रेस में है और माननीय चव्हान साहब, तत्कालीन होम मिनिस्टर ने उनकी अपीलों को टर्न डाउन कर दिया। उनकी अपील खारिज कर दी गयी। उन्होंने सब कुछ लिखा और यहां से गवर्नमेंट की तरफ से सब गया और मेरिट्स पर उन्होंने उनकी अपील को खारिज कर दिया। सन् १९६७ में उन्होंने स्पीच दी। ६० आदमियों की एक पार्लियामेंटरी कमेटी एडवाइस देने के लिए बनी थी और अनेक लोगों के सामने चव्हान साहब ने यह कहा था।

(श्री चरण सिंह जी के पास से एक माननीय सदस्य उठ कर पीछे जाने लग)

श्री अध्यक्ष—

क्या तकलीफ हुयी उनको ?

कई सदस्य—

सुनाई नहीं दे रहा था।

श्री चरण सिंह—

मैं इस से हट जाता हूं, मैं ज्यादा जगह घेरनी चाह रहा था।

अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि चव्हान साहब उस वक्त गवर्नमेंट आफ इंडिया में होम मिनिस्टर थे। नैनीताल में १३ जून, १९६८ को मीटिंग हुयी थी। कुछ आफिसरों के सामने और गालिबन कुछ नान-आफिशियल्स के सामने उन्होने यह कहा था कि इस्लाम अहमद साहब को आई० जी० न बनाने से गलती हुयी है। हमारे भाई बहुत नाराज हो गये इसलिए कि उनको आई० जी० बनाना है। दी देन यूनियन होम मिनिस्टर चव्हान साहब ने यह कहा था। अब जिया राम को तो हटाना मुश्किल था और वे भूले गये थे कि उन्होंने अपील को खारिज किया था, लेकिन पोलिटिक्ल कनसीडरेशन्स थे। इसलिये आई० जी० के एक नये पद का सृजन हुआ और २ आई० जी० हो गये उत्तर प्रदेश में। उनको दे दिया गया होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस।

अध्यक्ष महोदय, फिर गवर्नमेंट आई। युनाइटेड कांग्रेस थी और मुख्य मंत्री उस समय उस मुख्य मंत्री थे, तो उस समय क्यों नहीं जिया राम को हटाया लेकिन मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद सक्सेना हुए। अब सक्सेना को हटाकर उनको बनाया। मैं फिर अर्ज करना चाहत

हूं कि 'It was not in public interest, that was the matter of Tripathiji' यह जनहित में नहीं था। मेरी गलती हो सकती है सक्सेना को लाने में लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि इस्लाम अहमद को होना चाहिये था सक्सेना को हटाकर। उसके पोलीटिकल कारण थे जब उनको आई० जी० होम गार्ड स और पी० आर० डी० बनाया गया था, और अब भी सक्सेना को हटाकर आई० जी० बनान के पोलीटिकल कारण ह। ऐसा मने सुना है कि कुछ लोगों की ओर से जोर डाला गया कि बनाया जाय। मुझे मालूम हुआ है कि इस्लाम साहब में यह गलती थी कि अपनी बात पर जमे रहेंगे जो कि हर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर में होना चाहिये। अब ऐसा नहीं होगा ऐसा मैंने सुना है। अब कोई बात होगी और उसका पोलीटिकल रंग है तो उसके खिलाफ नहीं जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह साफ कर देना चाहता हूं कि मुझे कुछ आफिसर्स के नाम लेने होंगे। मुझे इसमें तकलीफ होती है कि आफिसर्स के नाम इस सदन के फ्लोर पर लिये जायं लेकिन अध्यक्ष महोदय हमारे सार्वजनिक जीवन में जिस प्रकार के घपले हो रहे हैं, उसके कारण मुझे कुछ बातें कहनी पड़ेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या चौधरी साहब को मालूम है कि मौजूदा आई०जी० को इसलिये बनाया गया कि उन्होंने दल बदल के समय मौजूदा सरकार बनने में मदद दी थी ?

श्री चरण सिंह—

जायसवाल साहब इसके उत्तर की मुझसे आशा नहीं करते होंगे। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि नाम लेने में मुझे तकलीफ होती है लेकिन एक गवर्नमेंट बदली और एक दूसरी गवर्नमेंट आई। तो यह तो ठीक है कि आप की राय हो कि यह आफिसर इफीशिएंट नहीं है तो दूसरा कर दीजिये लेकिन ऐसा नहीं है। होता यह है कि जो पिछले चीफ मिनिस्टर ने किया है, उस पर विश्वास नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां सचिवालय में भी और बाहर जिम्मेदार गजटेड आफिसर्स, हेड्स आफ डिपार्टमेंट हैं जिनकी लायल्टी में कोई फर्क नहीं आता है कोई भी चीफ मिनिस्टर हो। कुछ लोगों के लिये कहा जाता है कि चरण सिंह का आदमी है तो किस प्रकार से मेरा आदमी है यह पता नहीं चलता है। अगर मैंने किसी को एपायन्ट कर दिया तो मेरा आदमी कैसे हो गया ? गलती हो सकती है लेकिन अध्यक्ष महोदय, जजमेंट की गलती हो सकती है। मेरा कोई आदमी नहीं था और न है और हर ईमानदार आफिसर मेरा आदमी है और हर बेईमान आफिसर मेरा आदमी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं डायरेक्टर विजीलेंस का जिक्र करना चाहता हूं। डायरेक्टर विजीलेंस हमने जे०एन० चतुर्वेदी को बनाया। वह कानपुर में एस०एस० पी० थे और मेरे जमाने में फरवरी मार्च में उनकी तरक्की का वक्त आ गया था। डी० आई० जी० की कुछ जगह खाली हुई और उनका भी नम्बर आ गया। मैंने सुना था वह बहुत ही स्क्रुपुलस, बहुत ही इंकरप्टेबुल और बहुत ही इंटेलीजेंट अफसर हैं। जूनियर होते हुये भी मैंने उनको डायरेक्टर बिजीलेंस बनाया और इसलिये बनाया कि उनमें करैक्टर और एबिलिटी थी। उनका सात साल का सी०बी०आई० का और एस०पी० का तजुर्बा था। आई०जी० ने कहा बहुत जूनियर हैं। मैंने कहा "डज नाट मैटर। आदमी अच्छा चाहिये" अध्यक्ष महोदय, मुझे यह पब्लिकली ऐलान करने में खुशी होती है कि पुलिस के अन्दर चन्द स्क्रुपुलस आफिसर्स हैं, चन्द नहीं बल्कि अच्छी तादाद में हैं जो किसी अच्छे मुल्क की अच्छी जुडिशियरी

[श्री चरण सिंह]

में हो सकते हैं निहायत एबिल और निहायत ईमानदार । पुलिस के अन्दर चूंकि ऐसे आफिसर्स थे इसलिये मैंने कहा कि चुन-चुन कर उन्हें विजिलेंस में भेज दें क्योंकि उनकी रिपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट भरोसा कर सकेगी और ऐक्शन ले सकेगी । मुझे यह कहते हुए खुशी है कि उनसे जो उम्मीद थी वह पूरी हुई । They came to my exceptations. मैं इस पर और ज्यादा न कहते हुए कहूंगा कि जे०एन० चतुर्वेदी को हटाया गया और उनकी जगह राधेश्याम शर्मा को लाया गया । बनारस में वह एस०एस० पी० रह चुके हैं । मुझे उनसे कोई पर्सनल शिकायत नहीं है । गालबन मैंने ही उन्हें कानपुर भेजा था । कानपुर में उन्होंने अच्छा काम किया । कानपुर में गवर्नमेंट की आरमामेंट फैक्टरी से डाकू लोग हथियार लेते थे, उन्हें राधेश्याम शर्मा ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया । इस काम के लिये मैंने गवर्नमेंट के अलावा लैटर आफ कांग्रेचुलेशंस भी उन्हें भेजा । मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है । लेकिन सवाल उठता है कि चतुर्वेदी को हटाने की क्या जरूरत थी ? अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की चाहे जो भी राय हो लेकिन जो आफिसर्स जानते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी इस बात को कहने के लिये तैयार नहीं होगा कि—
J. N. Chaturvedi was less efficient than Radhey Shyam Sharma.

दूसरी एक और शिकायत मुझे है । मुख्य मंत्री से यह बात छिपी नहीं थी कि जब राधे श्याम शर्मा बनारस में, सीनियर सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस थे तो उनसे उनके पर्सनल ताल्लुकात थे । दुनिया को यह बात जाहिर थी । जब यह बात थी तो मुख्य मंत्री को और भी बचाव करना चाहिये था कि उन्हें इस पोस्ट पर लाते । जैसा मैंने कहा, मुझे राधे श्याम शर्मा से कोई शिकायत नहीं है । वह सही काम करने की कोशिश करेंगे । लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री को चाहिये था कि वह ऐसा काम करते जिससे दुनिया को यह मालूम होता कि निष्पक्ष काम हुआ।

इसी के साथ एक चीज और कह दूं । मिर्जापुर में सन् ६९ में एक कांड हुआ था- सतिया कांड । यहां सतिया कांड को एस०एस०पी० के लोगों ने उठाया । प्रोसीडिंग्स हुई । मैंने कोई दिलचस्पी नहीं ली । सच्चाई क्या है, मुझे आज तक नहीं मालूम । लेकिन इतना जरूर मालूम है कि इस सिलसिले में मेरे माननीय दोस्तों ने यह इल्जाम लगाया था कि राधेश्याम शर्मा साहब ने जिन लोगों के खिलाफ जुर्म लगाया था, उन लोगों में माननीय मुख्य मंत्री जी के साहबजादे भी थे । तो जब इस प्रकार का चार्ज लग चुका था तो हमारे माननीय त्रिपाठी जी को हजार बार सोचना चाहिये था पेश्तर इसके कि राधेश्याम शर्मा की उस पद पर नियुक्ति करते और ऐसे पद पर जिसको कि मैं आई०जी० के बराबर मानता हूं । लोगों ने तरह तरह की बातें कहीं कि साहब इसलिये कर दिया, मगर मैं यह कहूंगा कि उनको उनकी नियुक्ति के पूर्व हजार बार सोचना चाहिये था ।

एक बात का और जिक्र करूंगा । अध्यक्ष महोदय, कोई भी आज यह नहीं कह सकता कि सक्सेना से बैटर आफिसर को आपने आई० जी० बनाया है, श्री चतुर्वेदी से बढ़िया आदमी को आपने डायरेक्टर आफ विजिलेंस बनाया, या भगवन्तसिंह से बेहतर आदमी को आपने ए०पी०सी० बनाया । मैं कहता हूं कि मुझको मिस-अन्डरस्टैन्ड न किया जाय । मेरा किसी प्रकार किसी से ताल्लुक नहीं है, अगर ताल्लुक है तो सभी से एकसा है जैसा श्री सक्सेना से है, वैसा श्री त्यागी से है, वैसा ही श्री चतुर्वेदी से है ।

एक बात, अध्यक्ष महोदय, मैं और कहना चाहता हूं । मैं श्री डी० पी० सिंह को जो वाइस चांसलर, रुद्रपुर यूनिवर्सिटी के थे, ए०पी०सी० बनाना चाहता था न कि भगवन्त सिंह को । मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वे इसके लिये उनसे पूछें । इसी बीच वे यहां आये हुए थे । मैंने उनको बुलवाया । जब वे आये तो मैंने उनसे कहा कि तुम ए० पी० सी० के पद को संभाल लो । उन्होंने कहा कि मेरा मन वहां की सेवा में लग रहा है,

लेकिन मैं इसके लिये सोच कर बताऊंगा । बाद में उनका खत आया, उन्होंने इनकार कर दिया । उसके बाद मैंने श्री भगवन्तसिंह को बनाया । तो मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, और न ही मैं उनके सक्सेसर के मुताल्लिक कुछ कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब केवल यह है कि आपने जो रिप्लेसमेंट किये हैं वह पब्लिक इन्टरेस्ट को दृष्टि में रख कर नहीं किये हैं ।

एक बार जब मैं चीफ मिनिस्टर था, उस समय मैं एक एम०एल० ए० जो बलरामपुर में भर्ती थे, उनको देखने बलरामपुर अस्पताल गया । छुट्टी का दिन था । मैंने वहां देखा कि बहुत भीड़ थी । डाक्टर खरे वहां के सुपरिंटेंडेंट थे और अब भी हैं । मैंने डाक्टर खरे से कहा कि यहां बहुत भीड़ रहती है, क्यों न एक इतना ही बड़ा दूसरा अस्पताल बन जाय । उन्होंने कहा कि इसमें देर लगेगी, यहां जमीन पड़ी हुई है, अच्छा यह होगा कि एक दूसरा विंग बना दिया जाय तो उसमें ६० बैड्स आ जायेंगे । उन्होंने बताया कि इसकी स्वीकृति हो गयी है और बनाने के लिये रुपया पड़ा हुआ है, पी० डब्लू० डी० देर कर रही है । मैंने डिप्टी सेक्रेटरी, पी०डब्लू० डी० से बात की, सेक्रेटरी पी० डब्लू० डी० मिले नहीं, उन्होंने फिर फाइल भेजी । फाइल से जाहिर यह हुआ कि दो साल से नहीं बल्कि सन् ६३ में बजट में रुपया मंजूर हुआ था और वह डायरेक्टर आफ मेडिकल एंड हैल्थ के सिपुर्द कर दिया गया था और वह उनके पास है । क्यों नहीं बनी जब कि उनके यहां एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहता है ? मालूम हुआ कि मशविरा यह हो रहा था कि दो मंजिल बनाया जाय, ३ मंजिल बनाया जाय या एक मंजिल बनाया जाय । मंजिल का प्रश्न भी तय हो चुका था । तो क्या देर थी ? फौरन गवर्नमेंट को लिख देना चाहिये था । सात-सात साल तक डाले रहे, दबाये रहे , लेकिन उनको करने की फुर्सत नहीं मिली । ७ साल तक यही देखते रहे कि कितनी मंजिलें बनें । उनको क्या अधिकार था यह सोचने का कि कितनी मंजिलें बनें, देर करने का उनको क्या अधिकार था जब कि स्कीम मंजूर हो चुकी थी और रुपया भी मंजूर हो चुका था । यह काम एक हफ्ते में होना चाहिये था । हमने उनका जवाब-तलब किया, जिसका जवाब मौजूद है फाइल में सारा होपलेस है । मैंने उनको वार्निंग दे दी । उसके बाद हमें मालूम हुआ कि उनके खिलाफ डाइरेक्टर आफ विजीलेंस के यहां एक इंक्वायरी पेंडिंग है । हमें यह भी मालूम हुआ कि उनके रहते ७—८ सालों में अस्पतालों में जो करप्शन बढ़ गया है, वह हर डिपार्टमेंट्स से ज्यादा है ।

हम पहले सुनते थे कि पुलिस विभाग में या सिंचाई, इंजीनियरिंग आदि विभागों में बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन अब सुना यह जाने लगा है कि मेडिकल विभाग में—अस्पतालों में बड़ा करप्शन है । पहले एक डाइरेक्टर, श्री के०एम० लाल थे उनके समय में यह सब नहीं था । यह तो डाक्टर शर्मा के ८-९ साल के सेवाकाल में हुआ जाकर । इनको अस्पतालों का दौरा करने की, काम देखने की फुर्सत ही कहां है । डाइरेक्टर साहब को लीडरों और मिनिस्टरों के पैर छूने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो और काम कैसे हो ? कहां जायें टूर करने उनको यही खुशामद करने से समय नहीं मिलता है । मैं जानना चाहता हूं वह साढ़े आठ साल रहे तो उन्होंने बाहर जाकर कितने अस्पतालों को देखा है । मुझको अफसरों ने बताया है कि नियम है कि ५ साल से ज्यादा कोई डायरेक्टर नहीं रहेगा । इसीलिये जितने प्रिंसिपल मेडिकल कालेज थे, उनके पे आदि एमालूमेंट्स को बढ़ाकर हमने ठीक उतना ही कर दिया है, जो डाइरेक्टर का था । हमने इसीलिये यह किया कि प्रिंसिपल्स के स्थान पर डाइरेक्टर का ट्रांसफर किया जा सके । हमने दोनों की पोस्टों को ट्रांसफरेबेल पोस्ट्स कर दिया था । मैं जैसा कह रहा था कि मैंने सोचा कि विजीलेंस की रिपोर्ट जब जायेगी तब आयेगी, उसमें देर लगेगी तब तक जो सीनियरमोस्ट प्रिंसिपल हैं, उसको बुला लिया जाये और उनको वहां पर उनके स्थान पर प्रिंसिपल बनाकर भेज दिया जाये।

[श्री चरण सिंह]

उस समय मेडिकल कालेज मेरठ के प्रिंसिपल इसके योग्य थे यानी डाक्टर ओ०पी० त्यागी जिनको रिटायर होने में ६ महीने कुल बाकी थे । इसलिये उनको लाया गया था, मैंने उनसे (डा० शर्मा) कहा तुम मेरठ जाओ, ट्रांसफर आर्डर केवल। लेकिन...अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेक्रेटरी से कम बातें करें । मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ शरीक हों सब बातें सुनने में । मैं अर्ज कर रहा था कि जिसको मेरठ जाना हो और जिसको लखनऊ की हवा लग चुकी हो और इस तरह से लगी हो वह कैसे जाये मेरठ । इसलिये, ही रिफ्यूज्ड टू गो आन ट्रांसफर । मैं चाहता था कि उनसे कहता नहीं जाना पड़ेगा । लेकिन वह रिटायर हो गये, रिटायरमेंट की अप्लीकेशन भेज दी । जितनी छुट्टी ड्यू थीं ले लीं, फिर हाफ पे और फिर विदआउट पे पर ले लीं । बाद में मुझ को मालूम हुआ कि डाक्टर त्यागी आ गये। ८० हजार रुपया उनके प्रावीडेंट फंड का था, उसे उन्होंने विधड्रा कर लिया । मुख्य मंत्री जी ऐसा कहते मालूम देते हैं चरणसिंह जी– हम जिस चीज को नहीं चाहते थे कि रिटायर हों, वह रिटायर हो गये, अब हम चीफ मिनिस्टर हैं कर के दिखायेंगे । कर के दिखाओ । लेकिन ऐसे दिखाओं ताकि प्रदेश की प्रगति कुछ आगे बढ़े । मैं तो एक मामूली और छोटी चीज हूं फिर आपके मुताबिक छोटी जाति से ताल्लुक रखता हूं । इसलिये आप से कहता हूं कि करो लेकिन इस बिना पर न करो कि चरणसिंह कर गया था । यह कितने आपत्ति और आश्चर्य की बात है कि जो आदमी रिटायर हो गया, इन सरकमस्टांसेज पर रिटायर हो गया, फिर आप उसका रिएप्वाइन्टमेंट करते हैं । जबकि उसको कुल ६ महीने रिटायर होने को बचे हैं । जो मैंने सुना है, उससे बात को स्पष्ट करता हूं डाक्टर शर्मा यह कह रहे हैं गवर्नमेंट से कि ५ साल का बांड लिख दीजिये, क्योंकि डोंगरा साहब की बड़ी ताकत है अफसरों पर, क्योंकि उनको यकीन नहीं है कि यह सरकार स्थायी है, कि पांच साल फिर इनको रहना है । उनकी राय गलत है मेरी समझ में लेकिन है, वरना बांड लिखाने की क्या जरूरत है ? रजिस्टर्ड बांड लिखाना चाहते हैं ताकि बाद में कृष्णानन्द जी या माधवप्रसाद त्रिपाठी जी चीफ १७ मिनिस्टर हो गये तो हटा न सकें । विचार हो रहा है, रिजेक्ट नहीं हुआ है आउट राइट, बाहर मैंने सुना है। अध्यक्ष महोदय, क्यों? चाहे जो मैंने गलती की, क्या डाक्टर साहब के बिना काम नहीं चल सच सकता । कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट छिपा है कि आदमी को फिर अप्वाइंट करवायेंगे। दुनिया के किसी जनतांत्रिक देश में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। डाक्टर शर्मा से कोई पर्सनल शिकायत नहीं है। बड़ा मीठा आदमी है। बड़ा मीठा आफिसर है। लेकिन मैंने सुना था, खैर कहना नहीं चाहता था । अध्यक्ष महोदय, ये सब बातें मैं बाद में कहना चाहता था ।

आई० जी० की बात आयी तो सारी बातें यही कह डालीं । आई जी० का मैं कह चुका । मैं कह रहा था ला ऐंड आर्डर सिटुएशन के बारे में। मैंने कहा कि आई० जी० को जो हटाया क्रिमिनल और बदमाश आदमी अपने सूबे के समझ गये कि इस गवर्नमेंट की आंख नहीं है, क्राइम के तयीं जो पहली गवर्नमेंट की थी । लिहाजा क्राइम बढ़ रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, उन लोगों की राय को समर्थन इस बात से भी मिला कि माननीय मुख्य मंत्री जी के जो बहुत ज्यादा जानने वाले हैं, खास तौर से बनारस में, उनको पुलिस अच्छी तरह से जानती है कि इनका रेकार्ड अच्छा नहीं है। वह खुल कर खेल खेल रहे हैं। अब पुलिस क्या करे ? माननीय मुख्य मंत्री जी जब मुख्य मंत्री हुए और बनारस गये तो एक बजे रात को खाना ऐसे आदमी के यहां खाया, सबसे ज्यादा किसको आपने ऐजाज बख्शा, एक बजे रात से तीन बजे तक जिसके यहां खाना खाया वह आदमी है जिसके खिलाफ बहुत से मुकदमे चल रहे थे, आलरेडी। उसके बाद वह गिरफ्तार हुए एक और जुर्म में । मुझे नाम बताने में डर लगता है । नाम नहीं बतलाऊंगा । (व्यवधान) नाम आप बताइये । अध्यक्ष महोदय, यह एक मेरे पास नोट है कि मुगलसराय का फलां व्यक्ति

हिस्ट्री शीटर है तथा वह रेलवे का चोर है, उस पर चोरी तथा तस्करी के कई मुकदमें चल रहे हैं । मुख्य मंत्री होने के बाद पहली बार जब पंडित कमलापति त्रिपाठी वाराणसी गये तो उन्होंने एक दिन रात्रि का भोजन उक्त व्यक्ति के यहां खाया, चांदी के कटोरे में बालाई भी खायी । शायद यह बात गलत होगी । मैं वापस करता हूं । लेकिन मेरे कागज में यह लिखा है । इस दावत के १५ दिन के बाद ही वह व्यक्ति तांबे के तार की चोरी में गिरफ्तार किया गया ।

श्री अध्यक्ष—

बहुत निष्पक्षता की ।

श्री चरणसिंह—

बिल्कुल । बस एक ही बात सोचनी है, जिस आफिसर ने गिरफ्तार किया उसकी क्या गति बनती है। आया उसकी पीठ ठोकी जायगी या कंडम किया जायगा । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से माफी मांगना चाहता हूं । मुझे तकलीफ हो रही है यह बात सुनाने में । मैं नहीं सुनाना चाहता लेकिन मेरे मित्र चाहे इधर के हों अथवा उधर के वे नहीं मान रहे हैं । सही बात कहता हूं तो बहुत से अफसरों का दुश्मन मुझे बना दिया । दो चार दोस्तों को छोड़कर गालिबन मैं सबसे बड़ा हूं । मुझे खुशी होती ऐसी बात न कहूं जो पर्सनल हो लेकिन दूसरी ओर सेक्रेड पब्लिक ड्यूटी का तकाजा यह है कि सही बात जो है कही जाय, चाहे नतीजा कुछ भी हो । आपकी पर्सनल बात जिनको मैं कह रहा हूं उनका पब्लिक लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन पर असर होता है । आप मुख्य मंत्री न होते तो चाहे हिस्ट्री शीटर अथवा मर्डरर के साथ खाते-पीते अथवा सोते कुछ नहीं कहना था । इस सबसे वहां के पुलिस आफिसर्स पर क्या असर पड़ा होगा। वाराणसी के लोग जो क्रिमिनल माइंडेड हों उन पर क्या असर पड़ा होगा ? एक बात शायद त्रिपाठी जी को नहीं मालूम है, यह हो सकता है । उन्होंने लोगों के यहां आपने खाना खाया, दावत खाई उनकी कुछ इंटिमेसी आप से रही होगी । आपने कोई इंक्वायरी नहीं की ? मैं मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा और उनके साथ जो दूसरे नौजवान मिनिस्टर हैं उनसे विशेष कर कि जब कहीं खाना हो तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जरूर पूछ लिया जाय कि इस पर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, हिस्ट्री शीटर तो नहीं है।

एक मामले की तरफ और मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसमें भी मैं नाम नहीं बतलाऊंगा । वह भी मशहूर आदमी हैं । मुझे बतलाया गया मुमकिन है गलत हो तो मैं माफी चाहूंगा । आपकी कार में वह व्यक्ति था, शहर के अन्दर घूमता है । उसी कार में बैठ कर कहीं चला गया और बैठ कर शराब पी डाली और फिर झगड़ा हो गया । उसने भी आपको दावत दी । उसका निमंत्रण पत्र मौजूद है । इस सबका नतीजा यह हुआ कि वहां पर क्राइम बहुत बढ़ा । "हिन्दुस्तान टाइम्स" की यह रिपोर्ट है जिसे मैं पढ़े देता हूं—

Varanasi beats crime record

Varanasi May 30—The crime situation in the Varanasi district and the surrounding region is seemingly out of control. Dacoities, murder's looting and goondaism seem to have become the order of the day.

The city Congress (N) Committee several associations ofmerchants and traders and the Bar Association have expressed deep concern at the situation.

All the past records of crime registration have been beaten.

[श्री चरण सिंह]

The D. I. G., Varanasi Range admitted in his last press conference that there has been more than a hundred per cent increase in crimes.

Property worth Rs. 20 lakhs was looted by bandits and 30 persons lost lives in the process in the past three months alone. People are too terrorised to move about in late evenings.

अब आप आगे देखें यह तीन जून का हिन्दुस्तान टाइम्स है :

Police set up in east U. P. reorganised

Varanasi June 3—The police set-up in Varanasi, Ghazipur and some other districts of eastern U. P. is being reorganised because of the alarming increase in crime cases.

मैं कहता हूं कि आखिर क्राइम क्यों बढ़ रहा है और खासकर उनके जिले बनारस में, इसलिये बढ़ रहा है कि पुलिस को रीआर्गनाइज किया जा रहा है पहले तो नहीं था किन्तु जब से पुलिस को सेट-अप किया गया है तब से क्राइम्स की तादाद बढ़ रही है ।

"Chief Minister Kamlapati Tripathi, who is in town these days, has already expressed his displeasure at the growing number of murders and dacoities in Varanasi city and other areas. Shortly after he reached here by train from Lucknow on Tuesday he was conveyed the news of the murder of merchant in one of the busiest markets of Varanasi. The culprits are still absconding.

The same day two more lives were claimed by bandits during the course of the commission of dcoities in rural areas. Only a day earlier an acid bulb was thrown at a few persons in another busy locality of Varanasi."

अध्यक्ष महोदय, जब से माननीय त्रिपाठी जी मुख्य मंत्री हुये हैं तब से कोई १० दिन नहीं बीते होंगे जब कि मुख्य मंत्री बनारस गये हों और दो-तीन दिन से कम न वहां पर ठहरे हों । तो आपका जिला होते हुये और हर दस दिन में ३ दिन वहां पर रहते हुए यह क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं ? मैं आपको नाकाबिल तो नहीं मानता हूं । यह भी नहीं मानता हूं कि आपकी काबलियत में कोई भी कमी हो तो आखिर क्यों क्राइम्स बढ़ रहे हैं ? यह भी कहा गया कि जो डी०आई०जी० थे उनका ट्रांसफर कर दिया । प्रेस कांफेरेंस में कहा गया कि वहां पर गुंडे बहुत हैं बनारस में, दे आर वेल प्रोटेक्टेड, उनकी वहां पर अच्छी सेक्यूरिटी है । कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता । तो होना तो यह चाहिये था कि जब मुख्य मंत्री माननीय कमलापति जी हुये थे तो क्राइम्स जितने पहले थे उनकी कम हो जाना चाहिये था क्यों कि वे वहां की स्थिति को समझते थे । इस सिलसिले में मैं कंट्रोल आफ गुंडा ऐक्ट का रिफरेंस देना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष—

गुंडा जो होता है वह मजबूत आदमी समझा जाता है ।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, आपको भी शक क्यों हो गया ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मोटा आदमी सिकुड़ने लग गया ।

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं कोई खोपिया बात नहीं खोल रहा हूं किन्तु मैं यह अर्ज करूं कि माननीय मुख्य मंत्री इसके खिलाफ थे । वे इसे नहीं चाहते थे । मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में गुंडा ऐक्ट हमारे यहां था और कानपुर तथा एक आध अन्य शहरों में यह ऐक्ट लागू था किन्तु अंग्रेजों के जाने के बाद सन् ५०-५१ में हमारी गवर्नमेंट ने इसका लेबिलेशन किया । इस तरह का लेजिस्लेशन महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब और बंगाल आदि प्रदेशों मे मौजूद था किन्तु कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने इसको खतम कर दिया । देश की सीचुयेशन लग रहा है कि दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है सुधरने के बजाय । क्या हर्ज था अगर गुंडा ऐक्ट बन जाता । वक्त जरूरत काम आता, किन्तु इनकी राय नहीं हुई उनसे क्या मतलब । उससे ला ऐंड आर्डर का मिसयूज नहीं हो सकता था और बहुत से सेफगार्ड उसमें रखे थे । मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि माननी। मुख्य मंत्री जी की जो भी इच्छा रही हो जिस वक्त सेलेक्ट कमेटी में यह बिल गया उस समय हर पार्टी के हर मेम्बर ने उसको सपोकया । उसको वे रिगरस बनाना चाहते थे माननीय मुख्य मंत्री बतलायें कि फिर गुंडों का मिन कैसे होगा ? अध्यक्ष महोदय, जित वक्त यह बिल कैबिनेट में जा ही रहा था, मैंने, होम सेक्रेटरी से कह दिया था कि इस तरह का बिल बनाओ । बात-चीत चल रही थी बिल तब तक मंजूर नहीं हुआ था असेम्बली में । मैंने एक बयान दे दिया कि इस तरह का विचार कर रहे हैं । उसका इतना अच्छा असर पड़ा कि कानपुर और लखनऊ के बाजारों में खड़े होकर चौराहों पर जो लोग लड़कियों को छेड़ा करते थे बुशर्ट पहिने हुए और जेब में चाकू लिये हुए कि मेरे बयान से केवल वह गायब हो गये चौराहों से । और ये लड़कियों के बाप बता सकते हैं जिन्होंने पहले साल लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा था और इस साल भेज दिया क्यों उन्हें विश्वास था कि कोई गुन्डा उनकी लड़कियों की तरफ नजर नहीं उठायेगा । उस गुन्डा ऐक्ट का क्या हो रहा है ? मालूम नहीं । नफाज तो हो ही गया था २४ जनवरी को, लेकिन कितने गुन्डों पर अमल हुआ उसके अन्तर्गत मुझे बड़ी खुशी होगी अगर माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलायें कि उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शंस भेजे हैं सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को कि उस पर अमल कर रहे हो और जिलों मे गुन्डों की कार्यवाही को किस तरह से चेक किया गया और वह किस स्टेज पर है । अगर यह चीज वह दिखा सकें तो ठीक है वरना उलटे अगर वह बनारस में ही दावत खाते रहे तो गुन्डे बढ़ेंगे या घटेंगे? क्राइम सिचुएशन इम्प्रूव करेगी या बदतर होगी ?

अध्यक्ष महोदय, अब क्रिमिनल ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो पार्टी इन पावर है उसकी बड़ी जिम्मेदारी है और उसको ऐडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफिरेंस नहीं करना चाहिये । खयाल यह किया जाता है कि पावर में आयेंगे तो यह भी करेंगे । एक फर्क है कि इंटरफियरेंस तो होता है, पर कहीं कहा जाता है कि इंटरफियर मत करो और कहीं कहा जाता है कि ठीक है, तो क्राइम सिचुवेशन खराब होती है, मेरिट्स नहीं देखता है फिर पोलिटिकल लीडर और एम० एल०, ए० मिनिनस्ट्रों को मैं छोड़ता हूं । वह देखता है कि इससे हमको वोट मिलेगा । यहां तो ऐसे इंस्टैंसेज हैं यू० पी० की हिस्टरी में कि मरडरर सजा काट रहा है और बेल पर छुड़ा कि ा जब इलेक्शन आया और फिर हुआ इलेक्शन ! तो यह इंटरफियरेंस जो है, मेरा किसी की तरफ इशारा नहीं है, लेकिन उतनी बात मैं हवा में सेंस कर सकता हूं और मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि अपनी पार्टी के लोगों को लगाम लगाएं ।

अध्यक्ष महोदय, यह जो ब्योरोक्रेसी है, नौकरशाही जिसको कहते हैं वह बहुत बदनाम है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा तजुर्बा यह है कि इट इ ा नाट देयर फेल्योर, बट आवर फेलयोर ब्हिच इ ा रेस्पांसिबिल फार दि प्रेजेंट स्टेट आफ अफेयर्स—मौजूदा दशा के लिये नौकरशाही

[श्री चरणसिंह]

या अफसरों की इतनी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ है मगर बहुत कम-जितने कि हम लोग जिम्मेदार हैं । उनको अगर खाली छोड़ दिया जाय तो शायद सब नहीं तो कम से कम ऊपर के अफसरान शायद बेटर गवर्न कर सकते हैं, लेकिन आई एम नाट श्योर । छोड़ो ? मैं यह कहना चाहता हूं कि इलेक्टेड गवर्नमेन्ट के यही एजेंट हैं । अगर वह अच्छी तरह से काम करेंगे आप जनता की अच्छी सर्विस कर सकोगे वरना जनता का पैसा ही बर्बाद होगा । प्रशासन के कर्मचारियों में इन चार चीजों की बड़ी जरूरत है, अगर ये नहीं होंगी तो शासन चल नहीं सकता—क्लीनलीनेस, एफिश्येंसी, इम्पार्श्यलिटी और डिसिप्लिन । ईमानदार हों, दक्ष हों, निष्पक्ष हों और अनुशासित हों । अब मैं इसको रिवर्स आर्डर में लेता हूं । अब पहले डिसिप्लिन की बात ले लीजिये । डिसिप्लिन अगर राज कर्मचारियों में नहीं रहा तो वह एक भीड़ हो जायगी । वह फिर पब्लिक गुड के इन्स्ट्रूमेन्ट नहीं हो सकते । माननीय त्रिपाठी जी, आपने राज कर्मचारियों के डिसिप्लिन को खत्म करने के लिये एक वह काम किया है, मैं एक इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मुझको नहीं मालूम है कि कभी किसी गवर्नमेंन्ट ने वैसा काम किया हो । और जितनी भी गलतियां आपकी मेरी निगाह में हैं, उन गलतियों में सब से ज्यादा या शदीद गलती मैं इसको मानता हूं कि आपने डिसमिस्ड एम्पालइज को फिर से रि-एप्वाइन्ट कर दिया । यही नहीं जिन लोगों पर मुकदमें चल रहे थे—आर्सन के, वायलेन्स के, उन मुकदमों को भी आपने वापस ले लिया । मुझे खुशी है कि माननीय दीपनारायण जी मेरे पड़ोस में बैठे हैं पालिटिक्स के अलावा ला भी पढ़े होंगे और उधर माननीय तिवारी जी भी बहुत पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, वे मुझे बतावें क्या एक भी ऐसी मिसाल इतिहास में है कि किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने पहली गवर्नमेंट के डिसमिस किये गये कर्मचारियों को, जिन्होंने सारे कांस्टीट्यूशनल मींस को भी एक्जहास्ट कर लिया हो, फिर रि-एप्वाइंट कर दिया हो । मैं जानना चाहता हूं, ऐसा क्यों हुआ ? कोई सेम्बलैन्स आफ एक्स्क्यूज नहीं हो सकता । मैं अपने राज कर्मचारियों से कह देना चाहता हूं, यद्यपि मैं कितना ही कहूं वे मुझे अपना दुश्मन ही समझेंगे, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है । मेरा उन बेचारों से क्या वास्ता ? मैं केवल यह चाहता था कि जनहित का काम अच्छी तरह से सम्पादित हो । मेरी उसमें कोई निजी गरज नहीं थी ।

जब हमारे राज कर्मचारियों ने, जिन्होंने सन् ६६ फरवरी से बगावत का झंडा उठाया, उस समय माननीया सुचेता कृपालानी यहां मुख्य मंत्री थीं । उस समय वे काले बैज लगा कर सेक्रेटेरियट के अन्दर आते थे । मैं उस समय सोचता था कि आखिर यह मुल्क कैसे चलेगा । एक चीज वह यह कहते थे कि कैबिनेट का कोई फैसला हुआ था और उसमें उनकी किसी डिमांड को मंजूर किया गया था । इस बारे में १–२ बार कैबिनेट की मीटिंग हुई और मैंने जब पूछा तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ और इस प्रकार इनडिसिप्लिन बढ़ता रहा और यहां पर चीफ सेक्रेटरी को मेनहेंडिल किया गया । उसके बाद यह चीज मेरे सुपुर्द हुई । मैंने एक नोट लिखा जिसमें यह लिखा कि चीफ सेक्रेटरी की यह गलती है जो यह कह रहे हैं कि कैबिनेट ने यह तय नहीं किया था । मैंने कहा कि यह तय किया था । उसके बारे में १३ पृष्ट का एक नोट मैंने लिखा, लेकिन मेरी बात को सुचेता जी ने नहीं माना क्योंकि हमारे मित्र चाहते थे कि चरण सिंह की बात को न माना जाय । मैं कर्मचारियों के रिप्रजेंटेटिव्स से भी मिला था और वे मेरी उस बात को मानने के लिये तैयार थे । यह १-२ जुलाई की है । मेरा नोट कंसीडर नहीं किया और १४ जुलाई को हड़ताल हो गयी और चीफ सेक्रेटरी को मेनहेंडिल किया गया और उसको गालियां दी गयीं । और माननीय सुचेता जी को वह गालियां दी गयी जो किसी पुरुष को भी नहीं दी जा सकती । हड़ताल हुई, वह हड़ताल भी शुरू में ही निपट जाती लेकिन नहीं निपटाया गया । फिर उनकी डिमांड्स बढ़ गयीं । फिर होने लगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के रेट से डी०ए० दिया जाय । नवम्बर में मीटिंग हुई आल इंडिया एम्प्लाईज को । हमारे यहां के इम्पलाइज आल इंडिया एम्पलाइज के लीडर हो गये और दिसम्बर,

६६ से फरवरी, ६७ तक गवर्नमेंट का काम ठप्प । कहीं नहीं हुआ होगा ऐसा । जबकि पता नहीं, मुझे यह बात कहनी चाहिये या नहीं, महापालिकायें ठीक काम करती रहीं जबकि बरसों से उनकी डिमांड थी और हमने ऐक्सेप्ट भी नहीं किया था । खैर, संविद सरकार आयी । १८ करोड़ रुपया हमने दे भी दिया । फिर भी कहा कि १६ जून से हड़ताल करेंगे । बहुत समझाया और रोज मीटिंग इसी कौंसिल चेम्बर के सामने और रोज गाली, रोज गाली मुझको, दूसरे मिनिस्टर्स को, चीफ सेक्रेटरी को । कहते थे गोबरौली है चीफ मिनिस्टर । मेरी जात तक का जिक्र किया । दुनियां में ऐसा नहीं हुआ । अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से एक बात कहना चाहता हूं माननीय मित्रों से । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि ज्यादा दिन तक गवर्नमेंट चले और अच्छी तरह से चले तो मैं चाहता हूं कि मेरे सुझाव पर विचार कर लिया जाय ।

इस सारे झगड़े की जड़ सेक्रेटेरियट है । यहीं से शुरू होता है इंडिसिप्लिन । तो हमने बी० बी० लाल से भी कहा, मुसद्दीलाल से भी कहा कि यहां की सर्विसेज को ट्रांसफरेबिल कर दो, सारी लीडरशिप यहीं होती है । उन्होंने कहा कि यह ट्रांसफरेबिल नहीं हो सकतीं क्योंकि इनके एमाल्यूमेंट्स ज्यादा है और डिवीजन्स में या डिपार्टमेंटल आफिसेज में कम हैं । मैंने कहा कि ऐसा करो कि बाहर के डेढ़ सौ एम्पलाइज की तुम तनख्वाहें बढ़ा दो, समकक्ष कर दो सेक्रटेरियट के । तो आज जो इन्डिसिप्लिन है या ये जो गवर्नमेंट के नीचे रहते हैं, इनको सारी फाइलें मालूम हैं, इनको यू०पी० की फाइनेंशल कंडीशन मालूम है और इंडिसिप्लिन की जड़ यहां है वह सब इसी में ठीक हो जायगा । तो मुझसे दोनों चीफ सेक्रेटरियों ने कहा कि अच्छी बात है, गौर कर रहे हैं । लेकिन मेरा जबानी आर्डर था । फाइल जरूर चली लेकिन काम की ज्यादती की वजह से कभी कभी बात याद आयी तो मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो । तो उन्होंने कहा कि ऐडवोकेट जनरल से पूछा है । मेरा सुझाव है त्रिपाठी जी कि फाइल निकलवाइये । यह ठीक है कि इन लोगों की तनख्वाहें नहीं घट सकती हैं लेकिन डेढ़ सौ आदमियों की तनख्वाहें बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है । इनको ट्रांसफर कर दीजिये । फिर यह अराजकता जो यहां से चलती है तमाम खत्म हो जायगी । एक ही पोस्ट ट्रांसफरेबिल मैंने की थी । जो यहां लीडर था उसका ट्रांसफर कर दिया न्यू दिल्ली में जो यू०पी० निवास है वहां । अब जरा देखिये ही रेपयूज्ड टु कैरी आउट दैट आर्डर और रोज गालियां । तो हमने जेल में डाला उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट में । १८ करोड़ रुपया दे चुके थे उसके बाद की बात है । कौन चीफ मिनिस्टर है जो नहीं देना चाहता लेकिन वास्ट मासेज गरीबी में पड़े हों और बजट के जरिये जिनकी आमदनी बढ़ सकती हो उन्हीं की बढ़ा दें तो प्रदेश कैसे तरक्की करेगा ? तो हाई कोर्ट गये, प्रोसीडिंग्स हुई । हार गये । उसके ऊपर अपील । फिर दोबारा रिट में गये । सब खारिज हो गयीं । ६ या ७ आदमी बरखास्त हो गये । अभी अभी प्रोसीडिंग्स चलीं जब मैं इस्तीफा दे चुका था फरवरी, १९६८ में और गवर्नर के जमाने में । बहुत सीरियस केसेज थे । ७६ आदमी इसमें इन्वाल्व थे । उन सब के ऊपर केसेज थे । उसके बाद गुप्ता जी की गवर्नमेंट आई । गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बने । फिर वही मांगें कि हमको वापस ले लिया जाय और रि-इन्स्टेट कर दिया जाय । गुप्ता जी बड़े नरम दिल के हैं । उनकी तबियत में था कि उनको वापस लिया जाय लेकिन डिसीजन नहीं लिया । आफिसर्स ने कहा कि सब चौपट हो जायगा । उन्होंने इस दिशा में कोई स्टेप नहीं लिया । फिर उसके बाद उन्होंने पे कमीशन बैठा दिया ७० में जब वह जा रहे थे । उसके बाद हम लोग आये । हमने कहा कि पे कमीशन की कोई जरूरत नहीं है । मेहनत करो । फिर वही बात कि पे कमीशन बिठाओं और तनख्वाह बढ़ाओ अगरचे कि पहले करोड़ों रुपया देकर बढ़ा दी गई थी ।

[श्री चरण सिंह]

एक तरफ तो सारे टैक्स माफ और दूसरी तरफ यह नारा कि तनख्वाह बढ़ाओ और दुगुनी, तिगुनी चौगुनी तनख्वाह करो । यह कैसे मुमकिन है ? किस मुल्क में ऐसा मुमकिन हो सकता है ? मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि बजट पर बोलने की बात है लेकिन इतना निवेदन करता हूं कि आपने उनको वापस लिया । मेरे कुंद जेहन में यह बात नहीं आती कि आपने यह कैसे किया ? क्या कारण थे ? एक मेरे दोस्त ने बतलाया हालांकि मुझे इस पर यकीन नहीं होता है कि साहब यह जो मिड टर्म एलेक्शन हुआ इसमें जो उन्होंने खिदमात दी हैं उनकी एवज में यह दिया गया है । इस वजह से उनको रि-इन्स्टेट किया गया है । इस पर मुझे यकीन नहीं होता है लेकिन अगर यह बात सही है तो इससे ज्यादा काबिले मजम्मत और कोई बात नहीं हो सकती है । अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट को ही नहीं, उसके चीफ मिनिस्टर को, सेक्रेटरी को रोज गाली, अफसरों को गाली देना, आर्डर की अवहेलना करना यह रोज का काम हो गया । अपनी एक पोलिटिकल पार्टी बनाकर एलेक्शन लड़ना असेम्बली और कारपोरेशन का और उसके बाद आप उनको रि-अप्वाइन्ट करते हैं । मैं मुख्य मंत्री जी से यह उम्मीद नहीं करता था कि वह इस तरह की गलती करेंगे लेकिन यह हुआ। शायद अपनी ताकत का इजहार करने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि अगर तुम उनको बरखास्त कर सकते हो तो हम उनको भी रि-इन्स्टेट कर सकते हैं । मैं यह कहता हूं कि अगर हम और आप लड़ें तो मैं अपनी ताकत नहीं मानता हूं लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि पब्लिक इन्टरेस्ट को देखिये । मैं अपने सहयोगियों से निवेदन करता हूं कि वे अपने दिल पर हाथ रखकर देखें कि क्या यह सही काम हुआ है ? मैं अर्ज करूंगा कि यह निहायत गलत काम हुआ है ।

अभी मिड टर्म के जमाने में मैं शाहजहांपुर गया था । वहां पर एक मीटिंग में पांच हजार कर्मचारियों ने न जाने मुझको कितनी गाली दी । उनमें कुछ ऐसे कर्मचारी भी थे जो सर्विस में थे । इससे कितना इनडिसिप्लिन बढ़ रहा है । मैं जानता हूं कि पब्लिक मीटिंग में क्या गुजरा है । क्या यह मेरा पर्सनल मामला था । जो ऐक्शन मैंने इनिशियेट किया उसके नतीजे से इसका संबंध था और वह पब्लिक इन्टरेस्ट में किया गया । अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारी आज इस बात को सोचेगा कि यह शख्स कहां से आ गया जो भला काम हो गया उसके उखाड़ने की बात कहता है । लेकिन मैं उनको अपना दुश्मन नहीं मानता हूं । मैंने उसी हद तक उनको सजा दी है जिस हद तक पब्लिक इन्टरेस्ट में जरूरी था, जिस हद तक वह पब्लिक इन्टरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे थे और इनडिसिप्लिन बढ़ा रहे थे । अगर राज कर्मचारियों के खिलाफ एक चीफ मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने कुछ मामलों को लेकर एक्शन इनिशियेट किया और दूसरी गवर्नमेंट आई तो उसने उनको रिइन्स्टेट कर दिया तो इसका क्या असर पड़ेगा ? उनका मैं दुश्मन हो गया और फिर यह भी सोचें कि राज्य कर्मचारियों पर इसका क्या असर होगा, यही होगा कि करो बेईमानी करो अनुशासनहीनता, दो गालियां, करो तोड़फोड़ । कौन इस का जिम्मेदार होगा आज दुनिया में इसकी मिसाल नहीं । आज आप अफसरों से पूछिये कि वह क्या महसूस करते हैं, आज अपने सबार्डिनेट्स से कोई काम ले सकता है ? दिन अपने काट रहे हैं, नौकरी करना है चला रहे हैं । आज हर आदमी चीफ मिनिस्टर के पास जा सकता है, साढ़े दस बजे सेक्रेटरिएट में लोग आते हैं क्योंकि कौन लेगा अब ऐक्शन ? जब इतनी बड़ी ग्रास इनडिसिप्लिन माफ, हो गई और उनकी बहाली का जो जी० ओ० निकला है उस के शब्द आप देखें कहां तक सुनियेगा यह मई, सन् ७१ का है, इस में लिखा है कि

"Whereas the relations between the State Government and a section of its employees (hereinafter referred to as the State employees)have during the last few years come under a heavy strain and the said period has been punctuated by the State employees, employees agaitations and by disciplinary proceedings or other action against them;

And,where as, the State Government has after a review of the entire situation decided to adopt a generous attitude towards the State employees with a view to restoration of harmonious relations between the State Government and the State Employees;"

कोई घर का मामला था क्या कि सगे भाई से बिगड़ गई और बाहर के ५ लोग मामले को सुलझ देंगे और घर को एक कर देंगे ? यह सवाल पब्लिक इन्टरेस्ट का है । आप का कहना है कि मधुर ताल्लुकात होने चाहिये और इस आरगूमेंट के साथ उन को रिइन्स्टेट किया जाता है और उनकी सीनियारिटी वही रहेगी और सभी पुरानी चीजें कर दी तो इसके बाद अब आप किस पर डिसिप्लीनरी ऐक्शन लीजियेगा ? मैं आपकी पावर जरूर तसलीम करता हूं लेकिन आपकी तरह ही कोई और पावरफुल चीफ मिनिस्टर आ गया तो वह आप की तरह तो नहीं कर सकेगा । लेकिन वह दूसरा फैसला ले सकता है ।

कहा जाता है कि उनकी डिमांड्स नहीं मानी गईं । एक तरफ तो उनका अधिकारियों और मंत्रियों को गालियां देना गालीगलौज करना, हड़तालें करना, राजनैतिक दल बनाकर एलेक्शन लड़ना यहां के और कारपोरेशन के, ट्रांसफर के आदेशों को न मानना और दूसरी तरफ शासन से कहना कि उनकी मांगें मानी जायं । उचित तो यह था कि जो कुछ भी सफाई देनी थी वह हाईकोर्ट में और कोर्ट में देते और वहां तक बात खत्म हो जाती लेकिन सारी रेमेडीज खत्म हो गई और कोर्ट्स के फैसले हो गये और उसके बाद जो इम्पलाईज डिसमिस हो गये उनको गवर्नमेंट रिइन्स्टेट कर दे तो देश कैसे चलेगा और कहां जायगा ? जिन पर ऐक्शन ले रहे हैं आप की हिम्मत नहीं है वर्ना डायरेक्टर आफ विजिलेंस का ट्रांसफर न होता । एक करता है दूसरा कैंसिल करता है अगर चीफ मिनिस्टर आयेगा वह रिवाइज कर देगा । जहां लीगल प्रोसीडिंग्स हो चुकीं, जिनको अदालतों से सजा मिल रही है उन सबके मुकदमें वापस लेना कौन सी डिसिप्लिन पैदा करेंगे । आज कोई चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो या कोई गवर्नमेंट हो वह कसटोडियन है आज की जनता के इन्टरेस्ट्स की ही नहीं बल्कि आगे आने वाली जेनरेशन की भी जो आज मौजूद नहीं है और कल पैदा होगी उस की रक्षा की उसकी जिम्मेदारी है, कौन सी डिसिप्लिन हम लाना चाहते हैं ? यह मुल्क इस तरह से कैसे चलेगा, इस तरह के ऐक्शन को कंडेम करने के लिए शब्द नहीं हैं । यह तो मैंने कर्मचारियों के चौथे गुण यानी उनके अनुशासन के संबंध में जिक्र किया ।

दूसरे आज सबार्डिनेट आफिशियल्स की हालत यह है कि वह बिना विभागीय हेड की आज्ञा लिये, सुपरवाइजिंग आफिसर की रजामन्दी के बिना सीधे मिनिस्टरों के पास पहुंच जाते हैं । मेरे जमाने में भी आते थे । मैंने इसके बारे में अपने साथियों से कहा था और मैंने २१ सूत्र का एक सरक्युलर तैयार भी किया था अपने साथियों के मश्विरे से । उसमें यह भी था कि सबार्डिनेट आफिशियल्स अगर आपके यहां आते हैं तो हरगिज भी उनसे न मिला जाय । अगर यह मालूम हो जाय कि वे अपने हैड आफ दि डिपार्टमेंट की रजामन्दी से नहीं आते हैं, उनको सस्पेंड करो, उनके विरुद्ध ऐक्शन लो । यह बात अखबार में भी छप गयी थी । तो साउन्ड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स हैं । साढ़े ५ लाख आदमियों का यह आर्गेनाइजेशन है । तो इस इतने बड़े आर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली और परपजफुल्ली चलाने में किसी रूल्स और किन्हीं कन्वैन्शन्स की जरूरत होगी । बिना रूल्स के चल पायेंगे ? एक मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया और वह कहे कि मैं चाहें जो कुछ करूं । छोटे-छोटे आफिशियल्स तो आ जायें लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, गजेटेड आफिशियल्स हैं, आप के पास वे न आयें, बिना अपने सुपीरियर्स की आज्ञा प्राप्त किये । चीफ मिनिस्टर बनारस से चुनकर कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन आप सारी

[श्री चरणसिंह]

स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं । सूबे के सारे जिलों के लोगों को बिना बिरादरी के और बिना मजहब के लिहाज के एक तरह से आपको देखना है और आपके अफसरों को देखना होगा आपके कर्मचारियों को यह बड़ा नाजुक मामला है । मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि ट्रांसफर करते समय बिरादरी देखी जाती है और २ कमिश्नरियों में एक बिरादरी के १५६ आदमियों की लिस्ट तयार हुयी । परमात्मा न करे यह बात गलत हो । आज बिरादरी के आधार पर ट्रांसफर किये जाते हैं चाहे उनका वहां पर ४ महीने पहले ही, ट्रांसफर हुआ हो ।

माननीय चन्द्र भान शर्मा जी ने मुझे बताया कि एक अफसर का ट्रांसफर हुआ सहारनपुर से । बी०के०डी० के लोग, जो अब आपकी पार्टी में शामिल हैं, हो गये हैं, हम को छोड़ कर और २–३ दोस्त जो आपकी पुरानी कांग्रेस के हैं, यहां पर एक बड़े आफिसर के पास, लखनऊ ही में, गये और कहा कि इतना अच्छा अफसर है तो आप उसका ट्रांसफर क्यों करते हैं । तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने मुझे बहुत नुक्सान पहुंचाया इसलिये उसका ट्रांसफर कर दिया । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मुझसे कोई शिकायत थी तो मुझ से कह देते लेकिन उस सबार्डिनेट एम्पलाई ने क्या कसूर किया था । जब उन एम०एल०एज ने कहा तो उन्हें कहा गया कि वे नहीं जानते हैं, आप ऊपर से करा लाइये । एन्क्वायरी करके आप डिस्मिस कर दें लेकिन यह कि यह फलां बिरादरी से संबंधित है, या फलां पार्टी से संबंधित है इसके साथ ऐसा बर्ताव हो तो फिर यहां पर काम नहीं चलने वाला है । मेरे ऊपर भी तरह-तरह के इल्जाम लगाये जाते थे । उनका मैं इस तरह उत्तर दे सकता हूं कि जिसको मुंह तोड़ कहते हैं लेकिन यह फैक्ट है कि मेरे मन में यह बात नहीं थी । दिल्ली में भी यह शिकायत थी कि बिरादरी का ख्याल किया जाता है । लेकिन मैं क्या कर दूंगा अगर ४०० में से एक ही आदमी गजेटेड होगा या ढाई सौ में ५ आदमी ही होंगे । उन्हीं के ऊपर आप जोर देंगे जो कि सर्विसेज में हैं चाहे क्लास वन में किसी विभाग में ४५ फीसदी हों और क्लास दो में ४० प्रतिशत हों और जिनका ट्रांसफर हो, दो परसेंट हों, उसी हिसाब से आंय, नहीं । लेकिन जो बिरादरी की दृष्टि से सोचते हैं, लेकिन यह हो सकता है, होना यह चाहिये कि दो परसेंट जिनके लोग हैं अगर वे गलती करते हैं तो दो परसेंट के दो परसेंट बर्खास्त हो जायं और ४५ परसेंट जो गलती नहीं करते हैं उनको किसी को कुछ नहीं करना चाहिये । यह इल्जाम लगाया जाता है तो मुझे बड़ी तबियत पर असर देकर यह बात कहनी पड़ी ।

अभी चार्ज लगाया ब्लिट्ज ने "कास्ट पालिटिक्स आफ चरणसिंह" और त्रिपाठी जी को बड़ी सफाई करनी पड़ी । मुझे उन लोगों ने कहा कि ऐसा निकला है । मैंने नहीं कहा कि मुझे दिखा दो । बहुत कहा कि जवाब देना चाहिये । एक साहब ने कहीं से भेज दिया । मैंने नहीं पढ़ा । पढ़ लिया, फिर रख दिया । क्या जवाब दूं । अफसरों का जिक्र करना पड़े, अपने साथियों का जिक्र करना पड़े । तो बहुत सोचकर जुलाई में मैंने जवाब भेज दिया और यह भी कोशिश कि बदनाम किया जाय, यह चार्ज लगाया जाय बिला फैक्ट्स, फिगर्स और मैरिट्स के । मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता । कोई सज्जन हमारी तरफ से बोला तो कहेगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं नहीं समझता कि माननीय त्रिपाठी जी का शायद ऐसा छोटा ख्याल हो । नहीं होगा । किन्हीं लोगों पर आपकी नजरें इनायत है किन्हीं लोगों पर आपकी भृकुटि सिकुड़ी हुई है, यह नहीं होना चाहिये । वाकया अगर नहीं है, मेरा ख्याल है, नहीं होगा, तो हुजूर, इस तरह अमल कीजिये कि यह इम्प्रेशन लोगों का मिट जाय । एक बात पर शक होता है, आप माफ करना त्रिपाठी जी, मेरे साथी हो, और साथियों के हाथ में सूबा होगा । वह हाथ कसा होगा उस पर भविष्य निर्भर करेगा । आप विश्वास करते हैं छोटी जाति और बड़ी जाति पर । नहीं यह विश्वास छोड़ना होगा । आपको सब बातों को एक दृष्टि से देखना होगा, तब जाकर · · · ।

एक सदस्य--

श्री शर्मा, एस०ओ०सी०, शाहजहांपुर जिसकी ईमानदारी की शोहरत न केवल इस पार्टी में बल्कि उस पार्टी में भी थी, आपने महज लोगों की झूठी शिकायतों पर उसका ट्रांसफर दो साल में ही क्यों कर दिय ?

श्री चरणसिंह--

माननीय सदस्य ने एक बात कही। हो सकता है गलती हो गई हो। हो सकता है और भी गलतियां हो गई हों। मगर हुजूर अगर मैंने गिनाना शुरू कर दिया तो फिर हो सकता है नार ज हो जाइये। अब नहीं जब मैं पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी था कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार आदमियों ने मुझसे एक तहसीलदार की शिकायत की। मैंने ट्रसफर कर दिया। बाद को जब मुझे मालूम हुआ कि गलती हुई, मैंने उसको बुलाय, माफी मांगी। सव ल है डेलीबेशन का, इरादे का। किस आदमी से गलती नहीं होती। अगर मैं मान लूं तो मेरी गलती यही है कि मैंने एक जिम्मेदार एम० एल० ए० का विश्वास कर लिया। न जाने कितनी बार कहा था और कितनी बार लिखकर दिया था। यह मतलब नहीं है कि मैं गलती नहीं करता और ...

(श्री मनफूलसिंह के खड़े होकर बोलने पर)

मनफूलसिंह, जी आपसे खुलकर बात कर लूंगा। या कभी मैदान में बात होगी मुजफ्फरनगर में...

तो हां, एफीशिऐंसी की बात कहना चाहता हूं, मैंने कहा था, क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन एफीशियेंसी और डिसिप्लिन। अब मैं एफ शिऐंस पर कह ा चाह ा हूं। कुछ बातें मैं पहले ही कह चुक हूं, अब ट्रांसफर्स और कैन्सीलेशन आफ ट्रांसफर्स, प स्टिंग आफ टू आफीसर्स ऐट दि सेम टाइम की बात । डिपार्टमेंट हैड का ट्रांसफर बिना अफसर के पूछे, उसका कैन्सीलेशन फिर बिना उसके पूछे औ एक ही जगह पर दो-दो अफसरों का पोस्टिंग और बिना लिहाज मैरिट के कि कि ने दिन हां आदमी रहा है और आया यह अफसर बड़े जिले में भेजने के लायक है या नही, या बड़े चार्ज वाले का क्य कसूर है कि छोटे चार्ज पर भेजा जाय ऐसी अनेक बातें ह और अध्यक्ष महोदय हजार बातें रोज हो रही हैं। मने तो पांच-सात बातें लिख ल और टाइप करा लाया। उनमें से चन्द बातों क जिक्र करूंगा। मैनपुरी से एक इंजीनियर का ट्रांसफर कानपुर हुआ। डिपार्टमेंट से कहा गया कि अभी दो साल ही हुए हैं, काम करने दीजिये। मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, कानपुर जायेगा। भेज दिया। छोटा अफसर था गवर्नमेंट की तरफ से मकान इंजीनियर को नहीं मिलता है, किराये पर सैकड़ों रुपया लगता है। गवर्नमेन्ट १० परसेंट देगी। (व्यवधान) नहीं मिला मकान। फिर उसने कहा मैं वापस जाना चाहता हूं मैनपुरी। डिपार्टमेंट ने कहा गवनमेंट लिखकर आर्डर दे दे तो कर देंगे। फिर मैनपुरी चला गया। (व्यवधान) आई स्पीक सबजैक्ट टु करैक्शन। हो सकता है कुछ गलत हो लेकिन जो बेसिक बा है वह सही है।

दूसरी बात, भऊ ाथ भंजन में सात साल से एक डाक्टर है। सगे भाई ने अस्पताल के पास कैमिस्ट की दुक न खोल रक्खी है। जितने नुस्खे दिये जाते हैं मरीज को, सब पास में भाई की दुकान से खरीदते हैं और सरकारी दवा भी दूकान पर पहुंच जाती है। उसका ट्रांसफर हुआ। एक बार नहीं दो बार हुआ। एक बार हुआ, कैंसिल हो गया। फिर हुआ। वह छुट्टी पर चल गया। कायदा यह है कि ट्रांसफर हो तो छुट्टी पर नहीं जायगा। लेकिन चला गया। फिर आपकी गवर्नमेंट आयी। कहां गई राजेन्द्र कुमारी जी, अभी तो थीं। फिर उसका पोस्टिंग मऊनाथ भंजन हो गया। कैसे चलेगा एडमिनिस्ट्रेशन ? क्या दूसरे लोगों पर असर पड़ेगा ?

[श्री चरणसिंह]

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि डाक्टर का जिक्र है, एक बात जो पहले कहना भूल गया था, बताना चाहता हूं । एक हमारे बी०के०डी० के एम०पी० के कैन्डीडेट थे । बड़े पुराने कांग्रेसमैन । उनका भतीजा एक जगह डाक्टर । ट्रांसफर हो गया उसका । वह ट्रांसफर कैंसिल कराना चाहता था और भी चार-पांच आदमी वहां थे । तो अफसर साहब ने पूछा कि तुम्हारे चाचा जी बी०के०डी के कैन्डीडेट थे । उसने कहा कि हां, तो बोले कि वह कोई पार्टी है, उसके कैन्डीडेट क्यों हुए, तुमने क्यों नहीं रोका । उसने कहा कि मैं तो उनका भतीजा हूं, वह मेरे चाचा हैं । तो यह हैं पालिटिकलाइज्ड सर्विसेज ।

अध्यक्ष महोदय, अब तीसरी बात । एक सब इन्स्पैक्टर का गोरखपुर से तबादला हुआ । शिकायत थी । सेकिंड अफसर था । सीतापुर में चार्ज ले लिया । सिफारिश हुई । बैंक टु गोरखपुर हो गया । यही नहीं, टु बी पोस्टेड ऐज एस०ओ०, नाट सरकिल आफीसर । कैसे चलेगा एडमिनिस्ट्रेशन ? जिस थाने में सेकिंड अफसर था, एस०ओ० ने शिकायत की, तहकीकात हुई, एस०एस०पी० ने ट्रांसफर कराया । हुक्म हो गया बड़े हुजूर का या छोटे हुजूर का शायद। छोटे हुजूर का हुआ । आई०जी० का आर्डर चला गया कि बैंक टु गोरखपुर । कहां ट्रांसफर हुआ था, आप ही बतला दीजिये क्योंकि आपने ही कराया होगा ।

श्री राम लगन दुबे (जिला गोरखपुर)---

मुझे जानकारी है इसलिये मैं बतला देना चाहता हूं ।

श्री चरणसिंह---

अगर आपकी जानकारी है तो उसकी पोस्टिंग वहीं पर हुई । उस थाने पर नहीं हुई होगी लेकिन उसी जिले में हुई ।

श्री राम लगन दुबे--

मैं जानता हूं कि उसका ट्रांसफर सीतापुर से गोरखपुर हुआ लेकिन उसी थाने में नहीं हुआ जहां से वह रिवर्ट हुआ था ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या यह सही नहीं है कि उसकी पोस्टिंग उसी थाने पर हुई थी लेकिन वहां के डी०आई०जी० ने उसका विरोध किया और इसीलिये उस डी०आई०जी० का वहां से ट्रांसफर कर दिया गया ?

श्री चरणसिंह---

१० दिन पहले वह गोरखपुर से सीतापुर आया था और फिर उसका ट्रांसफर सीतापुर से गोरखपुर को ही हुआ । वहां से वह प्रमोशन पर गोरखपुर गया और उसी थाने पर गया लेकिन जब सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने प्रोटेस्ट किया तो उसे दूसरे थाने पर भेजा गया । अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि जो बात कही गयी है अगर यह बात सही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे लेकिन अगर कुछ लोगों का विचार हो कि मुझे हूट डाउन कर दिया जाय तो मैं बैठ जाऊंगा । अगर आपके लीडरान की गलती है तो वह गलती दुरुस्त हो सकती है, अगर आप सही करना चाहते हैं लेकिन आपने अगर अपने दिल व दिमाग को मारगेज कर दिया हो, जो मेरा ख्याल है नहीं किया होगा, और बेगम साहिबा ने तो जरूर नहीं किया होगा, अगर वे ऐसा कर देंगी तो कैसे काम चलेगा ।

(व्यवधान)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)---

मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं । चुनाव के दरमियान मुजफ्फरनगर जहां से माननीय वीरेंद्र वर्मा उम्मीदवार थे, जब श्री सलेकचन्द की हत्या कर दी गयी थी तो उस सिलसिले में जो लोग पकड़े गये थे, क्या आपके मुख्य मंत्रित्व काल में उस मुकदमें को आपकी इजाजत से वापस नहीं ले लिया गया था ? (व्यवधान)

श्री चरण सिंह-

सवाल दीगर, जवाब दीगर । इसका पता होना चाहिये कि कहां पर कौन बात कही जानी चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि श्री राजबिहारी सिंह जो मेरे सहयोगी रहे हैं, उनकी उस बात का जवाब देने की कोशिश करूंगा । एक दीक्षित थे सेकेंड आफिसर कोतवाली रायबरेली के । पूरा नाम मुझे याद नहीं है । हुक्म यहां से गया सीधे आई०जी० का, एस०पी० या डी०आई०जी० का नहीं कि उसको उसी जगह का कोतवाल बना दिया जाय । उसी जगह का, दुनिया में ऐसी कोई मिसाल आप पायेंगे ? यह बात ठीक है आपका पावर है, आप जो कुछ चाहें कर सकते हैं और उस पावर का दुरुपयोग करने के लिये आप तैयार हैं । लेजिस्लेचर की पावर सारी आपके हाथों में है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स सीतापुर और बांदा का किस्सा हमने सुना । सीतापुर का तो किसी ने सवाल भी उठाया था । बांदा के लिये, मैंने सुना, आर्डर हुये और कैन्सिल हो गये और दूसरे आदमी ने चार्ज भी ले लिया । इनके पीछे कुछ कारण हैं । क्यों कैनसिल हुए, माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे ।

एक इंजीनियर है बलिया का । वह तीन बार ट्रांसफर हुआ और तीनों बार दूसरे आफिसर्स ने चार्ज ले लिया । उसी इंजीनियर को फिर उसी जगह पर कर दिया है । अब जो साहब बोल रहे थ, मेरे भाई हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अगर हो सके तो आप मश्विरे से काम करें, पार्टी में मश्विरा करें । पार्टी का इन्ट्रेस्ट है, आपका इन्ट्रेस्ट है कि यह प्रदेश अच्छी तरह से शासित हो । हमारा भी इन्ट्रेस्ट है कि यह प्रदेश अच्छी तरह से चले और जितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसनी ही आपकी पार्टी मजबूत होगी और जितनी मजबूत आपकी पार्टी होगी हमारा नुक्सान होगा, लेकिन पब्लिक का फायदा होगा । मेरे साथी तो कहते हैं कि इस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश न करें, चलने दें फरवरी तक ताकि लोग देख लें कि कैसे समाजवाद आता है । जो कुछ मैं कह रहा हूं वह अपनी पार्टी के खिलाफ है लेकिन पब्लिक इन्ट्रेस्ट में है । Don't take it amiss.

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

चौधरी साहब ने रास्ता दिखलाया है ।

श्री चरणसिंह---

जवाब देने के लिये आदमी को सोचना चाहिये कि किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं । एडमिनिस्ट्रेशन की बात ये कितनी जानते हैं, त्रिपाठी जी कुछ कहें तो ठीक है ।

श्री अध्यक्ष---

आप जवाब देंगे तो गला थक जायेगा ।

श्री चरणसिंह---

चन्दौली के हल्के में एक थाना है सईद राजापुर का । यह थाना वाराणसी जिले में है । ५,७,१० महीने हुए वहां के एस०ओ० के खिलाफ कुछ शिकायतें थीं । उसका

[श्री चरणसिंह]

जिले के बाहर ट्रांसफर हो गया । माननीय त्रिपाठी जी ने जाकर उसे फिर वहीं पोस्ट कर दिया । कायदा यह है पुराना रिटिन नहीं होगा, अनरिटिन है कि जिस आफिसर का किसी जगह से ट्रांसफर हो जाता है उसको उसी जगह ५–४ साल तक कम से कम पोस्ट न किया जाये । फिर उसकी पोस्टिंग कर दी । आप अपने इन्ट्रेस्ट में और उस आफिसर के इन्ट्रेस्ट में देखें । वह आपकी उस निगाह को देखता है जो कि उस हल्के में है और पब्लिक लाइफ में जो आपके मुखालिफत रहे हैं उनको वह दबायेगा । उसका असर होता है, चाहे आपकी मन्शा ऐसी न हो ।

श्री बैतराम गंगवार (जिला बरेली)—

हरिजन तथा पिछड़ी हुयी जातियों की पर्सेंटेज सर्विसेज में कितनी है, इसको भी बतलावें।

[श्री गंगा प्रसाद (गोंडा) के कुछ कहने पर ।]

श्री चरण सिंह—

आप अपनी स्पीच में कहना, सुन लिया जायेगा मैं ईल्ड करने को तैयार नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष—

गंगा प्रसाद जी आप बैठिये ।

(व्यवधान)

(श्री राजितराम पांडेय के कुछ बोलने पर)

श्री चरण सिंह—

नाबालिक है । जो कुछ इल्जाम गंगा प्रसाद जी ने मुझ पर लगाये, जिनको कि मैंने नहीं सुना है, मैं सबको तसलीम करता हूं ।

मैं शासन की स्वच्छता के बारे में अर्ज कर रहा था । इन सब चीजों को जो मैंने अभीतक कही हैं उनका यही मतलब है । इसको बांटा नहीं जा सकता है । अगर इफीशिएंसी खराब होती है तो क्लीनलीनेस पर असर पड़ता है, इम्पारशैलिटी पर असर पड़ता है । शासन में रिश्वत का किस तरह से बोलबाला है इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, सिर्फ एक मिसाल दूंगा । मेरे दोस्त कह रहे थे कि एक आफिसर है जे० एन० तिवारी, उसका जिक्र इस मौके पर न कीजिये । मैंने उसको इसी लिये रिजर्व कर रक्खा था । तो अध्यक्ष महोदय फिर मुझे अफसोस है कि मुझे नाम लेना पड़ा । जे०एन० तिवारी एक इन्टेलीजेंट आफिसर है लेकिन जो चीजें किसी आफिसर में नहीं होना चाहिये वह उसमें है । मुझे मालूम यह हुआ है कि उसमें वह तीनों चीजें हैं जिनका कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं । मेरे पास शिकायत आई, मैंने आई०जी० के पास भेज दी । फिर दो तीन शिकायतें आई, फायल में मौजूद होंगी, उन्हें मैंने डायरेक्टर विजिलेंस के पास भेज दिया ।

अध्यक्ष महोदय, यह आफिसर मेरे विभाग में पहले कभी नहीं रहा था, मेरे जिले में भी नहीं रहा था, सचिवालय में भी मैंने कभी उसके साथ काम नहीं किया था, I have nothing against him मेरे पास शिकायत आई, मैंने तहकीकात के लिये भेज दिया। उत्तर आया कि इसमें प्राइमा फेसी केस बनता है, मैंने कहा कि ओपन इन्वेस्टीगेशन हो । दो महीने पहले कमिश्नर हुए थे मैंने रिवर्ट करके गाजीपुर पोस्ट कर दिया । मुझ पर जोर डाला गया मैंने पोस्टिंग कैंसिल कर दी । वह छुट्टी पर चले गये और तहकीकात होती रही । आखिर में मुझको यह मालूम हुआ कि डायरेक्टर, विजिलेंस ने यह रिपोर्ट दी कि यही नहीं कि डिसमिशल प्रोसीडिंस हों This officer should be prosecuted in a criminal Law Court.

यह रिपोर्ट है । सुनते हैं कि एल० आर० से पूछ लिया है । तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी । पुलिस रोज क्रिमिनल ला के मुकदमें चलाती है। मैंने इस संबंध में अपने एक आध दोस्त से कहा था कि अपनी स्पीच में सवाल कर दो कि डायरेक्टर, विजिलेंस की रिपोर्ट है इस आफिसर के खिलाफ, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

चौधरी साहब अपनी बात कह दें, जब उत्तर देना होगा, तब दे दूंगा ।

श्री चरण सिंह--

इसका उत्तर जरूर दीजियेगा । ला डिपार्टमेन्ट से पूछा गया तो उन्होंने अपना मश्विरा दे दिया, न मालूम कैसे दे दिया और फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बारे में । इस आफिसर के फाल्स टी०ए० बनाने के तीन केसेज हैं, उसमें लीगल मश्विरा क्या करेगा । फिर राधेश्याम जी के पास भेज दी गयी । अब यह सुनते हैं कि उन्हें प्रोमोट करके और कमिश्नर बनाकर एक जगह पोस्ट कर दिया है । इस सब से क्लीनलीनेस हो जायेगी, ईमानदारी हो जायेगी डिपार्टमेंट में । क्या इससे अफसरान ईमानदार हो जायेंगे । अगर एक चीफ मिनिस्टर तहकीकात कर देगा और दूसरा आकर ऐसी कार्यवाही करेगा तो फिर क्यों न करप्शन बढ़ेगा । हमारे सूबे में करप्शन बहुत दिनों से है । लेकिन जिस लेबुल पर आज पहुंच गया है वह सबसे निचला पाइन्ट है। It has touched the lowest level जबकि सरकार के ऐसे कारनामे हैं तो अफसर क्यों क्लीन बनें, क्यों ईमानदार बनें । जब वे देखते हैं कि गैर ईमानदारों की तरक्की होती है तो फिर क्यों अपने को ईमानदार बनायें । मनुष्य तो मनुष्य ही है। उन्हें अपना कैरियर देखना है ।

अध्यक्ष महोदय, खत्म करने से पहले मैं पालिटिकल करप्शन की बात और कहना चाहता हूं । मैंने शुरू में कहा था कि मैंने जिन अफसरों का जिक्र किया और एडवर्स जिक्र किया मैं आपके जरिये उन तक पहुंचा देना चाहता हूं कि मेरी उनसे कोई पर्सनल एमनियोसिटी नहीं है । केवल ड्युटीवश मैंने यह कहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बार-बार क्यों डिफेंट कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह--

इनसे नहीं । उन तक पहुंचाना चाहता हूं ।

अब जो बात मुझे कहनी पड़ेगी और मैंने अपने साथियों से भी कहा कि उन बातों को कहने के बाद I will feel lowerd in my eyes मैं खुद अपने को छोटा महसूस करूंगा । लेकिन मुझे कहना पड़ता है । अध्यक्ष महोदय, यह अफसर का दोष नहीं है । दोष है पोलिटिकल लीडर्स का । हमारे यहां पुरानी कहावत है कि जिस रास्ते पर महाजन जाते हैं उसी रास्ते दूसरे लोग जायेंगे । आज के महाजन हैं पालिटिकल लीडर्स, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर । जो स्टैंडर्ड ये लोग कायम करेंगे उसका असर हमारे सोशल और पालिटिकल लाइफ पर पड़ेगा । आज पालिटिकल आदमी बड़ा है, कोई राइटर या प्रोफेसर नहीं । अंग्रेजों के जमाने में कांस्टेबुल बड़ा आदमी समझा जाता था । आज जिनके हाथ में पालिटिकल पावर है उसी की पापुलेरिटी है, उसी की सोसायटी में स्पेक्ट है । यह चीज गलत है । डेमोक्रेसी है । अगर हमारे स्टैंडर्ड ठीक नहीं होंगे,

[श्री चरणसिंह]

जिनके हाथ में पालिटिकल पावर है, तो सोसायटी का स्तर ठीक नहीं होगा और यही आज हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, करप्शन की शिकायत माननीय पंत जी के जमाने में भी थी और पोलिटिकल लैबुल पर भी थोड़ी सी शिकायत थी । संपूर्णानन्द जी के जमाने में थोड़ी और बढ़ी । गुप्ता जी और सुचेता जी के जमाने में भी थी । मैंने गुप्ता जी से एक दोस्त की बाबत कहा था कि इनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, इनको मिनिस्टरी में न लेना । उन्होंने कहा कि बात तो आप ठीक कह रहे हैं । पता नहीं वे गुप्ता जी यहां हैं या नहीं । लेकिन उन्होंने उनको फिर भी ले लिया । ऐसे खुशकिस्मत दोस्त हैं । हैं और रहेंगे । जानते हुए कि उनकी गल्तियां हैं उन्हें ले लिया । सुचेता जी के जमाने में करप्शन बढ़ा नहीं लेकिन था । अब तो यह हाल हो गया कि चारों तरफ हवा में करप्शन नं० १ करप्शन नं० २ और करप्शन नं० ३ के अलावा और कोई बात ही नहीं सुनाई पड़ती । ट्रांसफर करा लीजिये पैसा दे दीजिये । अध्यक्ष महोदय, हर डिपार्टमेंट का यही हाल है । ट्रांसफर अगर कराना हो तो पैसा देकर करा लीजिये और ट्रांसफर अगर रुकवाना हो तो पैसा देकर रुकवा लीजिये ।मैंने तो सुना यहां तक है कि यह भी हो रहा है कि लोग आफिसरों के पास जाकर यह कहते हैं कि इतना रुपया दे दो, वरना तुम्हारा ट्रांसफर पहाड़ पर हो जायेगा । यह भी सुना है कि कुछ जिलों से दलाल यहां पर आये हुए हैं जो यह कार्य कर रहे हैं । वे कहते हैं कि चलो तुम्हारा काम हम मिनिस्टर से कह कर करवा देंगे । यह सुनने में आया है कि आजकल तो रुपया दिया और काम हुआ । अब अगर यह बात गलत है तो हवा में कैसे आयी । अगर १०० में ६० काम भी अच्छे होंगे तो भी बात हवा में नहीं उड़ेगी, मगर जब १०० में ६० काम गलत होंगे तो जो आपकी रेपूटेशन है वह जरूर खराब होगी इसलिये इसको सुधारने की कोशिश होना चाहिये ।

एक बात और कहने जा रहा हूं । मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मैं अपने साथी जयराम वर्मा जी से पूछ रहा था कि कहूं या न कहूं, उन्होंने कहा कह दो, नाम न लेना मिनिस्टर का ।' ' '

श्री अध्यक्ष—

आपको दो घंटे हो गये ।

श्री चरण सिंह—

१५ मिनट और दे दें । अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था, था, मुझे मालूम हुआ है कि गाजियाबाद में कुछ जमीन थी कूड़ा आदि डालने की, गाजियाबाद म्युनिसिपाल बोर्ड की, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की, वह ४७ हजार रुपये में एक को दी गयी थी ९ साल के लिये । उस आदमी का नाम भी मेरे पास है, मैं बताना नहीं चाहता । उसने रुपया नहीं दिया । फिर उसके एक रिस्तेदार को १ लाख ७० हजार में दे दी गयी । उसने भी रुपया नहीं दिया । तो वहां के आफिसर ने कहा कि इस जमीन को नीलाम कर दो । इसका नीलाम होना चाहिये । किन्तु मिनिस्टर साहब जो मेरठ के हैं उन्होंने कहा कि नीलाम नहीं होना चाहिये, उसी को दे देना चाहिये । सुना है यहां से हुकुम भी कर दिया गया कि उनको दे दी जानी चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भी फाइल गयी । मगर उस आफिसर ने उसको नीलाम कर दिया और वह जमीन ९ लाख रुपये में बिकी । मैं चाहता हूं कि मेरी यह बात गलत साबित हो, क्योंकि वह मिनिस्टर साहब मेरे छोटे साथी रहे हैं, बहुत सी बातें उनके खिलाफ चल रही हैं, मगर यह बात सही है या गलत या फाइल से मालूम हो जायगी, उसको देख लिया जाय । अब विचार करने की जो बात है वह यह है, अगर यह बात सही है तो, कि वह जमीन अगर ९ लाख की नीलाम हुई है, तो मंत्री जी ने १ लाख ७० हजार में दिये जाने की

सिफारिश क्यों की थी ? क्या उनका जजमेंट गलत था या कोई और बात थी ? इसको मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी देख लें, और इसे सदन में बतलाने की कृपा करें ।

पोलिटकल करप्शन के सिलसिले में मैं एक चीज यह कहना चाहता था। पहले एम० एल० एज० की बात लेना चाहता हूं, एम०एल०एज० के बारे में मुख्य मंत्री जी को मेरी सलाह है कि आप एक्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी न लें बहैसियत मुख्य मंत्री के । यह डेमोक्रेसी के उसूल के खिलाफ है । डेमोक्रेसी का तकाजा जूडिशियरी और लेजिस्लेचर का सेप्रेशन है । अध्यक्ष महोदय, एक्जीक्यूटिव और जूडीशियरी का तो हमारे यहां कम्पलीट सेप्रेशन हो गया है, और अब आपके जरिये दरख्वास्त करूंगा कि एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का भी सेप्रेशन होना चाहिये । एम०एल०ए० होने के नाते आप किसी को किसी पद पर नियुक्त करते हैं तो यह डेमोक्रेसी के उसूल के खिलाफ है । मैंने इस बात को सन् ६७ में कहा था और उसके अनुरूप कार्य भी किये थे । कोई ऐसी कमेटी नहीं होनी चाहिये जिसमें गवर्नमेंट एम०एल०एज० को एप्वाइन्ट करे । हाउज की किसी कमेटी में एम०एल०एज० को नियुक्ति किया जाये वह तो बात ठीक है, लेकिन चीफ मिनिस्टर होने के नाते आप उनको एप्वाइन्ट करेंगे तो मतलब यह है कि आप उसकी ओपीनियन को खरीदना चाहते हैं, उसकी पोलिटकल पावर को प्रभावित करना चाहते हैं । तो दो सौ ऐसी कमेटीज हैं । उनके बारे में संविद के साथी राजी हो गये थे, लेकिन उसके बाद वह बात वहीं की वहीं रह गई । रीजनल ट्रांसपोर्ट कमेटीज है—रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी—आर० टी०ए०, हमने उनके बारे में अपनी गवर्नमेंट में तय किया था कि इनमें केवल अफसर होंगे । उसमें सुपरिन्टेडेन्ट इंजीनियर, डी०आई०जी० और कमिश्नर रहेगा । अगर ये लोग गलत करते हैं तो इन्हें सजा दी जा सकती है, लेकिन एम०एल०एज० को कैसे । मैंने सुना है, गलत होंगे तो वह कह देंगे परमिट देने में बड़ा भ्रष्टाचार है, लाखों का भ्रष्टचार है । एम०एल०एज० पर इतना प्रेशर है, परमिट की इतनी डिमाण्ड है कि कुछ लोग सही और कुछ लोग गलत बदनाम हो जाते हैं । मैंने यह सुना है कि एक एम०एल०ए० चूंकि डिप्टी मिनिस्टर नहीं बनाये जा सके, इसलिये उन्हें मेरठ की आर०टी०ए० का मेम्बर बना दिया गया है । मैं उनकी तसल्ली के लिये कहता हूं कि यदि ऐसा है तो ऐसा न किया जाय, इसमें एम० एल०एज० की रेपुटेशन गिरती है और इससे वह जनता की सर्विस अच्छी नहीं कर पाता है । जितना उसका सुधार हो सकता हो करें, खराब न करें ।

मिनिस्टर्स के सम्बन्ध में मैं कह चुका हूं कि आज यह देखने की बात आ गई है किस किस के खिलाफ शिकायत नहीं है, यह नहीं कि किस के खिलाफ शिकायत है । यह कितने अफसोश और लज्जा की बात है । अज यहां पर यों तो कांग्रेस (आर०) की गवर्नमेंट है, लेकिन हम यह चाहते हैं कि हम आपकी गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट कहें, खासकर सूबे के बाहर जाकर । लेकिन इसके लिये आपको वातावरण बनाना पड़ेगा, अपने कार्यों से हमें विश्वास में लेना पड़ेगा सीजर्स वाइव्स शुड फर्स्ट वि एबार्सन्ड ।

अध्यक्ष महोदय, अब मेरे पास शब्द नहीं हैं, किस तरह से बात को बयान करूं । त्रिपाठी जी को पहले अपने आप को देखना चाहिये । जब उनको अपनी तरफ से तसल्ली हो जायगी, तो उन्हें जो दूसरे साथी हैं उनकी तरफ से भी शिकायत नहीं रहेगी, या बिलकुल नहीं रहेगी या बहुत कम हो जायगी । अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह कह रहा था, हमारे पास दो कागज हैं । मैं अपने कर्त्तव्य से उनके बारे में कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब केवल एक कागज सुनाना चाहता हूं । एक ही काफी है । हमारे पहले मिटिस्टर रह चुके हैं झारखंडे राय जी । कम्यूनिस्ट एम० पी० हैं । आपकी पार्टी के बल पर जीत कर आये । हमने हराने का बहुतेरा प्रयत्न किया लेकिन आपकी पार्टी ने साथ दिया कम्युनिस्टों का और हमारा कैंडीडेट हार गया । आपने उन्हें जितवा दिया । तो आप का ही एम० पी० । उन्होंने एक चिट्ठी लिखी माननीय मुख्य

[श्री चरण सिंह]

मंत्री जी को । अगर वह प्राइवेट चिट्ठी होती तो मैं उसका जिक्र नहीं करता । अखबारों में छपी है । मेरे पास भी अखबार आया । एक साहब ने भेजवा दिया । मैं कुछ अपनी तरफ से कहूं तो मुझे भी पाप लगेगा लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं रख रहा हूं श्री झारखंडे राय की जबान से कहलवा रहा है । "मुक्तधारा" है, २४ जुलाई का अंक है । उसका शीर्षक यह है--- "पाप का घड़ा मुंह तक भर रहा है ।" माननीय मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी को श्री झारखंडे राय का पत्र अखबार में छपा है ।

शुरू में उन्होंने दो पैराग्राफ लिखे हैं कि आपको शुगर फैक्टरीज का राष्ट्रीयकरण जल्दी करवाना चाहिये नहीं तो आपकी गवर्नमेंट चली जायगी, चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट और गुप्ता जी की गवर्नमेंट की तरह । लेकिन बात असल है यह वह मतहीद के तौर पर लिख दिया । "मुझे दुख है कि आपने उस पत्र का उतर देना तो दूर रहा, उसकी प्राप्ति भी स्वीकार नहीं की, यह राजमद का अहम है । यह सर्वथा अनुचित है ।

उसी पवित्र कर्तव्य–भावना से प्रेरित हो कर मैं आज यह पत्र अत्यन्त दुःख और रोष के भाव से लिख रहा हूं ।

मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक राजनीतिक रोग है । बिना उस स्थिति में आमूल परिवर्तन के इसका उन्मूलन सम्भव नहीं है । यह बात मैंने चौधरी चरण सिंह को अपने त्यागपत्र में लिखी थी । परन्तु इसके विरुद्ध निरन्तर, हर स्तर पर, संघर्ष करते रहना चाहिये । यह नहीं कि जब तक आमूल परिवर्तन न हो जाय, बैठे रहा जाये, और जो हो रहा है, वह होने दिया जाय ।

इस विषय में आपकी ढील और आपका रवैया चिन्तनीय है । आपके प्रशासन में उच्चतम स्तर पर आपके ठीक अगल-बगल आपकी बाहों के घेरे में निम्नतम कोटि का निर्लज्ज भ्रष्टाचार फलफूल रहा है । आपके परिवार के लोग उसमें सम्मिलित हैं । क्या प्रदेश और देश के जाग्रत लोग यह विश्वास करेंगे कि आपको इस सारे नाटक का तनिक भी पता नहीं है ? कदापि नहीं करेंगे ।

आपके परिवार के ही प्रियजन आपके राजनीतिक जीवन की प्रतिष्ठा को अपने कुत्सित कार्य से निगल जाना चाहते हैं ।

सन् १९५२–५७ के बीच, पहली विधान सभा में, जो भ्रष्टाचार के मामले श्री राजनारायण सिंह ने आपके विरुद्ध, आपके पुत्र को लेकर, उठाये थे, मेरा विश्वास है कि वेआप भूले नहीं होंगे । आपने उससे कोई शिक्षा ली ? आपने अपने पुत्र को ऐसे कामों से अलग करने में सफलता प्राप्त की ? मेरी जानकारी है कि इसका उत्तर "नहीं" में है ।

१९६९ में मध्यावधि चुनाव के बाद, जब आप उप मुख्य मंत्री थे, उत्तर प्रदेश विधान सभा में, आपके मिर्जापुर फार्म पर जो घटित घटना घटी थी, उसको लेकर जो हंगामा हुआ था, वह अभी कल की बात है । क्या उसके बाद भी आप अपने परिवार वालों पर, अथवा अपने अगल–बगल रहने वालों पर कोई नियन्त्रण रखने का सफल प्रयास किये ? इसका भी उत्तर "नहीं" में है । अन्यथा अब जो घटनायें घट रही हैं, वे कदापि नहीं होती ।

उस हंगामा में आपकी इज्जत बचाने का प्रयास आपके "राम भाई श्री चन्द्रभानु गुप्त ने किया । उतने पर भी जन–साधारण में "भरत भाई" की साख गिरने से वे बचा नहीं सके ।

आज आपकी पुत्रबहु जो "बहूजी" के नाम से लखनऊ में विख्यात हो गयी हैं, आपके पुत्र "श्री मायापति" . .

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि यह कहना आपके लिये उचित नहीं है ।

गृह उप मन्त्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है इस प्रकार के निराधार तथा व्यक्तिगत आरोप मेंलाइन करने के लिये लगाये जाते हैं । इस पर सतर्कता से दृष्टि रखना चाहिये । व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये और इस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है । मेलाइन करने के लिये ऐसे जो मिथ्या आरोप लगाये जाते हैं--जो स्वयं कुत्सित हैं वे दूसरों पर भी ऐसे ही कुत्सित तथा घृणित आरोप लगाते हैं--उनको रोकने के लिये उन पर कड़ी दृष्टि रखी जाय ।

श्री चरण सिंह---

अखबार में यह बाहर निकला है । इस पर आप मुकदमा चलाइये ।

श्री अध्यक्ष---

आपके मुख से यह शोभा नहीं देता कि किसी बहू बेटी पर आक्षेप करें ।

श्री चरण सिंह---

शोभा नहीं देता इसलिये मैं बन्द किये देता हूं ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

मैं अध्यक्ष महोदय एक बहुत साधारण सदस्य हूं । अपवाद के रूप में आपको अधिकार है कि आप किसी माननीय सदस्य को इतना अधिक समय दें । लेकिन जब किसी के पास तथ्य नहीं रहते हैं । तो न मालूम कितने अखबार निकलते हैं एक दूसरे के खिलाफ अपना मत देते हैं उनको यहां कोट करने की आवश्यकता पड़ जाती है । अब्दुल्ला गांधी का नाम भी लीजिये । तिलक भगवान के लड़कों का भी फिर नाम लीजिये । बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अखबारों में भले ही छप जाती हों लेकिन इस सदन की मान मर्यादा के खिलाफ होता है उनका यहां पर बयान करना । जब ऐसा विषाक्त वातावरण पैदा कर दिया जायगा उधर से तो फिर इधर से भी उनका उल्टा सीधा उत्तर शुरू होगा ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने इसलिये उनसे कहा कि उनको शोभा नहीं देता कि उनके मुख से किसी की बहू बेटी का जिक्र यहां हो ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं मान्यवर, निवेदन कर रहा था कि न जाने कितने पत्र निकलते हैं जो सत्य और असत्य सब कुछ छापा करते हैं, जिसका चौधरी साहब को पता न हो । ऐसे पत्र को सदन में पढ़ना सदन की परम्परा के अनुकूल नहीं है । परन्तु मैं समझता हूं कि जब उन्होंने पढ़ना शुरू ही कर दिया है तो जितना वह पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं देता । यह उनक लिये शोभा नहीं देता ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, एक पुरानी कहावत है । नहीं संतोष तो कुछ न कुछ तो कहिये ।

श्री चरणसिंह—

मैंने शुरू में स्वयं ही तसलीम किया कि मुझे ऐसी बात कहनी पड़ सकती है जिसको मैं कहना नहीं चाहता। उससे मुझ को भी तकलीफ होगी। आपने भी कहा कि शोभा नहीं देता। लेकिन अगर अशोभनीय बात होती रहे और दुनिया उसे जानती है और बारबार कहने पर भी कोई अमल न होता हो तो उसको फिर मजबूर हो कर कहना ही पड़ता है।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं। विधान सभा का एक स्तर होता है। ओछे दिमाग वाले छोटी बातें कह कर उसका स्तर नहीं गिरा सकते। मान्यवर, आपके हाथ में जनतंत्र सुरक्षित है अगर आप रक्षा नहीं कर सकेंगे तो स्थिति दूसरी होगी।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसीलिये रोक दिया।

श्री चरण सिंह—

मैंने भी इसलिये रोक दिया आगे पढ़ना। इसलिये नहीं रोक दिया कि मुझे राइट नहीं है, राइट मुझे है। (व्यवधान)

श्री राजित राम पांडेय—

यह तबर्रा पढ़ने के लिये आपको राइट दिया गया है?

श्री अध्यक्ष—

इसीलिये उनको रोक दिया गया।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

हम लोग भी इस विधान सभा में चुनकर आये हैं। हम भी जानते हैं कि उस चुनाव में कितने प्रशासनिक पुर्जों का इस्तेमाल किया गया और किस प्रकार रुपयों की थैलियां बांटी गई (घोर व्यवधान) इस प्रकार की चीजें जनतंत्र और संसदीय लोकतंत्र में कोई व्यक्ति बरदाश्त नहीं कर सकता.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने पहले ही कह दिया। वे अब नहीं पढ़ेंगे।

श्री राजित राम पांडेय—

मान्यवर, जो गुंडा ऐक्ट खतम हुआ है वही बात इनके दिल में नाच रही है।....

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया शांत होकर बैठ जायं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आप सब लोग बैठ जायं।

श्री चरण सिंह—

जैसा कि मैंने कहा, मैं आगे इसे नहीं पढ़ूंगा किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि जनता ने इसे नहीं पढ़ा है। यह पत्र अखबार में है और सभी ने इसे पढ़ा होगा। (व्यवधान)

एक सदस्य—

जो ८ लाख रुपया गांजे के साथ गोरखपुर में पकड़ा गया वह बात कागज में है, अखबार में है, और पुलिस क रिकार्ड में है ...(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कर ।

श्री चरण सिंह—

सिर्फ ५ मिनट का समय और चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप सिर्फ दो मिनट ले सकते हैं ।

श्री चरण सिंह—

मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों को इससे एतराज है और एतराज तो मझे भी है किन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मेरा कर्तव्य है कि अपनी भावना से न कहकर एक एम० पी० जो कि सेमी कांग्रेस मैन हैं, उनकी बात आपको बतला दूं । मैं इसलिये कह रहा था कि हो सकता है माननीय मुख्य मंत्री अपने जवाब में उसक सम्बन्ध में भी कुछ कहेंगे क्य कि यह अखबार तो हजारों लोगों ने पढ़ा होगा । सही है या गलत है यह दूसरी चीज है किन्तु जो अखबार में चीज आ जाती है वह इस प्रकार से शोर मचाकर दबने वाली नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य यह मानेंगे कि इस सदन में एक प्रतिष्ठित समाज बैठा हुआ है और यहां पर ऐसी गन्दगी नहीं आनी चाहिये ।

श्री चरण सिंह—

बट इट टैक्स टू साइड्स । मान्यवर, मैं कल यहां पर उस वक्त उपस्थित नहीं था जब माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने यह सवाल उठाया था तो बीच में माननीय श्री त्रिवेणी राय जो कि एक पुराने सदस्य हैं, उन्होंने आजमगढ़ का एक काल अटेन्शन किया और यह कहा कि ५० लाख रुपया सेठ पृथ्वीनाथ जी ने ले लिया जब वे कमेटी के मेम्बर थे....

श्री अध्यक्ष—

एक आदमी यहां पर मौजूद नहीं है और उसके बारे में....(व्यवधान) यह ठीक नहीं है । वह नहीं करना चाहिये ।

श्री चरण सिंह—

वह नहीं करना चाहिय । अगर सेठ पृथ्वीनाथ ने रुपया लिया तो इस लफ्ज का अर्थ यह था कि बी०के० डी० ने लिये, वीरेन्द्र वर्मा ने लिये और चरणसिंह ने लिये, यह मंशा था । मेरी उनसे बात-चीत हुई । उन्होंने कहा कि गलतफहमी हुई मुझसे, यह बात सही है...

श्री राम कृष्ण द्विवेदी—

अरे, इन मच्छरों की झनकार से मैं नहीं दबने वाला हूं । चौधरी के व्यक्तिगत एकाउन्ट्स में उनकी पार्टी का पैसा जमा किया जाता था । सारा पत्रकार जगत जानता है, इनको एक्सपोज किया इनके दल के लोगों ने । इनके मंत्री ने एक्सेप्ट किया है । आप क्षमा करेंगे,

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]

मैं भी एक लाख जनता से मनीराम से चुन कर आया हूं जहां मशहूर गुन्डे मेरे पीछे लगाये हुए थे। मैं इन मच्छरों की परवाह नहीं करता। मेरा परिवार आजादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लेता रहा है।

श्री चरण सिंह---

बड़ी जवानी है! बड़ी बातें हैं! अध्यक्ष महोदय, मैंने त्रिवेणी राय जी को यह चीज बतलायी और आपके जरिये हाउस को भी कि मैंने उस वक्त यह बयान दिया था और मेरा बयान स्टैंड करता है और पब्लिक में स्टेटमेन्ट दिया था कि यह जो इल्जाम बी० के० डी० पर लगाया जा रहा है इंदिरा जी को लिखा था कि सी०बी०आई० की इंक्वायरी इस संबंध में हो और दोस्तों की भी इंक्वायरी हो जो दिल्ली में और लखनऊ में उस तरह का इलजाम लगाते हैं। मेरा आफर और चैलेंज स्टैंड करता है।

श्री राम कृष्ण द्विवेदी---

मान्यवर, इस सारे चैलेंजों को मैं अकेला स्वीकार करता हूं और चरण सिंह और इनके दोस्त देश के किसी कोने से इस्तीफा देकर लड़ें, मैं सबसे पहले लड़ने के लिये तैयार हूं....

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिये, आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री अनन्त राम जायसवाल---

अध्यक्ष जी, एक अखाड़ा खुदवाइये। यहां की बात वहां हुआ करे।

श्री अध्यक्ष---

अब आप समाप्त कीजिये।

एक सदस्य---

यह सज्जन जो गर्जना करते हैं, एक बुड्ढे आदमी को हराकर बड़ा जवांमर्दी का दम भरते हैं। मनीराम की बात करते हैं, वह जहां से चाहें आ जायं, लड़ लें, हम तैयार हैं। हम उनके चैलेंज को स्वीकार करते हैं।

श्री राम कृष्ण द्विवेदी---

मैं टी० एन० सिंह, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, गप्पा सब को अकेले चुनौती देता हूं। आप क्या लड़ेंगे, आपके चचा लड़ कर देख आये। (व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

माननीय उप मंत्री को आगरे भेजिये।

श्री राम कृष्ण द्विवेदी---

मैंने एक लाख जनता का प्रतिनिधित्व किया है। मैं व्यवस्था करवा रहा हूं मैनेजर सिंह को आगरा भेजने की।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

आपके माध्यम से बड़ी नम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस इलेक्शन से पेश्तर सन १९६९ में भी वह चुनाव लड़े थे और हार गये। इतना आदमी को मगरूर नहीं होना चाहिये।

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि एक बात मैं और कहना चाहता हूं। वह बात भी परसनल है त्रिपाठी जी, लेकिन सारे एडमिनिस्ट्रेशन पर और पब्लिक लाइफ पर उसका असर पड़ रहा है और वह पैर छुआने की आदत है। मशहूर बात हो गयी है, कमजोरी है उनकी। तो मैं समझता हूं कि यह बात तो ऐसी है कि जरा दो मिनट तशरीह करने की इजाजत दे दी जाय कि इस सब का असर यह पड़ रहा है कि आफिसर्स पैर छूते हैं।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री चरण सिंह--

मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूं। वे क्या कह गये मैंने सुना नहीं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोग हुआ करते तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है, जो पब्लिक के आदमी आते हैं उनको भी छूने पड़ते है। पड़ते हैं यों कि जहां सब छू रहे हैं और अगर एक कोई न छुए तो उसको यह सोचना पड़ता है कि कहीं मुख्य मंत्री नाराज न हो जायं। उससे भी बुरी बात यह है कि अफसर भी पैर छूते है। आप कृपया एक आर्डर निकाल दें कि कोई आफिसर पैर न छुए। यह ठीक है कि पुरानी प्रथा पड़ी हुई और पूर्वी जिलों में वह ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष--

आपको १५ मिनट से ज्यादा हो गया है।

श्री चरण सिंह--

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हो सकता है इनमें से कुछ बातें गलत हों लेकिन उन पर विचार जरूर किया जाना चाहिये क्योंकि इससे गवर्नमेन्ट की बदनामी हो रही है।

जो लोग पुराने अंग्रेजों के जमाने के है, उस जमाने से पब्लिक लाइफ में काम कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष महोदय, क्या क्या स्वप्न थे, वे सोचते थे कि देश को महान बनायेंगे, शक्तिशाली बनायेंगे, दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करेंगे, आज उन स्वप्नों का क्या हुआ? देश की जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है लेकिन हमारे प्रदेश की भी जो हालत है वह सारे देश की हालत से अच्छी नहीं है। आज नौबत यह आ रही है कि जो बात मैंने कही है, जो रोज यहां कही जाती है, जिसको रोज पब्लिक कहती है, उस पर क्यों विचार नहीं किया जाता है कि वह क्यों हुआ? वह एक दम तो हो नहीं गया है, धीरे धीरे ही तो हुआ है और अब वह बहुत ही नीचे पहुंच गया है। अध्यक्ष महोदय, ये नौजवान लोग हैं, ऊंचे स्वर में चिल्ला सकते है। राजित राम जी पुराने हैं लेकिन अभी इधर नये आये हैं। और दूसरे नौजवान जो यहां टी० एन० सिंह को हरा कर आये हैं। वे चिल्ला सकते हैं लेकिन जो पुराने लोग हैं, चाहे वे इधर के बैठने वाले हों, अथवा उधर के बैठने वाले हों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है? हम क्या करने चले थे और क्या करने लगे हैं?

रेडियो पर काम करने वाले २-३ कर्मचारी मेरे पास आये और मुझसे कहा कि १९२१ के सत्याग्रह आन्दोलन के बारे में कुछ संस्मरण बताइये। अब नयी पीढ़ी को तो उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। उन्होंने मुझसे आग्रह किया और मैंने उनको दिये। मैंने उनसे कहा कि कभी कभी मुझको यह ख्याल आता है कि बेहतर तो यह होता कि हम उन पुराने स्वप्नों को ही लेकर जाते, चाहे देश गुलाम ही रह जाता और मर गये होते, वह जिन्दगी अच्छी होती बजाय इसके कि अपनी आंखों के सामने अपने उन स्वप्नों को भंग होते हुए देखते। जो समस्या

[श्री चरण सिंह]

हमारे सामने है उसको शोर मचाने से दबाया नहीं जा सकता, उस पर ठंडे दिल से विचार करना ही होगा। यहां बहस करने की बात नहीं है। किसी भी बहस का जवाब तो कुछ न कुछ बहस के द्वारा दिया ही जा सकता है और किसी को भी कुछ जवाब देने का अख्तियार है, लेकिन उससे कोई समस्या हल नहीं होती। मेरा तो केवल यह कहना है कि गवर्नमेन्ट को ठीक से चलाने का कष्ट करो, नहीं तो यह प्रदेश डूब जायगा।

एक सदस्य---

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चौधरी साहब से एक जानकारी करना चाहता हूं कृपा कर के इसकी जानकारी करा दें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय शीतला प्रसाद सिंह···

(व्यवधान)

एक सदस्य---

संसद के चुनाव के समय जब चौधरी साहब हमारे जिले में गये थे तो उन्होंने एक ऐसे आदमी के यहां खाना खाया जिसका बाप चोर था, दादा चोर था, ३७९ में सजा हुई थी, क्या यह सत्य है या असत्य है?

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

एक मुझे सुझाव देना है कि अगले वर्ष से नागपंचमी के दिन छुट्टी कर दिया करें। आज नागपंचमी का दिन है। बड़ा विष व्याप्त रहा और बड़ा हल्ला गुल्ला, बड़ा शोर गुल रहा।

(इस समय ४ बजकर २० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय शीतला प्रसाद सिंह···

श्री त्रिवेणी राय---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। चौधरी साहब चले जायेंगे तो जवाब कोई नहीं देगा।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी नहीं। अब माननीय शीतला प्रसाद सिंह का नाम पुकारा गया है वह इस सदन को सम्बोधित करेंगे।

*श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य प्रशासन के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज सामान्य प्रशासन पर माननीय चौधरी साहब ने जो टीका टिप्पणी करनी चाहिये थी वह न करके व्यक्तिगत तमाम दुनियां भर की बातें कीं जिससे जो सामान्य प्रशासन में सुझाव देने की बात थी या और उसमें सुधार लाने की बात थी वह नहीं हो पायी। यह सही है कि आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में जिन आकांक्षाओं से, जिन भावनाओं से जनता ने नयी कांग्रेस का साथ दिया है वह चाहती है कि उस तरह का प्रशासन हो। यह भी सही है कि आज प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। वह आज की बीमारी नहीं है, कई वर्ष की बीमारी है। हमारे चौधरी साहब ने भी अपनी सरकार बनने से पहले जनता को यह आश्वासन दिया था कि कल अगर हमारी सरकार आ गयी तो परसों से यह सारा करप्शन दूर हो जायगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसी का रिऐक्शन हुआ कि पिछले चुनाव में जनता ने उन्हें ठोकर दे दिया। आज हम लोगों ने भी यह आश्वासन दिया है कि हम समाजवादी ढंग से देश की गरीबी को दूर करेंगे और देश में जो यह भ्रष्टाचार, अराजकता और अव्यवस्था है उसमें सुधार करेंगे और अगर हम यह न कर पाये तो जनता हमें भी नहीं बकसेगी। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस समय बहुत क्रान्तिकारी कदम उठाने की जरूरत है। यह जो इतनी जबरदस्त हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेसी हावी है, इस जनतन्त्र में जनता के साथ जो व्यवहार होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। आज हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में जिन भावनाओं को लेकर सरकार चलती है वह प्रतिपादित नहीं हो पाती हैं। सरकार चाहती है कि गरीब के साथ इन्साफ हो। सरकार चाहती है कि देश में स्वच्छ प्रशासन हो। सरकार चाहती है कि देश की प्रगति हो लेकिन इसमें जो बाधायें हैं उसका एकमात्र निराकरण यह है कि हम अपनी इन परम्पराओं को जो नौकरशाही में घर कर गई हैं, इनको दूर करें। आप चाहे जिस तरफ देखें सभी समाजवाद के संबंध में नारा लगाते हैं।

आज सीलिंग की बात कही जाती है कि सीलिंग करके भूमि का वितरण हो। वह होना चाहिये लेकिन मैं देख रहा हूं कि लाखों एकड़ जमीन सीलिंग से निकली हुई पड़ी है लेकिन आज तक उसका वितरण नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है इसकी जिम्मेदारी कुछ अधिकारियों के ऊपर हैं। सरकार को देखना चाहिये। मैं जानता हूं कि आज पैसे का युग है। जिसके पास पैसा है वह सब कुछ कर लेता है। वह कानून पर भी हावी हो जाता है और अधिकारियों पर हावी हो जाता है। जो सरकर चाहती है वह नहीं हो पाता है। मैं आपको मिसाल दूं कि हमारे गोंडा और बहराइच के जिलों में लाखों एकड़ जमीन जो निकली है उस पर बड़े काश्तकारों का कब्जा है। उन्होंने बड़े-बड़े फार्म बना लिये है जिससे वह जमीन उन गरीब काश्तकारों को पट्टे पर नहीं दी जा सकती है जिनको देना चाहिये। यही नहीं बल्कि हर विभाग की हालत को देखा जाय तो जो सरकर का मन्शा है उसके अनुकूल काम नहीं हो रहा है। सरकार कुछ चाहती है और वह कुछ करते हैं। हमने देखा कि पिछले मर्तबा भूमिदान देने का अभियान चलाया गया। १००, २०० एकड़ जमीन मिली लेकिन जिनको मिलना चाहिये वह वंचित रहे। जिनको मिली भी उनको आज तक कब्जा नहीं मिल पाया है। तो सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात पुलिस प्रशासन की है। प्रदेश में जरायम बढ़ रहे हैं। डकैती बढ़ रही है। हमारे शासन की कुछ व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें कह देते हैं कि नक्सलाइट बढ़ रहे हैं। क्यों न वे लोग नक्सलाइट हो जांय जब कि उनके पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं है। जो सीलिंग से निकली हुई जमीन है, जो उनको मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। वह उसको लेने के लिये तैयार हैं। इस बात को सरकार को सतर्कता के साथ देखना चाहिये और जो दुर्व्य था है उसको जल्द से जल्द दूर करना चाहिये। यह आज की दुर्व्यवस्था नहीं है बल्कि बहुत दिनों से है। इस प्रदेश की जनता को यह विश्वास था कि माननीय चौधरी साहब, जो अभी लान्छन इस सरकार पर लगा रहे थे, उनके कार्यकाल में कुछ जनता को राहत मिलेगी। मैं समझता हूं उनके जमाने में भ्रष्टाचार और बढ़ा है और अराजकता बढ़ी है इसमें कोई सन्देह नहीं है। यह प्रदेश की जनता महसूस कर चुकी है कि यह केवल गाल बजाना था। मैं समझता हूं कि आज के युग में कहने में और करने में बहुत फर्क है। करना बहुत मुश्किल है। उसके लिये दिन

[श्री शीतला प्रसाद सिंह]

रात एक कर दिया जाय हर तरफ जागरूक रहा जाय तभी सुधार हो सकता है क्योंकि हर आदमी अपना व्यक्तिगत स्वार्थ चाहता है पैसे के लालच से गलत सही काम करने को तैयार है, उन पर नियन्त्रण करना आसान नहीं है और इसके लिये बराबर सतत प्रयास की आवश्यकता है ।

इसी तरह से पुलिस प्रशासन में भी यही हालत है । आज गांवों में हालत यह है कि जो गरीब बेचारे बेगार नहीं करते और करने में थोड़ी आनाकानी करते हैं क्योंकि उनसे बड़े लोग दस रुपया माहवार पर जबरदस्ती काम लेना चाहते हैं तो वह बड़े लोग पुलिस से मिलकर डकैती और चोरी के फर्जी जुर्म में उनको फंसा देते हैं और इस तरह से गरीबों पर अपना पुलिस के द्वारा आतंक स्थापित करते हैं । यह हो इसलिये रहा है कि पुलिस के खिलाफ सही कार्यवाही नहीं होती, अधिकारी ऐसा काम करने वाले दरोगा लोगों को चेक नहीं करते और केवल कागज पर क्या है इसको ही लेकर चलते हैं, वास्तविकता क्या है, कौन जुर्म करता है, कौन वास्तव में डकैत है कौन चोर है इसको कोई नहीं देखता । आज निरपराध मारे जाते हैं । ऐसे लोगों को सरकार का परिश्रय मिलना चाहिये और सुधार होना चाहिये । हमारे जिले गोंडे की एक मिसाल है वहां पर एक सम्मानित.....

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

श्रीमन्, जो नियम ५१ के हैं उसके लिये कृपा करके आप समय बढ़ा दें.....

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपके ८ मिनट हो गये हैं, ७ मिनट आप कल बोल लें आपका भाषण जारी रहेगा । इस समय आप समाप्त कर दें । अब सूचनायें मैं दूंगा ।

विद्यार्थियों को विद्यालयों में प्रवेश मिलने में कठिनाई होने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं जो सूचनायें हैं उनको पढ़े देता हूं, उसको सुनने के बाद आप में से कुछ कोई माननीय सदस्य कहना चाहें तो बाद में कहें तो अच्छा होगा ।

आज नियम ५६ के अन्तर्गत केवल १ सूचना प्राप्त हुई है श्री कृष्णानन्द राय, श्री बंशीधर पांडेय और श्री सुरेन्द्र विक्रम की ओर से और यह विद्यालयों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन के विषय में है । इस को स्वीकार नहीं किया है आप इस विषय में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि कम से कम आपने नियम ५६ के इस विषय की सूचना का यहां जिक्र किया । आप जानते हैं और यह सरकार भी जानती है कि यह प्रश्न बहुत गम्भीर हो गया है लेकिन काम की व्यस्तता के कारण यह प्रश्न नहीं उठाया जा सका । आज प्रदेश की हालत यह है कि ५० हजार से ऊपर विद्यार्थी जनपदों में विद्यालयों में प्रवेश के लिये ठोकरें खा रहे हैं और छात्राओं और छात्रों के सामने बड़ी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई है । अकेले कानपुर में ही ऐसे विद्यार्थियों की ५,००० की संख्या है और प्रदेश के विद्यार्थियों में एक क्षोभ की भावना सारे प्रदेश में धीरे-धीरे सुलग रही है और प्रदेश के अनेक जिलों के विद्यार्थियों के संघों ने इस विषय पर विचार करना आरम्भ कर दिया है और चैलेन्ज देना आरम्भ कर दिया है और यदि उनकी इस समस्या का समाधान न होगा तो यह डर है कि वह विद्यालयों को शांति से नहीं चलने देंगे और वहां अशांति की स्थिति उत्पन्न करेंगे । आपने कहा कि इस विषय पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछ लें लेकिन इस विषय में मेरी सरकार से अपील है कि इस विषय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कोई समय लेकर सरकार अपना वक्तव्य दे दे। ताकि विद्यार्थी समाज में कोई ऐसा वातावरण पैदा न कर सकें जिससे यहां के शिक्षा जगत पर कोई बुरा प्रभाव पड़े।

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रदेश के छात्रों का सवाल है इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है लेकिन यह किसी अविलम्बनीय घटना से संबंधित नहीं है। नियम ५१ में इस पर आधा घंटे की चर्चा हो जायगी।

श्री वंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

नियम ५२ में ढाई घंटे का विवाद करा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

वह नियम ५१ में आधा घंटे की चर्चा हो जायगी।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

अब यह नियम ५१ की १३ सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक श्री चेतराम गंगवार की है एच० आर० शुगर फैक्ट्री, बरेली के ऊपर गन्ना उत्पादकों के बकाया के विषय में। इस विषय पर ही ३०-७-७१ को एक वक्तव्य होने जा रहा है, इसको भी उस में ही सम्मिलित कर दिया गया है। ३० जुलाई को यह आयेगा, उसमें यह भी जोड़ दिया जायगा।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन्, मैं इस प्रश्न को ३-४ दिन से उठा रहा हूं। आपने जो घोषणा कर दी है उससे आपने वहां के किसानों और मजदूरों पर बड़ी कृपा की। करोड़ों रुपये का मामला है। इस पर यदि आप चर्चा के लिये १० मिनट ही दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष---

जब इस तरह के प्रश्न स्वीकृत हैं तो इसको अलग से थोड़े ही लिया जा सकता है।

श्री चेतराम गंगवार---

श्रीमन्, मेरा प्रश्न उससे भिन्न है। आप इस पर १० मिनट की चर्चा के लिये समय दे दें तो बड़ी कृपा होगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह का प्रश्न ३० जुलाई को आ रहा है वक्तव्य के लिये। मैं आपके प्रश्न को भी शामिल करा दूंगा। यह भी वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

अब माननीय राम गोपाल संड जी की सूचना है जिसमें उन्होंने जिला तथा नगर इलाहाबाद में गंगा तथा जमुना में बाढ़ आने का जिक्र किया है। मैंने इसको भी बाढ़ के संबंध में होने वाले वक्तव्य में शामिल करने का आदेश दे दिया है।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, आपने कौन-सी तिथि इसके लिये निश्चित की है। सदन में राजस्व में अभाव मंत्री जी उपस्थित हैं। श्रीमन्, इलाहाबाद के बलुवाघाट, कादम्बरी गद्दी, अलोपी

[श्री राम गोपाल संड—]

बाग, दारागंज और लगभग ३०० गांवों में बाढ़ आ गयी। है। मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी जिलाधीश से सम्पर्क स्थापित करके राहत के कार्य का प्रबन्ध करा दें। और हमें बता दें कि वे क्या कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, इलाहाबाद के सैकड़ों गांव तक डूब गये हैं और घिर गये हैं। श्रीमन् घसी से लेकर बढ़ौली, उसमापुर, राथा मवइया, गुडरी, टेला लक्षागिर, हरिहरपुर जो तहसील हंडिया में हैं बाढ़ के पानी से घिर गये हैं। अभी हमें तार मिला है कि वहां के किसान भाग रहे हैं और ढोर डूब रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी उनके लिये राहत के कार्य कराने का तुरन्त प्रबन्ध करा दें।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर एक साथ दो या इन से अधिक सदस्य बोलने लगते हैं तो कैसे समझ में आ सकता है ?

श्री राजित राम पांडेय—

श्रीमन्, वहां पर अनेकों मकान गिर गये हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैंने भी एक नियम ५१ के अन्तर्गत दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में माननीय रामगोपाल संड जी न जो दिया है वह सम्मिलित कर लिया गया है। उसी के साथ आपका भी है।

श्री रूप नाथ सिंह यादव—

मान्यवर, इलाहाबाद में बहुत से गांव बह गये हैं। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे जिलाधीश को वहां पर राहत के कार्य के लिये आदेश दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसको स्वीकार किया है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती —

श्रीमन्, मने भी एक नियम ५१ के अन्तर्गत दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संड जी ने अभी कहा कि माननीय राजस्व मंत्री सदन में हैं और वे कुछ इस बारे में बताने की कृपा करें।

*राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

श्रीमन्, अभी अभी माननीय संड जी ने जो बातें कहीं हैं, वे ठीक हैं। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अभी दोपहर को हमीरपुर से लौटा हूं। वहां पर भी अभूतपूर्व बाढ़ आयी हैं। वहां पर यह कहा जाता था कि सन् १९१६ में सबसे अधिक बाढ़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस मर्तबे की जो बाढ़ है वह उससे आगे निकल गई है । ३५१ तक पहुंच गई थी अब वह ३५४ प्वाइन्ट तक पहुंच गई है । यह सारी की सारी बाढ़ इलाहाबाद और वाराणसी जा रही है और उससे आगे भी जा रही है । इस सम्बन्ध में जितनी भी सूचनायें चाहिये यदि आप कल चाहें तो आज ही अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके कल दे दूंगा । यदि आप मुझे परसों तक का समय दें तो मैं इलाहाबाद स्वयं जाकर वहां से लौटकर परसों सूचना दे सकता हूं ।

(व्यवधान)

श्री रूपनाथसिंह यादव---

श्रीमन्, इसे इलाहाबाद से शुरू करते हैं । २७५ फुट खतरा प्वाइन्ट है वह तो वहां २७५.३ तक पहुंच गई है ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी कह रहें हैं कि अगर आप कहें तो कल भी चले जांय । इलाहाबाद देख आये । माननीय राजस्व मंत्री कल भी बयान देने के लिये तैयार हैं ।

श्री उदित नारायण शर्मा---

मैं कल ही बयान दे दूंगा । आज सारे अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर लूंगा । स्थिति को स्वयं देख आने के बाद अगर आप चाहें तो मैं परसों भी दे सकता हूं ।

श्री राजित राम पांडेय---

श्रीमन्, वहां की हालत बड़ी दयनीय है । मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वहां के अधिकारी कलेक्टर को तुरन्त टेलीग्राम करें और अधिकारियों को जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने के लिये कहें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी बात मंत्री जी मान गये हैं । वे तो जाने के लिये भी तैयार हैं आपको कहने की क्या आवश्यकता है ?

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, मेरी बात सुन लें । मेरे क्षेत्र की बात सुन लें । मंत्री महोदय इलाहाबाद जाते हैं लेकिन इलाहाबाद की चायल तहसील के गांवों में नहीं पहुंच पाते हैं । गंगा जमुना के बीच का जो दोआवा है उसके अन्दर पानी भरा हुआ है । कछारी इलाका सब डूब गया है । मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप इलाहाबाद जाते हैं तो जो तहसीलदार तथा अन्य अधिकारी हैं वे उन बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करें, न कि वे आपकी ही सलामी में डूबे रहें ।

श्री सुखपाल पांडेय---

श्रीमन्, मैंने दफा ५१ के अन्तर्गत आपके पास एक प्रस्ताव भेजा था और वह इस आशय का कि वित्त निगम, कानपुर, स्वरूपनगर में एक बिल्डिंग है, यह बिल्डिंग एक अंग्रेज की है और वहां कारपोरेशन के अधिकारी, उसको स्टेट गवर्नमेन्ट, चार लाख रुपये में खरीद रही है । उस बिल्डिंग की कीमत कुल तखमीना है, अस्सी हजार रुपये से अधिक नहीं होगी । क्योंकि उस बिल्डिंग की अंग्रेज बेचकर विदेश जाना चाहता है । उस सम्बन्ध में मैंने आपकी सेवा में दफा ५१ के अन्तर्गत दिया है मेरा अनुरोध है कि.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप अल्पसूचित प्रश्न कर दें ।

श्री सुखपाल पांडेय---

श्रीमन्, यह बड़े महत्व का प्रश्न है । चार लाख रुपये वित्त निगम का एक अधिकारी और अंग्रेज मिलकर बांट लें और उसके बारे में आप अल्पसूचित प्रश्न की आज्ञा दें । एक लाख रुपये की कितनी चर्चा चल रही है और यहां हम चार लाख रुपये की बात कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आज जो भयावह स्थिति बाढ़ की है क्या उसके ऊपर आपके सवाल को तरजीह दी जा सकती है ?

श्री सुखपाल पांडेय---

उसको आप दो-तीन दिन बाद कर दें । स्वीकार कर लें ।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी । माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि हमीरपुर जिले में बड़ी बाढ़ है, १९१६ के बराबर पानी चला गया है । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश सरकार हमीरपुर, इलाहाबाद और वाराणसी के जलस्तर देखकर ही बाढ़ का मूल्यांकन कर रही है । हमारा जो बलिया जिला है, उसका जो पूर्वांचल है, वह नीचे के पानी में भी प्रभावित होता है । दो-तीन दिन से गंगा का पानी वाराणसी और बलिया में खतरे के बिन्दु से ऊपर उठा है लेकिन १५ दिन से बलिया का पूर्वांचल का, विशेषकर हमारे निर्वाचन क्षेत्र का आधा भाग जलमग्न है, । बड़ी गंडक और सोनी की बाढ़ के कारण पटना का पानी उल्टा बाढ़ पर है । उत्तर प्रदेश के शासन के कागज में अभी तक बाढ़ बलिया जिले में नहीं थी जबकि १५ दिन से हमारा इलाका डूबा हुआ है । अभी मैं वहां गया था, निर्भय सिंह वगैरह भी साथ थे, बड़ी भयावह स्थिति है। दोनों तरफ गंगा और घाघरा की वजह से हमारा आधा जिला डूब गया है । कठौड़ा,जमालपुर की तरफ कटान जारी है । गायघाट के आगे बड़ा कटान जारी है । नौरंगा वगैरह तीन-चार जो गांव हैं, वह आठ दस मील पानी में फंसे हैं । एक पुरानी मोटर लान्च सरकार के पास है । अगर पानी बढ़ गया है तो हमारे जिले के ये तीन-चार गांव फंस जायेंगे, बरबाद हो जायेंगे । कोई मोटर बोट का इन्तजाम नहीं है । हमीरपुर में आपने सेना की मदद ली है । बलिया में भी सेना की मदद लें ।

श्री उदितनारायण शर्मा---

मान्यवर, अभी मैनेजर सिंह जी ने जो कहा, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आज ही उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करूंगा । मैं उनको एक बात और बता दूं कि हमीरपुर जाने के पहले मैंने बलिया के कलेक्टर को फोन पर कंटैक्ट किया था । मैंने अखबारों में पढ़ा था और मेरा ख्याल था कि शायद बलिया में बाढ़ आ रही है। मैंने टेलीफोन पर उनसे पूछा कि क्या हालत है । उन्होंने कहा कि अभी तक वहां पर हालत ऐसी नहीं है कि जिसमें लोगों को इवैकुएट करने की जरूरत हो, अगर आवश्यक हुआ तो मैं आपको इत्तिला दूंगा और हम लोग उसको करेंगे । अब आज आपने इत्तिला दी । मैं उनको आश्वासन देता हूं, वह मेरे पास आ जांय । अपने पास बैठाकर उनके सामने मैं कलेक्टर से बातचीत कर लूंगा ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, मैंने दफा ५१ का प्रश्न दिया है । छितौनी शुगर फैक्ट्री में ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मैनेजर सिंह---

बलिया के प्रशासन की यह हालत है---तीन सबडिवीजन हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित बलिया और बाह तहसील है। दोनों डिप्टी कलेक्टर छुट्टी पर हैं बाढ़ अधिकारी, बलिया के एस०डी०ओ०, वह भी छुट्टी पर हैं इसलिये मैं आपसे चाहता हूं कि एक दिन बलिया भी चलें और चलकर वहां की हालत को स्वयं ही देख लें।

श्री उदित नारायण शर्मा---

जिस वक्त कहें मैं चलने को तैयार हूं।

श्री रामधारी शास्त्री---

श्रीमन् मैंने भी एक नियम ५१ में दिया है। छितौनी शुगर फैक्ट्री के मालिकों ने अखबार के द्वारा मजदूरों को सूचना दी है कि वहां के ५०० मजदूरों की सेवायें समाप्त हो गयी। यह गैर कानूनी लाक आउट है। सरकार से और लेबर मिनिस्टर साहब से मेरा निवेदन है कि इसके लिये तो उनका प्रासीक्यूशन होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

निकाल दिया है या लाक आउट किया है ?

श्री रामधारी शास्त्री---

अखबारों सूचना छपवा दी है कि आप लोगों की सेवाओं की जरूरत नहीं है। आजकल शुगर फैक्ट्री बन्द तो रहती ही हैं केवल रिपेयर का काम कोता है। ८० हजार बोरे चीनी गोदाम में बिल्कुल सुरक्षित है और जानबूझकर दैवी आपदा का लाभ उठाने के लिये अखबारों में नोटिस दे दी गई है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसके लिये आप उचित व्यवस्था करें और इसको नियम ५१ में मंजूर कर लें।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी इसको देख लें। यह तो संवैधानिक अधिकार है, जैसे कोई सत्याग्रह करता है, कोई प्रदर्शन करता है, उसी तरह से लाक आउट भी है।

श्री रामधारी शास्त्री---

लेकिन लाक आउट के लिये १४ दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है। उन्होंने पहले से बिना कोई सूचना दिये हुये लाक आउट किया है जिसके लिये कानूनी तौर पर उनको सजा दी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष---

अल्प सूचित प्रश्न के तौर पर आप दे दें, उसको मैं मान लूंगा, उसके बाद अगर आपके कथन में कोई विशेष बात मालूम हुई तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बलिया जिले में जो सरकारी ठोकर बाढ़ से रक्षा के लिये लगायी गयी थी, क्या वह ठोकर उखड़ गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय (ज़िला वाराणसी)---

वह बलिया से उठकर आजमगढ़ चली गयी है। श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि कोआपरेटिव के सम्बन्ध में एक नियम ५१ का दिया है और मैं समझता हूं कि सहकारिता मंत्री भी उससे सहमत होंगे क्योंकि वे बहुत प्रोगेसिव कदम उठाने की बात सोच रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको नियम ५१ में आप स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

अल्प सूचित में आप इसको दे दें। उसके बाद भी अगर आपका समाधान न हो तो आप इस बजट में जो कि पुलिस का बजट चल रहा है, इसके बाद जब सहकारिता का बजट आयगा तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव दे देंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

रेवेन्यू के सम्बन्ध में मैंने एक दिया था तो उसके लिये भी आपने रेवेन्यू मिनिस्टर से इस पर कुछ प्रकाश डालने के लिये कहा था लेकिन वे कुछ भी प्रकाश नहीं डाल सके थे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि सहकारिता मंत्री इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे और अगर नहीं प्रकाश डालेंगे तो इसके ऊपर ध्यान दिया जायेगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

मेरा पत्र माननीय मंत्री जी के पास भेज दें ताकि वे अपनी बजट स्पीच में ही उस पर कुछ प्रकाश डाल सकें।

बाढ़ के सम्बन्ध में श्री राजित राम पांडेय व अन्य लोगों ने बातें बतलायीं। माननीय मंत्रीजी भी इस बात को जानते हैं कि वाराणसी, गाजीपुर, बलिया आदि बाढ़ से बिलकुल प्रभावित हैं। वहां बहुत काफी नदियां बेतवा से चल कर, जमुना से चल कर, वरुणा, गोमती आदि जाती हैं जिनकी वजह से वाराणसी, गाजीपुर बलिया में अभूतपूर्व बाढ़ है। माननीय मंत्री जी वहां के कलेक्टरों से पूछ लें और अगर हमारे यहां दौरा न करें तो पहले कम से कम दो-दो चार-चार लाख रुपये भेज दें और फिर दौरा करें तो अच्छा हो।

श्री उदित नारायण शर्मा—

आज ही इसका इन्तजाम किया जायेगा।

श्री त्रिवेणी राय—

मैं उसी सिलसिले में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आप हमें मौका दे दीजिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मेरा प्रश्न जो बाढ़ से संबंधित है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप चाहें तो यहां बजट में भी अपने दल के लोगों से कहला सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अगर तब भी आपकी बात का समाधान न हो तो आप अल्पसूचित प्रश्न करें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, सदन का समय बढ़ा दीजिये।

श्री राम बचन यादव (जिला आजमगढ़)—

आजमगढ़ जिले में एक डकैती पड़ी थी और उससे वहां पर बड़ा मातम है। मकबूल नाम का एक डकैत है। श्री गंगा पाण्डे थे, उनको भी मार डाला गया था। हमारी टाउन एरिया के चेयरमैन हैं श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्त। उन्हें भी मारने का षड़यन्त्र चल रहा है। वहां के लोग आई० जी० इस्लाम साहब का नाम लेकर कह रहे हैं, बड़ा बवाल मच जायेगा कुछ लोग झगड़ा पैदा करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको समय देंगे । आपका प्रश्न शान्ति व्यवस्था के बारे में है ।

श्री राम बचन यादव---

आपने पढ़ा ही नहीं है, मकबूल डकैत है ।

श्री पन्ना लाल गुप्त (जिला फतेहपुर)---

मेरा प्रश्न फतेहपुर जिले में बाढ़ से संबंधित है । वहां पर गंगा और जमुना--दोनों नदियों में बाढ़ आयी हुयी है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको जो पुलिस का बजट है उस पर भी बोलने का मौका मिलेगा और अल्प सूचित प्रश्न भी आप कर दें । आपका प्रश्न शान्ति व्यवस्था से संबंधित है ।

श्री राम बचन यादव---

यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

और भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ।

श्री राम बचन यादव---

मेरा आपसे आग्रह है । आप बड़े-बड़े लोगों का नाम तो ले लेते हैं । हम खड़े होते हैं और बैठ जाते हैं । यह बहुत इम्पार्टेन्ट है । साम्प्रदायिक दंगा हो जायेगा और ऐसा कान्ड होगा जैसा कि बम्बई और अलीगढ़ में हुआ है और फिर कहा जायेगा क्योंकि मैं जनसंघ का विधायक हूं इसलिये ऐसा हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष---

शांन्ति व्यवस्था का मामला है । श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, आप स्वयं इसको देख लें कि वह नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकृत होने लायक है या नहीं । यदि नहीं, तो अल्प सूचित प्रश्न कर दें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मैंने स्वीकार कर लिया है, कल हम दूसरी शक्ल में दें, लेकिन आप यह कैसे कहते हैं कि यह स्वीकार होने लायक नहीं है । इसमें कौन सा औचित्य का कारण है कि जिसके अन्तर्गत यह स्वीकार होने लायक नहीं है । बीसों हत्यायें हो जायेंगीं और साम्प्रदायिक दंगा हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

महत्वपूर्ण प्रश्न वह है जो कि यह प्रदर्शित करे कि स्थिति आतंकित है और जिस पर विचार होना जरूरी है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

कल के लिये रख लें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, एच०ई०एल० के १०,००० मजदूर हड़ताल करने वाले हैं और हमारे मन्त्री जी उनकी मांगों को तकिये के नीचे रख कर सो रहे हैं । इतनी बड़ी हड़ताल कभी नहीं हुयी होगी

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

और आप कहते हैं कि प्रश्न करें। कोई तो न्याय होना चाहिये। मेरा एक भी प्रश्न नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके बहुत से प्रश्न स्वीकार हो चुके हैं, आपको शिकायत का मौका नहीं होना चाहिये।

कार्य सूची ६--माननीय मुख्य मन्त्री।

उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति को भंग किये जाने तथा उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोशिएशन का प्रतिनिधित्व समाप्त करने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है। यह वक्तव्य प्रेस मान्यता समिति को भंग किये जाने के संबंध में दिया जा रहा है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब तक मुख्य मन्त्री जी यहां पर मौजूद न रहें तब तक श्रीमन्, इस प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता है। यहां पर एक एसोशियेशन को तो प्रतिनिधित्व मिल रहा है और दूसरी यूनियन को नहीं मिल रहा है। यह ठीक है कि राज्य मन्त्री जी वक्तव्य पढ़ दें लेकिन यदि मुख्य मन्त्री जी यहां नहीं आयेंगे तो हमको न्याय नहीं मिलेगा। आप मुख्य मंत्री जी को बुलावें और यदि व नहीं आ सकते ह तो कल इसको ले लें। मुख्य मन्त्री जी आज मौजूद हैं। अगर वे नहीं आयेंगे तो इस पर न्याय नहीं हो पावेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मेरा विचार है कि राय साहब ने जो कुछ कहा है वह बहुत उचित है। इसमें यह प्रश्न है कि प्रेस की दो एसोशियेशन्स को प्रतिनिधित्व मान्यता समिति से मिले और इसका कार्य संभाल रहे हैं ऐसे मंत्री जिनके बारे में चर्चा हुई कि मनोनीत हैं सरकार द्वारा और वह इसका उत्तर देंगे। मुख्य मंत्री जी होते तो गंभीरतापूर्वक विचार करके उत्तर देते जिससे हमको सन्तोष हो जाता, इसलिये उनकी उपस्थिति में यह प्रश्न लिया जाता तो अच्छा होता।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

जिस तरीके से वक्तव्य आ रहा है, मेरी आपत्ति यह है कि मुझे यह बतलाया गया है कि यह फैसला मंत्रि-मंडल का है लेकिन इसी सदन के एक बहुत जिम्मेदार सदस्य ने बतलाया कि इसी मंन्त्रि-मंडल का एक सदस्य इसके विरुद्ध लाबीइंग कर रहा है एम०एल०ए० के बीच में श्री राम कृष्ण द्विवेदी। ऐसी हालत में जो मांग रखी गई है कि मुख्य मंत्री जी आयें बहुत उचित है जिससे वह स्पष्टीकरण कर सकें।

श्री कृष्णानन्द राय--

नेगीजी ने जो आरोप लगाया यह बिलकुल गलत है। वास्तविकता यह है कि राज्य मंत्री जी यूनियन के प्रेसीडेन्ट रहे हैं और आज भी सम्बद्ध हैं और सारी बातें जो हुई हैं उनके लिये स्वयं जिम्मेदार हैं। इसमें द्विवेदी जी का हाथ नहीं है।

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)--

माननीय सदस्य ने सरासर असत्य, निराधार और बेबुनियाद बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य एक ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं। मुझे ऐसे व्यक्ति से इस तरह की आशा नहीं थी। मैं मन्त्रि-मन्डल का एक सदस्य हूं और मेरा संयुक्त दायित्व है। मैं इंच व इंच मन्त्रि-मंडल के निर्णय से बाधित हूं। इसलिये यहां पर इस प्रकार के असंगत प्रश्न उठाना युक्तिसंगत नहीं मालूम होता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मन्त्रि-मन्डल नहीं मन्त्रि-परिषद् है।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मेरा मन्तव्य वही था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जो अभी यूनियन और एसोशियेशन के विषय की सूचना राज्य मंत्री जी की तरफ से उठाई जाने वाली है, उसके सम्बन्ध में श्री कृष्णानन्द राय और श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी की राय से मैं शतप्रतिशत सहमत हूं। इसके पूर्व भी माननीय मुख्य मंत्रीजी जब उप मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने एसोशियेशन को मान्यता दी थी और मान्यता देकर एक प्रतिनिधि भी इसके ऊपर मनोनीत किया था। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री चन्द्र भानु गुप्त, ने एक प्रतिनिधि एसोशियेशन का स्वीकार किया था। क्योंकि भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी के भी आदेश हैं, वर्तमान मुख्य मंत्री जी के भी बहैसियत उप मुख्य मंत्री के लिखित आदेश हैं, इसलिये अब राज्य मंत्रीजी उनकी ओर से उत्तर दें, यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस पर अनेकों प्रश्न उठेंगे। इसलिये उचित यह है कि आप कृपाकर उनको बुलवा लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यह मांग जो विभिन्न दल के सदस्यों द्वारा की गई है वह उचित ही है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर वह कहीं चले गये हों या न आयें, तो कल को टाल दिया जाय?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—

टालने का प्रश्न नहीं है। इसको कल के लिये रख दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मुख्य मंत्री जी आ गये हैं। अब वक्तव्य पढ़वा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक ९ और १० समाप्त नहीं हो जाता तब तक के लिये समय बढ़ा दिया गया है।

सूचना राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)—

उत्तर प्रदेश में प्रेस संवाददाताओं की मान्यता का कार्य पिछले महायुद्ध के पहले सन् १९३८ से, पहली कांग्रेस सरकार के जमाने से ही होता रहा है किन्तु उक्त मान्यता का अर्थ केवल इतना था कि संवाददाताओं के नाम सूचना निदेशालय की मैलिंग लिस्ट में शामिल कर लिये जाते थे और निदेशालय द्वारा प्रचारित संवाद और अन्य सामग्री उन्हें भेज दी जाती थी तथा प्रेस कान्फ्रेन्स आदि अवसरों पर उन्हें आमंत्रित कर लिया जाता था। यह मान्यता सामान्यतः उन सभी संवाददाताओं को दी जाती थी जो उसके लिये आवेदन करते थे। विधान मंडल की प्रेस दीर्घा में स्थान देने का अधिकर दोनों सदनों के अध्यक्षों में ही पूर्णतः निहित था। सन् १९६० तक एक प्रेस परामर्शदात्री समिति उत्तर प्रदेश सरकार मनोनीत करती थी जिसमें पत्रकारिता के कार्य में संलग्न विभिन्न वर्गों—यथा सम्पादक, उप सम्पादक संवाददाताओं—का प्रतिनिधित्व हुआ करता था। संवाददाताओं को प्रतिनिधित्व देने में मुख्यालय और जिलों में कार्यरत

[श्री पुरुषोत्तम दास दंडन]

व्यक्तियों का समुचित ध्यान रखा जाता था । यह समिति मान्यता कार्य के लिये अपनी एक उप-समिति संगठित करती थी और मान्यता के सारे मामले उक्त उपसमिति के सम्मुख प्रस्तुत कर उनकी राय के अनुसार तय किये जाते थे ।

सन् १९६० में अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ की उत्तर प्रदेश शाखा, यू० पी० वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, की कार्य समिति ने १० अप्रैल, १९६० की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें तत्कालीन मान्यता प्रणाली को समाप्त कर केन्द्रीय सरकार में प्रेस कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर प्रचलित मान्यता प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश में भी अपनाने की मांग की गयी। शासन ने उक्त मांग के आधार पर समस्या के सभी पहलुओं पर विचार किया। अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री दुर्गादास, अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के तत्कालीन महासचिव, श्री कुलकरणी, तथा दोनों संस्थाओं के स्थानीय प्रमुख अधिकारीगण इस विचार-विनिमय में शामिल रहे और अन्ततः तत्कालीन प्रेस परामर्शदात्री समिति स्वयं ने एक प्रस्ताव पास कर २३-७-६० को भारत सरकार के नमूने पर उत्तर प्रदेश में भी मान्यता व्यवस्था की सिफारिश की। अन्ततोगत्वा समिति की सिफारिश में थोड़ा बहुत संशोधन कर केन्द्रीय समिति के पूर्णतः अनुरूप ही एक प्रेस मान्यता समिति सन् १९६१ के प्रारम्भ में गठित की गयी। इसमें ४ सदस्य अखिल भारतीय समाचारपत्र संपादक सम्मेलन की यू० पी० शाखा के थे और ४ सदस्य अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ की उत्तर प्रदेशीय शाखा में। प्रतिनिधित्व के इसी अनुपात में समिति सन् १९६८ तक चलती रही।

इस बीच सन् १९६६ में यू० पी० श्रमजीवी पत्रकार संघ के कुछ भूतपूर्व सदस्यों और अन्य पत्रकारों ने मिल कर यू० पी० जर्नलिस्ट एसोसिएशन नाम की संस्था संगठित की और मान्यता समिति के अन्दर श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधित्व में अपने लिये हिस्सा मांगा। वे श्रमजीवी पत्रकारों के लिये निर्दिष्ट ४ स्थानों में से अपने लिये २ स्थान चाहते थे। शासन ने इनकी मांग पर सभी दृष्टियों से विचार कर अन्त में निर्णय लिया कि किसी भी उद्योग में एक से अधिक यूनियनों का होना आपस में मनमुटाव बढ़ाता है और उससे श्रमजीवी वर्ग का लाभ नहीं होता है। अतएव केवल श्रमजीवी पत्रकार संघ को ही श्रमजीवी पत्रकार वर्ग की ओर से उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति में चारों निर्दिष्ट स्थान दे दिये जायं।

जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने अपना दावा शासन के सम्मुख फिर पेश किया और सितम्बर, १९६९ में शासन ने निर्णय लिया कि श्रमजीवी पत्रकार के लिये निर्दिष्ट चारों स्थानों में से तीन स्थान श्रमजीवी पत्रकार संघ को और एक स्थान जर्नलिस्ट एसोसिएशन को दे दिया जाय। श्रमजीवी पत्रकार संघ ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और समिति के बहिष्कार करने का निर्णय लिया। शासन के निरन्तर अनुरोधों के बाद भी श्रमजीवी पत्रकार संघ ने अपने प्रतिनिधि मनोनीत नहीं किये। सितम्बर, १९६९ से जनवरी, १९७० तक केवल ५ व्यक्तियों को लेकर यह समिति अपना कार्यभार संभालती रही। इसमें ४ सदस्य अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन के थे और एक सदस्य यू० पी० जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधि।

जनवरी, १९७० में शासन ने निर्णय लिया कि समिति के ३ रिक्त स्थानों में से एक स्थान और जर्नलिस्ट एसोसिएशन को दे दिया जाय। यह स्थिति जून, १९७१ तक रही। इस बीच श्रमजीवी पत्रकार संघ ने अपना बहिष्कार जारी रखा और श्रमजीवी पत्रकारों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के दावे पर जोर देते रहे। समिति का कार्यकाल सितम्बर, १९७१ तक रहना था किन्तु उसकी केवल एक ही बैठक जनवरी, १९७० में हो पायी और उसके बाद कोई भी बैठक सम्भव नहीं हुई। अतएव, वर्तमान शासन ने स्थिति पर पुनर्विचार किया और जून, १९७१ में समिति को भंग करके उसके स्थान पर नयी समिति के पुनर्गठन का निर्णय लिया।

प्रस्तावित पुनर्गठित समिति में केवल अखिल भारतीय समाचार-पत्र संपादक सम्मेलन और अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ के चार-चार सदस्य रखने का भी निर्णय लिया गया जैसा कि लगभग अन्य सभी प्रदेशों में है। यह निर्णय लेते समय शासन ने भूतपूर्व मुख्य मंत्री, चौधरी चरण सिंह का यह निर्देश भी ध्यान में रखा कि "चाहे हम एसोसिएशन को एक ही प्रतिनिधि दें उससे लेबर यूनियनों की ही तरह पत्रकारों में भी तरह-तरह की यूनियन व एसोसिएशनों की वृद्धि हो जायेगी जिससे आपस में मनमुटाव बढ़ेगा और किसी का लाभ नहीं होगा।"

(वक्तव्य पढ़े जाने के बीच)

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा सख्त विरोध है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि इस सरकार का कोई न कोई डिकोरम होना चाहिये। इस वक्तव्य के पृष्ठ ३ पर लिखा है---"सन् १९६९ में पुनर्गठित समिति के अन्दर जब एसोसिएशन को एक प्रतिनिधि दिया गया तब तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री सी० बी० गुप्त ने लिखा था कि मेरी बात श्री चेलापति राउ जी से और श्री घोष से भी हुई थी वे भी इस मत के थे कि गवर्नमेंट के नाते मुझे जर्नलिस्ट एसोसिएशन को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिये।" श्री चेलापति राउ के उपरोक्त मत के प्रमाण स्वरूप कोई भी अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं था।

मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी हमको सान्त्वना दें क्योंकि भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त की उन लोगों से कोई बात नहीं हुई थी। मंत्री जी ने जो यह कहा है कि श्री सी० बी० गुप्त की चेलापति राउ और श्री घोष से बातचीत हुई थी, श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी ने यह एसर्टेन किया है कि उन लोगों की सी० बी० गुप्ता से बातचीत हुई थी। क्या उनके कहने मात्र से ही वह कह सकते हैं कि उनकी भूतपूर्व मुख्य मंत्री से बात हुई थी।

(व्यवधान)

इन्होंने एक मिथ्या पत्र श्री चेलापति राउ से लिखा लिया है। मैं समझता हूं राज्य मंत्री ने यह बात गलत लिखी है। मैं अपील करूंगा कि श्री चेलापति राउ को बुलवाया जाए और उनसे यह पूछा जाए कि क्या उनसे चन्द्रभानु गुप्त ने बात की थी और क्या बात की थी?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

चेलापति राउ का पत्र मेरे पास मौजूद है, आप श्री चन्द्रभानु गुप्त से पूछ सकते हैं कि वह गलत है या सही।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय---

श्री चेलापति राउ को सदन में बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए। यह गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

यह गलतबयानी कर रहे हैं, यह झूठ बोल रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं, वह इस बारे में सारी स्थिति स्पष्ट कर दें। मैं उनकी बात का पूरी तरह से यकीन कर लूंगा। जो इसमें लिखा है खोजा, लेकिन प्रमाण नहीं मिला।

उपाध्यक्ष--

इस समय माननीय चन्द्रभानु गुप्त मौजूद हैं और वह खड़े हैं बोलना चाहते हैं, पहले आप उनको सुन लें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)--

उपाध्यक्ष जी, पूर्व इसके कि मैं दो शब्द इसके विषय में कहूं मैं यह चाहूंगा कि जो पत्र श्री चेलापति राउ ने माननीय सूचना मंत्री को लिखा है, उसे पूरा पढ़ा जाए।

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन--

It is necessary and would be useful for the U. P. Government to follow the All-India pattern about accreditation. Following the recommendations of the Press Commission in this regard, the Government of India have been over fifteen years following the pattern of equal representation to the Indian Federation of Working Journalists and the All-India Newspaper Editers' Conference and the States have been following it too. This patttern has worked well....

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

इस स्टेटमेंट में जो लिखा है कि इसे राजनैतिक मतिभ्रम की संज्ञा दी है उन्होंने। यह चीज इस लेटर से कहां प्रकट होती है ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन--

सारा लेटर इसमें प्रोडच्यूस नहीं है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

नहीं, तो पूरा लेटर होना चाहिए।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन--

आपके सामने पेश किया जायगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

पहले उसे पेश कीजिए। आप इस तरह की गलत बात कह रहे हैं, लोगों को मुगालते में रखना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष --

माननीय जायसवाल।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मैं विशेषाधिकार की सूचना दे रहा हूं माननीय मंत्री जी के विरुद्ध।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय जायसवाल को मैंने कहा है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन से एक निवेदन करना चाहता हूं। इस विषय से सम्बंधित पक्ष सौभाग्य से यहां उपस्थित हैं, माननीय कमलापति त्रिपाठी, माननीय गुप्ता जी भी हैं और हमारे नये राज्य सूचना मंत्री भी हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जायगा। मैं इतनी सदन से अनुमति चाहता हूं कि हमको प्रश्न करने दें और अगर वह गलत हो जाय तो उसको संभाल दें वरना इस विषय पर प्रश्न करने दें। सारा मामला अभी साफ हो जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या वह मंत्री जो किसी यूनियन से सम्बन्धित रहा हो, कभी अध्यक्ष भी रहा हो, इस सदन में उस यूनियन की तरफ और सरकार की तरफ से जवाब देने का अधिकारी है? आप सीधे-सीधे वकील हैं। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। इनको जवाब देने से रोका जाय। यह इंटरेस्टेड थे, यह उस यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुख्य मंत्री से कहें कि इस बात का जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष---

यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है मेरी राय यह है कि जिस किसी कार्य में किसी का व्यक्तिगत (व्यवधान) हित निहित हो, वह उसको नहीं पढ़े। लेकिन जो माननीय कल्पनाथ सिंह ने ऐतराज किया है उनको शुरू में करना चाहिए था जब उन्होंने खड़े होकर जवाब देना शुरू किया था।

श्री कल्पनाथ सिंह---

जब मुझे आप अवसर देंगे तभी तो कहूंगा। मैं खड़ा होता रहा, और राय साहब ने ऐतराज किया ही। लेकिन यह राज्य मंत्री जी से साफ करवा लीजिये। उनसे पूछ लीजिये कि वह रहे हैं या नहीं।

(शोर)

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

मैं १५ साल पहले उस संस्था का प्रेसीडेंट था। १५ साल से मेरा उस यूनियन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

गुप्ता जी ने कहा कि पूरा पत्र पढ़िए तो कहते हैं कि फाइल प्रस्तुत करेंगे। आप बिल्कुल इंटरेस्टेड पार्टी हैं। आपको नहीं सुना जायगा।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

मेरा कोई सम्बन्ध १५ साल से नहीं है। सवाल कीजिये जवाब पाइयेगा।

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मान्यवर, एक ऐसा सवाल है जिससे हम लोग हमेशा परेशान रहे हैं। स्वयं माननीय गुप्ता जी जब थे चीफ मिनिस्टर। मैं उनके साथ था, तो वह भी इस प्रश्न से बहुत परेशान थे और मेरे जिम्मे उन्होंने यह काम किया था, आप पुराने पत्रकार हैं, जो पत्रकार लोग हैं, उनमें दो राएं हैं, उनसे मिलजुल कर कोई समझौता करवाने की कोशिश की जाय। मैंने उसमें चेष्टा भी की। पर दोनों की ओर से कोई बात निकली नहीं और उनको हमने अपनी राय दी कि कुछ मिलजुल कर कमेटी बना ली जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जिससे दोनों संतुष्ट हों। उसमें फिर एक ओर से बायकाट हुआ और चौधरी चरण सिंह जी हुए, उन्होंने यह राय रखी नहीं। जो आल इंडिया पेटर्न हैं उसी के अनुसार बने।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो आपने और गुप्ता जी ने मिलकर तय किया था उसी को चौधरी साहब ने माना था। बदला नहीं था।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अभिलेख के बाद उन्होंने यह नहीं कहा कि गुप्ता जी और चेलापति राव से कोई बातचीत नहीं हुई। चेलापति राव का कोई पत्र पत्रावली में नहीं मिला उन्होंने यह कहा।

(व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री—

श्री राव ने स्पष्ट रूप से पिछली सरकार के निर्णय को राजनीतिक मतिभ्रम की संज्ञा दी। तो यह किस आधार पर कहते हैं और वह पत्र कहां है ?

*श्री कमलापति त्रिपाठी—

गुप्ता जी ने यह मांग की कि चेलापति राव का जो पत्र आया है वह सारा का सारा पढ़कर सुना दिया जाय। वह पत्र मौजूद है। आप चाहेंगे तो पढ़कर सुना दिया जायगा। चेलापति राव जी से कदाचित् जानकारी हासिल करने की जरूरत पड़ी क्योंकि इस बात का उल्लेख था कि उन्होंने यह राय दी थी कि ऐसी कमेटी बनाई जाय जो मिलजुल कर काम करे। लिहाजा उनकी राय के अनुसार आल इंडिया वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और जो फेडरेशन है आल इंडिया पैटर्न पर और सारे प्रदेशों में जो लागू है उसके आधार पर निर्णय ले लिया गया और अब उस निर्णय से हम यह समझे कि किस तरह से मिलजुलकर बातचीत चले, यह दूसरी बात है लेकिन आल इंडिया पैटर्न वही है जिसके हिसाब से यह रिलेशन कमेटी बनी। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मेरा भी पत्रकारों से बहुत सम्बन्ध रहा है और बीसियों वर्ष से पत्रकारिता से भी सम्बन्ध रहा है। मेर अनुभव है कि पत्रकार हमारा एक सजीव समूह रहे और उसमें किसी तरह के दो भाग हों तो किसी के लिये अच्छा नहीं होता और इसलिये सरकार आने के बाद फिर दोनों से बातचीत की और इस नतीजे पर पहुंचा कि उनमें कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकल सकता। यहां तक कि जो एसोशियेशन है उससे भी बातचीत की और जो आल इंडिया वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन एवं फेडरेशन है उससे भी बातचीत की। नतीजे पर यही पहुंचा कि दोनों की बिलकुल भिन्न-भिन्न राय हैं और एक रास्ता नहीं निकल सकता है। उस स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि जो आल इंडिया का पैटर्न है उसी प्रकार स्वीकार कर लिया जाय क्योंकि वह सर्वमान्य है सारे प्रदेशों में और उसको स्वीकार करके आगे का संगठन करें। जहां तक कि सूचना विभाग के राज्य मंत्री का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि बहुत दिनों से आल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन के न वह मेम्बर हैं और न फेडरेशन के मेम्बर हैं, किसी भी संस्था से उनका ताल्लुक नहीं है। अब मैं यह जरूर चाहता हूं कि इस विषय पर अपने पत्रकारों से प्रार्थना करूं और अनुरोध करूं कि दोनों ही पत्रकार हैं, समझदार लोग है, एक पैटर्न बना हुआ है और उसके लिये एक कमेटी बनी हुई है वह उसी के आधार पर बनी हुई है, लिहाजा हमारे प्रदेश में एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाय कि मिलजुल कर कोई रास्ता निकल आये और उस रास्ते को निकालने की चेष्टा की जाय। मैंने कई बार ऐसा प्रयास किया। मैं फिर वह प्रयास करूंगा और मैं चाहूंगा कि कोई रास्ता निकल सके तो निकाला जाय और यदि नही निकलता है तो यह जरूर सोचना होगा कि आपकी जो एक पार्टी सारे देश में चल रही है और फिर जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसकी बात माने अथवा प्रदेश में दूसरा पैटर्न लागू करें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उपाध्यक्ष महोदय, जो मुख्य मंत्री जी ने कहा है उससे तो बहुत मात्रा में सहमत हूं। मैं आज बहुत दिनों के बाद इस सदन में खड़ा हुआ हूं। मुझे आपत्ति है इन शब्दों से जो कि मेरे संबंध में इस वक्तव्य में कहे गये हैं और इस्तेमाल हुये हैं। इन नये सूचना मंत्री जी ने जो कहा है, मैं समझता हूं कि या तो उन्हें तजुर्बा नहीं है या उन्होंने ध्यानपूर्वक उसे देखा नहीं है। उन्होंने लिखा है– "मैंने लिखा था कि मेरी बात श्री चेलापति राव जी से और श्री घोष से भी हुई थी। वे भी इस मत के थे कि गवर्नमेंट के नाते मुझे जर्नलिस्ट एसोशिएशन को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिये।" उन्होंने आगे लिखा है कि श्री चेलापति राव के उपरोक्त मत के प्रमाण स्वरूप कोई भी अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं था। मैं नहीं समझता हूं कि जब मेरी लिखी हुई चीज वहां पर मौजूद थी तो वही बात प्रमाण स्वरूप हो सकती है। मेरा लिखा हुआ क्या स्वतः प्रमाण नहीं है? जो बात उन्होंने मेरे सम्बन्ध में लिखी है वह सूचना मंत्री जी की अनधिकृत चेष्टा है और उन्होंने इस विषय में जानबूझ कर धृष्टता की है। मेरी प्रार्थना है कि यह शब्द उसमें से निकाल दिये जाने चाहिए। फिर उन्होंने यह भी लिखा है, जिसे कि अपने बयान में यह साबित नहीं कर पाये हैं, कि श्री चेलापति राउ ने मेरे कार्य को राजनैतिक मतिभ्रम की भी संज्ञा दी है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि कपलापति जी ने कहा है मैंने इस प्रश्न को उनको ही तय करने के लिये छोड़ दिया था। मैं दिल्ली गया था, मेरी चेलापति राउ जी से भेंट भी हुई थी और उनसे इस विषय में सलाह भी ली थी। उन्होंने भी जब मुझे वैसा करने की सलाह दी तब मैंने श्री घोष, पायनियर के सम्पादक तथा श्री कमलापति की राय को मानकर जर्नलिस्ट एसोसियेशन को प्रतिनिधित्व दिया। तो उनका यह कहना कि मुझसे बात नहीं हुई तो यह बहुत गलत है.....(व्यवधान) इसलिये मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह इन नये मंत्री जी की अनधिकृत चेष्टा है और उनकी धृष्टता है कि वे इस प्रकार से एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री के लिये लिखें.....(व्यवधान)।

श्री कृष्णानन्द राय—

इन पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें। मैंने माननीय राज्य मंत्री को टोक दिया है क्योंकि चेलापति राउ भी एक प्रमुख आदमी हैं और गुप्ता जी ने जो लिखा है वह एक मुख्य मंत्री की हैसियत से लिखा है। अतः उनकी बात ही फाइनल समझी जानी चाहिए।

एक सदस्य—

क्या किसी मंत्री को कोई सदस्य इस प्रकार की बात कह सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका यह प्रश्न दूसरा ही है।

श्री बंशीधर पांडेय—

जब अभिलेख प्रस्तुत न करें और फाइल से उसे गायब कर दें तो उसे आप क्या कहेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, यह मामला बहुत आसानी से हल हो सकता है। इसमें जो वाक्य लिखा गया है जिससे माननीय सदस्यों को चोट लगी है और जिससे एक ऐसा अर्थ निकलता है जैसे कि माननीय गुप्ता जी की बात पर विश्वास नहीं किया गया अथवा किसी प्रकार का आक्षेप उन पर किया गया

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उसके लिए मुझे दुःख है और मैं उसमें से, उस वक्तव्य में से, उन वाक्यों को निकाल देना चाहूंगा लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह तो निकाल दिया जाय और मैंने दुःख भी प्रकट कर दिया, क्योंकि गुप्ता जी को किसी बात से चोट लगे और यहां हमारी बात से लगे यह मुनासिब बात नहीं है। अब खाली बात यह है कि जो उन्होंने कहा कि कोई अभिलेख नहीं है, उसमें उनका यह मंशा नहीं था कि गुप्ता जी ने कोई ऐसी बात कही है जो वास्तविक नहीं थी। उनका मतलब यह था कि वह चिट्ठी हमको नहीं मिली, फाइल में वह चिट्ठी नहीं है। अब तो वह वाक्य निकाल दिये जायेंगे, परन्तु यह प्रश्न जो है वह जहां का तहां रह जाता है कि आखिर ऐक्रेडेशन कमेटी जो है उसका स्वरूप क्या होगा ? जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, हम आपस में बातचीत करके, बैठ करके कोई रास्ता निकाल सकें तो निकाला जाय और अगर नहीं निकलता है तो फिर सिवाय इसके कि कोई आल इंडिया पैटर्न चल रहा है वह रहे या अपने प्रदेश में कोई दूसरा पैटर्न चलावें, विचार करके, जैसा भी हो।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

कई-कई आदमी एक साथ खड़े हो जाते हैं...उन्हीं को मौका देते हैं।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)---

एक साथ खड़े होकर बोलते हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी वह वक्तव्य पूरा नहीं हुआ और जिन अंशों के बारे में इस दल को और माननीय गुप्ता जी की आपत्ति है.....

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

आपको भी आक्षेप हो सकता है जो माननीय सूचना मंत्री ने बात कही है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

उस पर तो आपने व्यवस्था भी दे दी और हम सिर झुकाते हैं और न भी दी होती तब भी जब यह देखते हैं कि उसमें कोई ऐसा वाक्य है जिससे ऐसा अर्थ निकलता है कि गुप्ता जी की बात पर कोई विश्वास नहीं है या आक्षेप किया जा रहा है तो बिना आपकी व्यवस्था के भी उसको वापस ले लेते और भी निवेदन कर दिया कि ऐसी कोई मंशा कतई नहीं थी और न हो सकती है मैं जानता हूं कि राज्य मंत्री जो हैं उनके हृदय में गुप्ता जी के लिए बड़ा आदर है....

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन---

गुप्ता जी के लिए बहुत आदर है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

तो मैं निवेदन करता हूं कि उस चीज को तो हम निकाल देंगे वक्तव्य में से। अब परेशानी यह पड़ी कि हम चाहते थे कि यहां कोई रास्ता निकल आवे। उस वक्त निकला नहीं जब मैं था गुप्ता जी के साथ १९६९ में। उस वक्त भी चेष्टा की, कोई रास्ता नहीं निकला। एक ओर से यह मांग थी कि जो अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व है उसी को ग्रहण करना चाहिये और दूसरी ओर से यह मांग थी कि उनके प्रतिनिधित्व को पत्रकार नहीं मानते और इसीलिए उन्होंने बाइकाट भी किया और दूसरी ओर से यह था कि हमें कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

हमने मिलजुलकर एक कमेटी बनाई थी जिससे कोई रास्ता निकल सके। कुछ लोगों ने बाइकाट किया, पूरी तरह से कमेटी बनी नहीं थी, काम नहीं किया। इस पर फिर चेष्टा की गयी। जब यह देखा कि कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं देता है तो फिर सिवाय इसके कि कोई न कोई आधार बना कर उस कमेटी को बनाते कोई चारा नहीं था। और समझ में यह बात आयी कि जो आधार सारे देश में बना हुआ है, प्रदेशों के लिए बना हुआ है उसे स्वीकार कर लें। अभी मैं फिर इस प्रयास से हटूंगा नहीं। हमें फिर इस बात की चेष्टा करनी चाहिए कि कोई किसी प्रकार का एक मार्ग निकल आवे.....

श्री नित्यानन्द स्वामी---

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं मान्यवर, मंत्री जी से। जब तक आप यह प्रयास करेंगे.....

(व्यवधान)।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

बिना आज्ञा के बोलने लगते हैं। आपने किसको आज्ञा दी है ?

श्री उपाध्याक्ष---

नित्यानन्द स्वामी कोई स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

आपकी आज्ञा के बिना ही बोलना शुरू कर देते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जो इस विषय में पुनः प्रयत्न करना चाहतेहैं इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक नयी किसी बात को करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है, तब तक जिस नयी मान्यता समिति का गठन किया गया है, क्या मुख्य मंत्री जी उसको भंग कर देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं समझता हूं कि उसका भंग करना तो अनुचित होगा। जो कमेटी बनायी गयी है वह अपना काम करती रह सकती है और हम जो प्रयास कर रहे हैं वह भी चल सकता है। उसमें भी ज्यादा देर लगने वाली नहीं है।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, क्या आप हमको अपनी बात नहीं रखने देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

रखने देंगे लेकिन अपने टर्न पर।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है, उस पर अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व क्या वे इन बातों को भी अपने विचार में लेंगे कि स्वयं भारत सरकार ने अपनी केन्द्रीय मान्यता समिति में अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की इजारेदारी को स्वीकार नही किया और जो दिल्ली स्थित संघ हैं जैसे न्यूज पेपर्स, कैमरामेन्स एसोसियेशन, प्रेस एसो शियेशन आफ दिल्ली, उनको भी वे मान्यता दिये हुए हैं ?

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

दूसरे प्रेस कौंसिल आफ इंडिया जो सर्वोच्च संस्था है जिससे पत्रकारों का सम्बन्ध है उसने भी श्रम जीवी पत्रकार संघ की इजारेदारी को नहीं माना। इसीलिये वह उसका वायकाट भी कर रही है।

आंध्र में भी आप देख लें। स्थानीय प्रेस रिपोर्टर्स संस्था जो अखिल भारतीय स्तर की नहीं है, उसको भी स्थान दिये हुए हैं। वह केवल एक राज्य स्तर की संस्था है।

दूसरी चीज यह है कि माननीय राज्य मंत्री जी ने चेलापति राव जी की सलाह तो ली लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने घोष साहब से भी इस तरह का खत लिखकर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की या नहीं की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जितने तथ्यों की ओर माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, उनको मैं देख लूंगा। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सारे देश के राज्य में, आंध्र प्रदेश को छोड़ कर, वही पैटर्न है जो आल इंडिया पैटर्न है। लेकिन जैसा आपने कहा उसको भी हम देख लेंगे।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो झगड़े का हल माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी निकाल रहे हैं, वह तो ठीक है। लेकिन क्या राज मंत्री जी के कारण जो स्वयं यूनियन और दलबन्दी के शिकार रहे हैं और वर्किंग जर्नलिस्ट्स एसोसियेशन में रहे हैं और आज भी उसके वकील हैं, उनके कारण अनावश्यक विवाद हमारे प्रदेश में खड़ा हो गया है और उसके कारण शासन के लिये भी एक कठिनाई पैदा हो रही है। तो इस बात को देखते हुये मुख्य मंत्री जी स्वयं अपने विवेक से निर्णय करेंगे और माननीय राज्य मंत्री जी इस सिलसिले में कोई मश्विरा नहीं करेंगे ? जहां तक आन्ध्र की बात है, जब आन्ध्र कुछ कदम उठा सकता है तो क्या हमारे मुख्य मंत्री जी अपने प्रदेश में कोई कदम नहीं उठा सकते है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

दुःख है कि वह झगड़ा खड़ा हुआ पर उस झगड़े की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, राज्य मंत्री के उपर क्यों छोड़िये। (व्यवधान) जब बोल रहा हूं तो इतना धैर्य और रखिये कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जैसा आपने कहा आन्ध्र प्रदेश में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं था। जब हमने यह देखा कि दोनों से बात करके, क्योंकि एक बायकाट करता है और एक आता है, कोई रास्ता निकले और वह रास्ता नहीं निकला तो यह बात समझ में आयी कि जो एक अखिल भारतीय पैटर्न चल रहा है, जिसको सभी लोग मानते हैं, उसके हिसाब से एक कमेटी बना दें। अब जैसा कि मैंने निवेदन किया, हमारे भाई जायसवाल जी ने भी कुछ तथ्यों की ओर ध्यान दिलाया है। अब तो वह कमेटी बनी है और काम कर रही है। मैं फिर इन लोगों से बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि कोई रास्ता निकल सके तो निकाला जाय। निकल आये तो बड़ी अच्छी बात है।

श्री त्रिवेणी राय---

आल इंडिया स्तर का एक पत्रकार श्रमजीवी संघ है और इसमें कुछ पत्रकारों ने जो नया संगठन किया है उसमें पूंजीपतियों का षड़यंत्र तो नहीं है कि वह पत्रकार श्रमजीवी संघ को नुकसान पहुंचाये।

(नेशनल हेराल्ड के इसमें हैं, की आवाजें)।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात कहना अनर्गल आक्षेप हो जाता है। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिये।

श्री त्रिवेणी राय—

मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

उसका जवाब तो मुख्य मंत्रीजी ने दे दिया। आपने नहीं सुना तो मैं क्या करूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, अभी नित्यानन्द स्वामी जी ने मुख्य मंत्री जी से एक प्रश्न किया और मुख्य मंत्री जी ने दोबारा भी यह दोहराया कि समिति का गठन हो चुका है लेकिन जो राज्य सूचना मंत्री जी ने वक्तव्य पढ़ा है उसका अंतिम पैरा यह है.....

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

आपने अंतिम पैरा पढ़ने ही नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके समक्ष तीसरे पृष्ठ पर जो यह है "और किसी का लाभ नहीं होगा" यहीं तक पढ़ा गया है। और बाकी जो उस वक्तव्य के अंश के रूप में मुख्य मंत्री जी ने सदन के समक्ष रखा है वह उसका अंश माना जाएगा।

श्री त्रिवेणी राय—

माननीय मंत्री जी ने अभी पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है और माननीय सदस्य जो रिपोर्ट अभी पढ़ी नहीं गयी है उसके आगे जा रहे हैं। क्या यह नियम के अन्तर्गत है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसीलिये तो व्यवस्था दे दी। आपने नहीं सुना तो क्या करूं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं आप ही से यह व्यवस्था चाहूंगा कि जब यह वक्तव्य बांट दिया गया है हाउस में, तो यह हाउस की प्रापर्टी हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—

जो पढ़ा गया है पृष्ठ तीन तक वही कार्यवाही का अंश होगा। जिस पर आपत्ति उठाई गई है उसको निकाल दिया गया है। इस सम्बन्ध में जो कथन मुख्य मंत्री जी ने सदन के सम्मुख रखा है उसको माना है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जिस समिति का उन्होंने गठन किया है, उसमें आल इन्डिया पत्रकार संघ का प्रतिनिधित्व नहीं आया है, जिसके कारण वह पूरी नहीं हुई है तो उसका प्रतिनिधित्व इसमें किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

कमेटी तो गठित हो गई है जिसके प्रतिनिधित्व की बात कही गई है उनको लिख दिया गया है कि उनको सदस्य बनायें और उनको अपना सदस्य भेजने के लिये कहा गया है ।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले आम चुनाव के दौरान यू० पी० जर्नलिस्ट एसोसियेशन के अध्यक्ष को घृणित परचे छापने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था जिसमें साम्प्रदायिकता को भड़काने का आरोप था और उनको गिरफ्तार कर के मुकदमा चलाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जो प्रश्न.....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मुझे इस पर आपत्ति है .....

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने माननीय सदस्य को मौका दिया है तो इनके जवाब को सुन लिया जाय ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जो प्रश्न उठाया गया है यह इससे पैदा नहीं होता है, मुझे सूचना नहीं है । सूचना मिलने पर इस सम्बन्ध में मैं बता सकता हूं ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने कृपा करेंगे कि जब एक मान्यता प्राप्त समिति गुप्ता जी, चौधरी चरणसिंह और टी०एन०सिंह जी के जमाने में चलती रही तो उस मान्यता प्राप्त समिति को भंग क्यों किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

कठिनाई तो बराबर रही है । उसमें कुछ लोग साथ देते रहे और कुछ बायकाट करते रहे । सोचा गया कि इस आन्दोलन को खतम किया जाय और कोशिश करके कोई रास्ता निकाला जाय । जब कोई रास्ता नहीं निकला तो यह निर्णय सरकार ने लिया कि जो अखिल भारतीय पत्रकार संघ पद्धति है, उसके अनुसार इसको गठित किया जाय ।

श्री प्रियदर्शी जैटली (जिला फैजाबाद)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पत्रकार यूनियन और यू० पी० जर्नलिस्ट एसोसियेशन में जो आपस में कठिनाई पैदा हुई तो क्या इन दोनों के उद्देश्यों में कोई अन्तर है ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

यू० पी जर्नलिस्ट एसोसियेशन आल इंडिया बाडी नहीं, यहीं की है । इसका जन्म यहीं १९६६ में हुआ है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि यह निर्णय लेते समय शासन ने भूतपूर्व मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह का यह निर्देश भी ध्यान में रखा कि "चाहे हम एसोसियेशन को एक ही प्रतिनिधि दे, उससे लेबर यूनियनों की ही तरह पत्रकारों में भी तरह-तरह की यूनियन व एसोसियेशनों में वृद्धि हो जायगी जिस से आपस में मन-मुटाव बढ़ेगा और किसी का लाभ नहीं होगा ।

लेकिन मेरी निजी जानकारी है कि एसोशियेशन की दावत पर चौधरी चरणसिंह जी मुख्य-मंत्री की हैसियत से उनकी मीटिंग में गये थे और मैं भी उनके साथ मौजूद था और माननीय गुप्ता जी की और माननीय त्रिपाठी जी की राय से जो समिति बनी थी और उसको मान्यता भी दी थी, तो चौधरी साहब की जो राय प्रकट की थी उस राय का कोई आधार है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो आप कह रहे हैं यह किस हिस्से से इस वक्तव्य से संबंधित है ? पृष्ठ बतायें ।

श्री महीलाल—

पृष्ठ ३ पर है पैरा २ में कि "प्रस्तावित पुनर्गठित समिति में केवल अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन और अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ के चार-चार सदस्य रखने का भी निर्णय लिया....."

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय चरण सिंह जी की व्यक्तिगत राय कुछ भी रही हो उससे मतलब क्या और उन्होंने क्या राय दी मुझे इसका पता नहीं लेकिन पत्रावली में जो अभिलेख उनका है उसी का जिक्र वक्तव्य में किया गया है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में १९६६ में एसोसियेशन को रिकगनिशन देने के कुछ कारण दिये हैं । १९६९-७० में उस एसोसियेशन के जो १–२ प्रतिनिधि देने की आज्ञा दी गई उसके पीछे भी क्या कोई कारण हैं ? या राजनैतिक एफीलियेशन और रिलेशन की वजह से दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कारण तो बता दिया गया कि गुप्ता जी ने मुझ से कहा कि कोई रास्ता निकालने की कोशिश करो और मैंने उस की चेष्टा की और जब कोई रास्ता नहीं निकला तो मैंने यह राय दी कि अच्छा हो कि मिला-जुला कर बना दिया जाय और एक प्रतिनिधि उन लोगों का उसमें रख लिया जाय ।

श्री दीप नारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, कि जो बयान दिया गया है और उसमें जो चर्चा की है कि माननीय चरण सिंह, माननीय गुप्ता जी और स्वयं वह प्रयास करते थे तो क्या यह सम्भव होगा कि वह दोनों पक्ष के सम्बन्धित व्यक्तियों को बुलाकर प्रयास करें कि यह मामला हल हो जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सुझाव है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या यह सही है कि जो नई समिति उन्होंने गठित की है उसमें अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन को अपना प्रतिनिधि भेजने को लिखा गया था तो क्या उसका उन्होंने यह उत्तर नहीं दिया था कि पछली कमेटी क्यों विघटित कर दी गई और पिछली बैठकों में उनको क्यों नहीं बुलाया और जब तक हमें इस विषय में आश्वस्त नहीं किया जायगा तब तक हम अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे ? क्या यह सही है ?

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन—

यह उन्होंने नहीं लिखा था ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो कि प्रजातंत्र और बहुमत में बड़ा विश्वास रखते हैं कि क्या यह सत्य नहीं है कि जिस संस्था को जर्नलिस्ट एसोसियेशन की मौजूदगी समिति से हटा दिया है, उसकी संख्या पत्रकार संघ से ज्यादा है ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

श्रमजीवी पत्रकार वह है जो अपनी रोजी पत्रकारिता से कमाता है। इस श्रमजीवी पत्रकार संघ में शहरों में वकीलों, डाक्टरों ने अपने नाम छपवा लिए हैं तो उसकी संख्या नहीं मानी जाती है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय---

जैसा अभी माननीय धर्मवीर जी ने कहा इसकी संख्या ज्यादा है आपने देख है, श्रीमन्, कि प्रश्न निश्चित है कि इसकी संख्या ज्यादा है। उन्होंने पूछा कि जर्नलिस्ट्स एसोसियेशन की संख्या ज्यादा है। उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया है केवल परिभाषा करने लगे हैं। वे जानना चाहते हैं कि जर्नलिस्ट्स एसोसियेशन की यूनियन से ज्यादा संख्या है लेकिन ये परिभाषा करने लगे हैं। हमें तो इनकी नीयत पर शक होता है।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

इसका भी एक हिसाब होता है।

श्री बंशीधर पांडेय---

नहीं होता है। आप इस बात को समझ लीजिए कि जो फैसला किया गया है वह सही नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

जो फैसला किया गया है वह समझ कर ही किया गया ? (व्यवधान)।

श्री धर्मवीर---

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रियदर्शी जेटली---

श्रीमन्, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठें।

श्री धर्मवीर---

मेरा प्रश्न यह है कि जर्नलिस्ट एसोसियेशन की संख्या ज्यादा है। इसकी मान्यता को लेकर कमिश्नर ने भी सैटिसफाई किया है। इसलिए माननीय मंत्री जी सदन को बता दें कि जर्नलिस्ट एसोसियेशन की संस्था ज्यादा होते हुए भी उनको मान्यता नहीं दी। इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दें ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

श्रीमन्, जो आंकड़े मेरे पास हैं, उसमें श्रमजीवी पत्रकार के नाम व पते दिए हुए हैं। जो एसोसियेशन के नाम भेजे गये हैं, उनमें इस प्रकार लिखा है कि बरेली में १४, दूसरी जगह १८ और तीसरी जगह २१। किसी के नाम और पते नहीं हैं। वैरीफाई तो नहीं किया जा सकता है। उनकी संख्या नहीं मानी जा सकती है। (व्यवधान)

श्री प्रिय दर्शी जेटली---

श्रीमन्, देखा जा रहा है कि इस प्रश्न पर आपने बराबर हमारे विरोधी दल के सदस्यों को ३-३ और ४-४ आदमियों को मौका दिया और इधर के मुश्किल से एक या दो को बोलने दिया। आपने स्वयं तय किया था कि आप दोनों ओर के माननीय सदस्यों को बराबर मौका देंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं देखता रहता हूं। मेरी नजर दोनों ओर रहती है। मैंने देखा कि सरकारी पक्ष से ३ या ४ सदस्यों से अधिक नहीं खड़े हुए और इधर बहुत अधिक खड़े हुए। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के बुलाये जाने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने चार में से तीन को समय दिया है। आपको भी एक बार समय दिया। मैंने अभी समय श्री रघुनाथ सिंह को नहीं दिया।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

अभी राज्य मंत्री ने कहा कि इसमें ऐसे ही पत्रकार हैं जिनका ठिकाना नहीं है। मान्यवर, इसमें श्री बहल, मुख्य उप-सम्पादक, नेशनल हेराल्ड; समाचार सम्पादक, पायनियर; विशेष-सम्वाददाता, हिन्दुस्तान टाइम्स; विशेष सम्वाददाता, नार्दन इन्डिया पत्रिका; विशेष सम्वाददाता, आज; विशेष सम्वाददाता, दैनिक जागरण, नवजीवन, कौमी आवाज, पायनियर, हिन्दुस्तान समाचार। इनको देखते हुए यह जो सम्पादक सम्मेलन के अधिकारी हैं उनके सम्मेलन से पत्र प्राप्त हुआ है या नहीं। क्या उस पत्र को पढ़कर माननीय र ज्य मंत्री सुनावेंगे।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

क्योंकि आपने जर्नलिस्ट एसोसियेशन के कुछ लोगों के नाम लिये हैं उससे दस गुना या बीस गुना आदमी इस तरफ भी हैं। मैं उनके नाम सुनाना चाहता हूं।..... (व्यवधान)

.....मैं आपको सौ नाम दे रहा हूं। आप सुनिये तो वे कितने पत्रकार हैं। आप सुनिये।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

माननीय सदस्यों ने इतने प्रश्न कर दिये कि रेल पटरी से उत्तर गई। जो सम्पादकों की ओर से पत्र आया है जिसको अभी तक इन्होंने स्वीकार किया है वह पढ़कर ये सुना दें। वह तो मैंने इनको हवाला दिया था.....

(व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्किंग जर्नलिस्ट की एक परिभाषा है । राज्य मंत्री के कहने का मतलब यह था कि यह जो हमारे लखनऊ की संस्था है जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उसमें जर्नलिस्ट नहीं, ऐसी बात नहीं है । उसमें हैं । और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वर्किंग जर्नलिस्ट की परिभाषा में नहीं आते । दूसरी तरफ जो यूनियन वगैरह है उसमें जर्नलिस्ट हैं वे उस परिभाषा में आते हैं । किसी ने संख्या पूछी थी तो उस बारे में उन्होंने कहा कि इसमें जो संख्या है वर्किंग जर्नलिस्ट की परिभाषा की वह संख्या बड़ी नहीं होती है उससे कम होती है । यह उन्होंने कहा है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने पूछा था कि उस पत्र को पढ़कर सुना दूं ? यह मेरा सवाल है ।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

जो यूनियन की लिस्ट पेरे पास उपलब्ध है.....

(व्यवधान)

अगर सुनना नहीं चाहेंगे तो मैं क्या जवाब दे सकता हूं । आप बताइये क्या चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य सम्पादक सम्मेलन का पत्र पढ़ने के लिये कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, ये पत्र पढ़ कर सुना दें ।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

आप जब इतने आदमी बोलेंगे और सुनाई नहीं पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं । हमने यह कहा कि वहां से पत्र आया है यदि आप चाहें तो आपको.....

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, पत्र नहीं सुना रहे हैं । इसी तरह से श्री चेलापति राव के पत्र का भी पूरा हवाला नहीं दिया । इसी तरह से चौधरी चरण सिंह जी के पत्र का पूरा हवाला नहीं दिया गया । गलत-बयानी कर रहे हैं । मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के अवहेलना की नोटिस दे रहा हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, पत्र नहीं है तो वह कहें कि उनके पास नहीं है ।

श्री धर्मवीर—

श्रीमन्, इस पर ढाई घंटे का विवाद करा दें । मुख्य मंत्री जी या कोई दूसरे वरिष्ठ मंत्री तैयार होकर इसकी सूचना दें । बहुत महत्व का विषय है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अगर पत्र है, जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया है कि वहां से पत्र प्राप्त हुआ है, तो उसको सुनावें और अगर नहीं है तो कह दें कि नहीं है ।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन--

पत्र चाहे तो निदेशालय से प्राप्त कर छपवाकर बंटवा दिया जाएगा। (व्यवधान)

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्रीमन्, इसमें आप मुझे समय दीजिए, मैं प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी आधे घंटे की एक चर्चा बाकी है। इसमे दो सूरतें हो सकती हैं। या तो मुख्य मंत्री जी, यहां जो भावनायें व्यक्त की गयी हैं उसके अनुरूप कोई रास्ता बनाएं और बतायें कि आज देंगे या दूसरे दिन.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अगर मुख्य मंत्री जी ने खुद उत्तर दिया होता तो आधी से ज्यादा दिक्कत दूर हो जाती। इनका उत्तर देने का तरीका ऐसा रहा कि सब लोग रुष्ट हो गए। इतनी देर बाद कहा कि पत्र छपवाकर बांटेंगे, है नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, इसमें आप ढाई घंटे की बहस दे दीजिए या मुख्य मंत्री जी यह आश्वासन दें कि समिति को भंग कर दे.....

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्री भानु प्रताप सिंह--

एक सुझाव मुख्य मंत्री जी को देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि समस्या को सुलझाने में कोई अधिक समय नहीं लगेगा। मेरा निवेदन है कि एक सप्ताह या दस दिन वह अपने प्रयास कर लें और उस प्रयास के फलस्वरूप जो भी परिणाम निकले उससे इस सदन को अवगत कराएं। यदि संतोषजनक परिणाम निकलता है तो समस्या का समाधान हो जाता है अन्यथा फिर इस पर जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, चर्चा होना चाहिए और इसमें काफी समय मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप बता दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

श्रीमन्, मेरा भी इसी सम्बन्ध में एक सुझाव है, उसे सुन लें, तब मुख्य मंत्री जी जवाब दे दें। अब तक लगातार मुख्य मंत्री जी प्रयत्न करते रहे लेकिन इस समस्या का हल नहीं निकला।

श्री महीलाल--

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी को आपने बुला लिया, वह खड़े भी हो गए, फिर आपने इनको समय दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

मान लीजिए मुख्य मंत्री जी जवाब दे दें। फिर कोई सुझाव आए तो फिर वह कहेंगे। इससे समय बच जाएगा।

श्री महीलाल--

जो चिल्लाते हैं उनको आप मौका दे देते हैं।

श्री गोविन्द सिंह—

श्रीमन्, आपने इनको आज्ञा नहीं दी है फिर भी यह बोल रहे हैं ।

मान्यवर, मेरा यह सुझाव था कि.....

श्री भानुप्रताप सिंह—

श्रीमन्, मेरी व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर आप दिला दें । मैंने एक प्रश्न रखा, एक सुझाव रखा और आपने मुख्य मंत्री जी को बुला लिया । वे खड़े भी हो गये । इसके बाद दूसरे सदस्य खड़े हो गये तो उनको आपने बुला लिया, तो क्या आपके लिये यह उचित है कि मेरे प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व ही आप दूसरे सदस्य से सुझाव लेने लग जायं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर के बाद किसी सुझाव या प्रस्ताव की आवश्यकता ही न रहे ?

श्री उपाध्यक्ष—

हो सकता है कि इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा सुझाव आ जाय ।

श्री भानुप्रताप सिंह—

सभी सुझाव एक प्रकार के नहीं हो सकते हैं । हर सुझाव को अलग-अलग लेना चाहिये । जो सुझाव आवेगा उसका जवाब दिया जायेगा । जब अनेक प्रश्न पूछे गये तब तो आपने किसी को कुछ नहीं कहा और मैंने जरा सा प्रश्न किया था तो उसका उत्तर भी आप नहीं देने देते हैं । नेगी जी को आप अवश्य अवसर दें, और उनका भी सुझाव आ जायेगा लेकिन जब आपने एक बार मुख्य मंत्री जी को बुला लिया तो सदन के कार्य करने का जो ढंग है, जो परम्परा है, उसके अनुकूल यह नहीं है । जब मुख्य मंत्री जवाब देने के लिये खड़े हो गये तो उसके बाद फिर आपने एक दूसरे सदस्य को क्यों बुला लिया, केवल इतना ही मैं आपसे जानना चाहता हूं ।

श्री महीलाल—

यह अलग बात है कि हम विरोधी दल में बैठे हुए हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री सदन के नेता हैं । जब वे बोलने के लिये खड़े हो गये उसके बाद एक माननीय सदस्य खड़े हो गये, फिर आपने सदन के नेता से कह दिया कि आप बैठ जायं और माननीय सदस्य से कहा कि आप बोलें । इसी से अव्यवस्था बढ़ती जाती है और सदन का अधिक समय नष्ट होता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप नियमों का कठोरता से पालन करें और करावें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सही है ।

श्री धर्मवीर—

एक निश्चित सुझाव का निश्चित उत्तर आ जाय तो मामला सुलझ सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री भानुप्रताप सिंह ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर मैं कल अपना निर्णय दूंगा ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, मैं केवल इतन निवेदन करना चाहता हूं कि श्री भानु प्रताप सिंह ने एक सवाल उठाया जिसका जवाब नहीं दिया गया । जब माननीय मुख्य मंत्री खड़े हुए तब आपने एक दूसरे सदस्य को बुला लिया और अब आप कह रहे हैं कि इस पर कल व्यवस्था दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । जब यहां कार्य संचालन को नियमित करने के लि एक व्यवस्था मांगी गयी है तो उसके ऊपर मुझे सोचना पड़ेगा । आज कोई बात कही जाय और उसी का अनुसरण करने लग जायं, इसलिये मैंने यह बात कही ।

श्री भानुप्रताप सिंह—

जो व्यवस्था आप देंगे वह बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था होगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि यह बड़ी आवश्यक बात है । माननीय मुख्य मंत्री जी इसका एक हल निकालना चाहते थे, चूंकि उस हल को निकालने की कोशिश में वह असफल हुये क्योंकि एक संस्था कहती है कि मेरे प्रतिनिधि बुलाये जायं दूसरी संस्था कहती है कि मेरे प्रतिनिधि बुलाये जायं, तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रेस कमीशन ने कोई रिकमेंडेशन की है ? यदि की है, तो उन रिकमेंडेशस को लागू करने में मुख्य मंत्री को क्या आपत्ति होनी चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब हो गया है यह कोई सवाल नहीं उठता । एक प्रश्न माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने सुझाव के रूप में इस सदन के सम्मुख रखा है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

आपने तो कहा था कि इस पर कल व्यवस्था देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल दूसरी व्यवस्था देंगे । लेकिन जब यह सवाल खतम हो गया तो उसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी दे दें तो ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री महीलाल—

यह सदन की परम्परा रही है श्रीमान कि जब सदन का नेता खड़ा हो जाय तो दूसरे सदस्य को मौका नहीं दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, यह सदन की परम्परा रही है । मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसी कोशिश करेंगे कि मैं उसे निबाहूं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय नेगी जी ने जो कहा—उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि प्रेस कौंसिल की सिफारिश के मुताबिक कमेटी गठित कर दी गयी है जैसा कि वहां संतुति की गयी है । अब रहा यह कि माननीय भानु प्रताप सिंह ने एक प्रस्ताव किया है । तो उस प्रस्ताव में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं जरूर एक बार चेष्ठा करूंगा कि कोई रास्ता निकल आये और अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो सदन उस पर विचार कर ले । आप जो भी समय देंगे, विचार कर लिया जायेगा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

(श्री धर्मवीर द्वारा कुछ कहे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-सूची १०। अब तो दोनों बातें हो गयी हैं।

श्री धर्मवीर —

इसकी सूचना मुख्य मंत्री जी कब तक देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम आगे चलते हैं। मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि वे चेष्टा करेंगे। अगर चेष्टा करने में वे असफल होते हैं तो सदन के सम्मुख मामला आ जायेगा और बहस के लिए दो घन्टे—ढाई घन्टे समय दे दिया जायेगा।

ग्राम खुरमानपुर, जिला शाहजहांपुर में चरन सिंह तथा उसके साथियों द्वारा लूटमार के संबंध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री सुरेन्द्र बिक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं आज सदन के सम्मुख जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत है, एक ऐसा मामला रखना चाहता हूं। पुलिस विभाग में कितना भ्रष्टाचार है और किस तरह से पुलिस का एक दरोगा डकैतों से मिल कर बदमाशों को मदद देता है और भले आदमियों को हरेस करता है, इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करता हूं। उस दरोगा के खिलाफ बहुत ही शिकायतें मुख्य मंत्री जी तथा पुलिस कप्तान से की गयी हैं लेकिन वे सब उसी दरोगा के पास पहुंच जाती हैं। अब मैं घटना के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं।

१६-७-७० को ग्राम खुरमानपुर, थाना जैतीपुर में परशुराम का कतल हुआ था और उसके सम्बन्ध में दफा ३०२ आई० पी० सी० की रिपोर्ट दर्ज हुयी थी। २०-७-७० को बुद्धपाल सिंह वगैरह ए० डी० एम० (जे०) की अदालत में हाजिर हो गये थे। इन लोगों को जेल भेज दिया गया और उनके परिवार में महिलाओं को छोड़कर कोई नहीं बचा था। चरण सिंह हिस्ट्री शीटर है और वह फरीदपुर, फतेहगंज, कटरा और तिलहर के कैसेज में वान्टेड है। राज्य मंत्री जी जानते होंगे। यह शख्स दफा ३९९/४०२ में थाने तिलहर से भागा हुआ है। बुद्धपाल सिंह की स्थिति यह है कि उसके पास २५० बीघा जमीन है और उसका दुमंजिला मकान पक्का है। उसका सब कुछ लूट लिया गया। वहां पर श्यामसिंह नामक एक दरोगा था। उसको हटाया गया और दीक्षित को वहां तैनात किया गया। चौधरी चरण सिंह जी कह रहे थे कि यह पालिटिकल करप्शन है। उन लोगों का सब गल्ला ले लिया, चारपाई, पलंग सब गायब हो गये। इस सम्बन्ध में अनेक प्रार्थना-पत्र पुलिस कप्तान शाहजहांपुर को दिये, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां पर श्री पाराशर, डी० एस० पी० थे और श्री श्याम लाल, एस० पी० थे। उनसे भी कहा गया। एक मर्तबा नहीं बल्कि तीन मर्तबा लूट हुयी। पुलिस कप्तान, डी० आई० जी०, आई० जी०, सबको लिखकर दिया गया। इतना ही नहीं श्री केशव सिंह, एम० एल० ए० और श्री लाल सिंह सिंह, बी० के० डी० वर्कर ने भी दरख्वास्तें दीं उस भ्रष्ट दरोगा के खिलाफ। थाना सदर बाजार में भी ३९५/३९७ की रिपोर्ट लिखायी गयी। दफा ३९२ की रिपोर्ट थाना जैतीपुर में लिखायी गयी। हुआ कुछ नहीं और जो गवाह थे उनके भी बयान हलफी दरोगा दीक्षित ने दिलवा दिये। मैंने एसेम्बली में भी प्रश्न किया था।

अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई और यह करने वाला वही दरोगा दीक्षित है। आज भी हाल यह है कि एक धोबी का कतल कर दिया गया है और उसके पार्टी के आदमी पर दावा भी किया गया है। इस तरह से थाना जैतीपुर में गड़बड़ी चल रही है। राजाराम, निवासी महमुदपुर ने एक गिरोह पकड़ा लल्लू सिंह आदि को, उसमें से चरनसिंह को दारोगा ने छोड़ दिया कि चरन सिंह आया हुआ है उससे तीन बन्दूकें बरामद कर ली गई हैं। यह ११ जून का वाकया है।

श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली)—

कोरम नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

इसमें कोरम की बात नहीं होती है, इसमें तो पोलीटिकल करप्शन की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम की बात होती तो है। घन्टी बजाई जाय।

(घंटी बजायी गयी)

श्री बन्शीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

इसको कल के लिये कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

घन्टी बज रही है इसलिये जब कोरम पूरा हो जाय तभी शरू किया जायगा।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

अध्यक्ष महोदय, कल के लिये रख दें।

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम नहीं है इसलिये कोई कार्यवाही नहीं होगी।

श्री बन्शीधर पांडेय—

कल के लिये रख दें।

श्री उपाध्यक्ष—

वह भी नहीं कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

नियम ४९ में बड़ी मुश्किल से आप मन्जूर करते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल ११ बजे तक के लिये।

(इसके बाद सदन ६ बजकर २५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थागंत हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२७ जुलाई, १९७१।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१ पर]

सूची 'क'

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	निलम्बित होने की तिथि	बहाल होने की तिथि	समय	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७
१	श्री विजिन गुप्ता	ओवरसियर	२–१२–६८	..	..	अभी मुअत्तल चल रहे हैं। इन्हें शासकीय आदेश सं० ४३००बी/२/११-ए-२३७०(१८)/६८, दिनांक २९–११–६८ के द्वारा निलंबित किया गया था।
२	श्री फरीद उद्दीन	.इवर	७–३–७१	१४–४–७१	१ माह ९ दिन	
३	श्री सुशील कुमार अग्रवाल	लिपिक	२०–८–७०	..	..	इनका मामला पुलिस की जांच में चल रहा है।
४	श्री ओम प्रकाश शर्मा	लिपिक	२६–३–६८	..	२ वर्ष ११ माह २७ दिन	२३–३–७१ को सेवायें मुक्त कर दी गयीं।
५	श्री शहजाद अली	टैक्स कलेक्टर	२२–२–७१	२८–५–७१	३ माह ६ दिन	
६	श्री आगा सरवर	प्लान लिपिक	९–२–७१	..	..	अब भी मुअत्तल चल रहे हैं।
७	श्री राजाराम शर्मा	लिपिक	१३–७–६८	१४–८–६९	१ वर्ष १ माह	
८	श्री राजाराम शर्मा	लिपिक	२५–४–७०	६–८–७०	३ माह ११ दिन	
९	श्री राजाराम शर्मा	लिपिक	३–१२–७०	८–१–७१	१ माह ७ दिन	
१०	श्री जयराम	लेम्प लाइटर	२६–९–६६	७–३–६७	५ माह ११ दिन	
११	श्री जयराम	,,	१३–१–६९	मृत्यु		
१२	श्री अमर सिंह	,,	२३–३–६८	१–३–६९	११ माह ८ दिन	
१३	श्री कल्लू	,,	१८–३–६९	१४–४–६९	२७ दिन	
१४	श्री अम्बे	,,	१८–३–६९	१४–४–६९	२७ दिन	

विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७
१५	श्री मिट्ठन	लेम्प लाइटर	१८–३–६९	१४–४–६९	२७ दिन	
१६	श्री राम प्रसाद	,,	४–२–७०	५–३–७०	२९ दिन	
१७	श्री प्रकाश	,,	१४–९–७०	३०–११–७०	२ माह २७ दिन	
१८	श्री गवर सिंह	,,	१५–९–७०	२८–१०–७०	१ माह ३ दिन	
१९	श्री जयनन्दन प्रसाद	मोहर्रिर	३०–२–६६	१८–१–६७	२७ दिन	
			२३–७–६७	१–८–६८		
२०	श्री राम चरन लाल जैन	मोहर्रिर	१५–१२–६६	४–१–६७	१८ दिन	
२१	श्री श्यामलाल,	चपरासी	१–१–६७	४–१–६७	३ दिन	
२२	श्री जुलफेकार हुसेन	चपरासी	२४–१–६७	११–२–६७	१६ दिन	
२३	श्री अब्दुल रहमान	,,	१६–१–६७	२३–७–६७	६ माह ८ दिन	
२४	श्री फरजन्द अली	,,	१–१–६७	३–१–६७	२ दिन	
२५	श्री मसऊदुल हसन	,,	१–१–६७	३–१–६७	२ दिन	
२६	श्री अच्छन खां	,,	११–२–६७	१–३–६७	१८ दिन	
२७	श्री रिफाकत अली	,,	२४–४–६७	२७–४–६७	३ दिन	
२८	श्री मोहम्मद यामीन	,,	१–५–६७	२०–५–६७	१९ दिन	
२९	श्री फखजरुल जमा बेग	मोहर्रिर	२५–९–६७	७–११–६७	१ माह ११ दिन	
३०	श्री मंजूर अली	चपरासी	३–९–६७	१९–१०–६७	१ माह १७ दिन	
३१	हब्बन यार खां	,,	२५–६–६७	८–११–६७	४ माह १३ दिन	
३२	रजब अली	,,	२५–९–६७	९–११–६७	१ माह १३ दिन	
३३	राम किशोर गुप्ता	,,	१–१२–६७	६–१२–६७	५ दिन	
३४	ज्वाला प्रसाद	मोहर्रिर	९–१–६८	२६–१–६९	१ वर्ष १६ दिन	
३५	श्री शराफत अली	चपरासी	९–४–६८	३०–८–६८	४ माह २१ दिन	
३६	श्री बाबूराम..	,,	९–४–६८	३०–८–६८	४ माह २१ दिन	
३७	श्री राशिद अली खां	टैक्स कलेक्टर	८–१–६८	२५–५–६८	४ माह १४ दिन	
३८	श्री बन्ने मियां	चपरासी	९–७–६८	१०–७–६८	१ दिन	
३९	श्री रामकुमार गुप्ता	,,	१५–५–६८	..	..	सेवायें समाप्त कर दी गयीं।
४०	श्री राम खिलौना	,,	१९–३–६८	५–५–६८	१ माह १६ दिन	
४१	श्री बदलू राम	,,	१९–४–६८	३०–८–६८	६ माह २२ दिन	
			१४–२–७०	२७–४–७०		
४२	श्री अजीजउद्दीन	,,	४–६–६८	३०–८–६८	२ माह २६ दिन	
४३	अख्तर हुसेन	,,	१७–१२–६८	२५–३–६९	३ माह ८ दिन	
४४	भी मुरसलीन खां	,,	१७–१२–६८	२५–४–६९	३ माह ८ दिन	
			१०–९–६९	११–९–६९	१ दिन	
४५	श्री यदुदेव शर्मा	,,	१६–९–६९	१–१०–६९	१५ दिन	

१	२	३	४	५	६	७
४६	श्री जाहिद अली	चपरासी	१६–६–६९ १०–९–६९	२४–६–६९ ११–९–६९	१० दिन	
४७	श्री ननकू सिंह	,,	१०–९–६९	११–९–६९	१ दिन	
४८	श्री नवाब दुल्हा	,,	१६–६–६९	८–८–६९	१ माह १२ दिन	
४९	श्री राम प्रसाद	,,	२६–६–६९	८–८–६९	१ माह १२ दिन	
५०	श्री गिरीश चन्द्र	,,	१०–९–६९ २८–३–७१	१–१०–६९ २९–४–७१	२ माह १ दिन	
५१	श्री मोहम्मद जाफर	नायब मोहर्रिर	९–१२–६९	१०–१२–६९	१ दिन	
५२	श्री ज्वाला प्रसाद	मोहर्रिर	७–४–७०	२९–७–७०	३ माह २२ दिन	
५३	श्री यदुदेव शर्मा	चपरासी	७–४–७०	१–८–७०	३ माह २५ दिन	
५४	श्री राम किशन दिवाकर	चपरासी	२३–५–७०	२६–६–७०	१ माह ३ दिन	
५५	श्री लड्डन खां	मुहर्रिर	६–७–७०	८–८–७०	१ माह २ दिन	
५६	श्री प्रभात कुमार	,,	१६–७–७०	८–९–७०	१ माह २२ दिन	
५७	श्री नवाब जान	मुहर्रिर	४–८–७०	१३–१०–७०	२ माह ९ दिन	
५८	श्री जुल्फेकार हुसेन	चपरासी	१९–८–७०	२२–८–७०	४ दिन	
५९	श्री शमशाद हुसेन	मुहर्रिर	१७–९–७०	२१–९–७०	४ दिन	
६०	श्री रामकिशन दिवाकर	,,	२५–१–७१	..	..	निलम्बित चल रहे हैं।
६१	श्री यदुदेव शर्मा	चपरासी	२५–१–७१	..	..	निलम्बित चल रहे हैं।
६२	श्री गिरीश चन्द्र गुप्ता	चपरासी	१८–३–७१	२९–४–७१	१ माह ११ दिन	
६३	श्री शफी हैदर	,,	२२–४–७१	२४–४–७१	२ दिन	
६४	श्री ओमकार नरायन	मुहर्रिर	१४–२–७०	२६–४–७०	२ माह १३ दिन	
६५	श्री अब्दुल गफूर	,,	१४–२–७०	२६–४–७०	२ माह १३ दिन	
६६	श्री इसाम अली	चपरासी	१४–२–७०	२६–४–७०	२ माह १३ दिन	
६७	श्री मंजूर हुसेन	टैक्स कलेक्टर	२२–१२–६९	१८–३–७०	२ माह २२ दिन	
६८	श्री मुमताज हुसेन	लिपिक	१२–६–६८	२८–१०–६८	४ माह १६ दिन	
६९	श्री शरीक हुसेन	लिपिक	१६–९–७०	२५–३–७१	५ माह ९ दिन	
७०	श्री सुशील कुमार	,,	२४–९–६८	२२–१–६९	३ माह २८ दिन	
७१	श्री कृष्ण गोपाल	,,	१–१–६८	१३–३–६८	२ माह १२ दिन	
७२	श्री जयपाल सिंह	अध्यापक	२७–९–६८	६–१२–६८	२ माह ९ दिन	
७३	श्री हर प्रसाद	चपरासी	६–२–७०	३–४–७०	२ माह २८ दिन	
७४	श्री राम प्रसाद	,,	३०–३–७०	२९–५–७०	१ माह २९ दिन	
७५	श्री नेतराम	,,	२८–४–७०	१८–१२–७०	८ माह २० दिन	
७६	श्री घासीराम	,,	२२–५–६८	२८–८–६८	३ माह ६ दिन	
७७	श्री शब्बीर अहमद	,,	१३–७–६८	३०–८–६८	१ माह १७ दिन	
७८	श्री रज्जू ..	,,	२०–११–७०	२२–३–७१	४ माह २ दिन	
७९	श्री छोटेलाल	,,	३–१२–७०	२३–३–७१	३ माह २० दिन	
८०	श्री नन्हे ..	,,	३१–७–६८	२६–८–६८	२६ दिन	

१	१	३	४	५	६	७
८१	श्री शिव चरन लाल	क्लर्क	४–५–६६	१६–१–६७	८ माह १४ दिन	
८२	श्री बाल मुकुन्द	चपरासी	२९–३–७०	१२–८–७०	४ माह १५ दिन	
८३	श्री मुन्नू खां ..	क्लीनर	६–९–७०	२६–४–७१	७ माह १० दिन	
८४	श्री एम० जी० एमार्ट	हेड फिटर	७–१०–६७	३०–४–६८	६ माह २२ दिन	
८५	श्री जफर हुसेन	जमादार	१७–६–७०	२३–७–७०	१ माह ६ दिन	
८६	श्री स्वरूप मसीह	,,	७–८–७०	२५–८–७०	१९ दिन	
८७	श्री मंगल सिंह	,,	२३–७–७०	१०–९–७०	१ माह १८ दिन	
८८	श्री रियायतउल्ला	,,	२५–७–७०	११–८–७०	१८ दिन	
८९	श्री बाबूराम गुप्ता	प्रधान लिपिक	५–४–७०	३–१०–७०	६ माह	
९०	श्री नजाकत हुसेन	लिपिक	३–१२–६५	१२–३–६८	२७ माह ७ दिन	
९१	श्री सादिक हुसेन	चपरासी	१०–८–६७	२६–८–६७	१६ दिन	
९२	श्री मुबीन उद्दीन	,,	९–४–६८	२५–४–६८	१६ दिन	

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१ पर]

सूची 'ख'

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	वर्तमान स्थिति
१	श्री विजिन गुप्ता	ओवरसियर	इनको नगरपालिका (क) विभाग राजाज्ञा संख्या ४३००-बी (२)/११-क-२३७(१८)/६८, दिनांक २९ नवम्बर, १९६८ के द्वारा निलम्बित किया गया था। इनका मामला अभी विचाराधीन है।
२	श्री सुशील कुमार अग्रवाल	लिपिक	इनके विरुद्ध जो आरोप लगाये गये थे उस विषय में केस पुलिस को सौंप दिया गया और अभी तक जांच में है।
३	श्री आगा सरवर	प्लान लिपिक	इनके द्वारा अभी तक आरोप पत्र का उत्तर नहीं दिया गया है।
४	श्री रामकिशन दिवाकर	मुहर्रिर	४ जून, १९७१ को दिये गये उनके स्पष्टीकरण पर अन्तिम आदेश जारी किये जा रहे हैं।
५	श्री यदुदेव शर्मा	चपरासी	४ जून, १९७१ को दिये गये उनके स्पष्टीकरण पर अन्तिम आदेश जारी किये जा रहे हैं।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१ पर)

१—धौराखेड़ा
२—हीरा गंजर
३—दरी शिवदत्तपुर
४—सुनालपुर
५—नरीपुर
६—पश्तावंगर
७—बदमपुर विदालिया
८—जैपुर बीसा
९—सूफी भगवानपुर
१०—जौतपुर खोम
११—दुर्गा भगवानपुर
१२—पदलीपुर
१३—अर्जुनपुर (जीगगढ़)
१४—हरीरामपुर तुलाराम
१५—हरीपुर परमानन्द
१६—कोढ़ीखाना हास्पिटल
१७—हरीपुर विशनदत्त
१८—हाथिनखाल
१९—बुकुलिया
२०—विशनपुर बकुलिया
२१—भवानीपुर हर्रासिह
२२—भवानीपुर किराना
२३—दुर्गापालपुर
२४—भवानीपुर निबार
२५—हिम्मतपुर
२६—नत्थूपुर
२७—विजवालपुर
२८—हरीपुर लालमनी
२९—बारी पोखरा
३०—किशनपुर घुड़दौड़ा
३१—हरीपुर रतन सिंह
३२—हरीपुर कुटकुवा
३३—देवलचौड़
३४—चांदनी चौक घुड़दौरा
३५—चांदनी चौक भगीरथ
३६—हरीपुर मोतिया
३७—फूल चोड़
३८—चांदनी चौक तिला
३९—हरीपुर जमन सिंह
४०—हल्दमोखरा दरमवाल
४१—चांदनी चौक बलूटिया
४२—चांदनी चौक खनगुड़ी
४३—चांदनी चौक गढ़वाल
४४—हल्दू पोखरा नायक
४५—धनपुरी
४६—हरीपुर कनधर सिंह
४७—गुंसाइंपुर
४८—आनन्दपुर
४९—पांडेनियार
५०—पुरनपुर

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२२ पर)

तालिका

क्रय की गई दवाइयों तथा अन्य सामग्री पर किया गया व्यय

क्रम-संख्या	फर्म का नाम	वर्ष	टेन्डर द्वारा धनराशि रु० पै०	कुटेशन द्वारा धनराशि रु० पै०	योग धनराशि रु० पै०
१	२	३	४	५	६
१	मेसर्स आल इन वन ट्रेडर्स, लखनऊ ।	१९६८–६९	..	..	..
		१९६९–७०	८,१३१.९५	३,३५८.५०	११,४९०.४५
		१९७०–७१	९,१७२.४७	..	९,१७२.४७
२	मेसर्स जी० सी० खंडेलवाल ऐण्ड कम्पनी, लखनऊ ।	१९६८–६९	१२,१७८.९३	..	१२,१७८.९३
		१९६९–७०	१३,१८९.८८	..	१३,१८९.८८
		१९७०–७१	६,२८३.६७	..	६,२८३.६७

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२४ पर)

१९६७–६८ से १९७०–७१ तक ऐच्छिक संस्थाओं की सूची जिन्हें परिवार-नियोजन कार्य के लिए अनुदान दिया गया

ऐच्छिक संस्थाओं के नाम	अनुदान की धनराशि			
	१९६७–६८	१९६८–६९	१९६९–७०	१९७०–७१
	रु०	रु०	रु०	रु०
१—महिला सहायक संघ, लखनऊ ..	२६,३२५	२१,३४४	२४,८१६	२६,१४१
२—हरभजराम कृपा देवी ट्रस्ट, लखनऊ ..	१७,६८४	१९,१३६	२०,३१२	२२,१६५
३—चीफ खालसा गुरु नानक फ़्री अस्पताल, कानपुर ..	२५,१२१	२५,८६५	२७,१७३	२६,५६४
४—धमार्थ बाल चिकित्सालय, कानपुर ..	८,२२५	१९,८७४	१९,३७६	१७,५१०
५—इंडियन मेडिकल एसोसियेशन, कानपुर ..	५,८४०	८,८६७	९,५८८	१०,०००
६—काशी विद्यापीठ, वाराणसी	९,२८५	१८,३२१	२१,८०९	२१,३८२
७—कालिज आफ मेडिकल साइंस, बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी, वाराणसी ..	१५,४४८	१४,३४४	३९,९६८	१९,५२०
८—एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, नैनी, इलाहाबाद ..	६,९२९	१५,२९३	१६,५५८	१३,१४७
९—ईश्वर सरन आश्रम, इलाहाबाद ..	२२,८८५	१८,८५१	१८,५२१	१९,२३५
१०—कमला नेहरू मेडिकल अस्पताल, इलाहाबाद	२५,३५३	१६,५४१	..	..
११—मैक्लारेन लेप्रेसी अस्पताल, देहरादून ..	१०,५४५	९,५९१	..	..
१२—हिन्दी भवन महिला प्रकाश केन्द्र, कानपुर ..	१७,०८८	९,४१८	३,४९०	..
१३—इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन, इलाहाबादा ..	४,१८६	..	..	..
१४—इन्डियन रेड क्रास सोसाइटी, लखनऊ—				
(९ केन्द्र) ..	१,६३,९७६	२,४१,८२५	१,६५,१६५	१,८३,८१४
(वासेक्टोमी केन्द्र) ..	३१,०९५	२१,६६१	८,७७२	१,१८५
(स्टर्लिडी केन्द्र, ..	३,४९४	८,४५२	३३,०९२	२२,६३६

ऐच्छिक संस्थाओं के नाम	अनुदान की धनराशि			
	१९६७–६८	१९६८–६९	१९६९–७०	१९७०–७१
१५—फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन, लखनऊ ..	..	१५,८३१	२१,४२६	२१,४६०
१६—इन्डियन मेडिकल एसोसिएशन, वाराणसी ..	..	१८,०६७	२१,३०८	१२,००५
१७—इन्डियन रेड क्रास सोसाइटी, सहारनपुर ..	..	९,४२८	..	१४,९०८
१८—उत्तर प्रदेश, कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर ..	..	२,४१८	१,२१०	४,०५८
१९—आल इन्डिया विमेन्स, कान्फ्रेंस, लखनऊ ..	..	..	१५,१८४	९,४०२
२०—हिन्द कुष्ट निवारण संघ, लखनऊ ..	..	..	९,६०३	८,९९०
२१—आल इन्डिया विमेन्स कान्फ्रेंस, इलाहाबाद ..	..	६,२२९	६,२२९	..
२२—के० के० जैन प्रसूतिका गृह, अलीगढ़ ..	..	..	१९,४६८	..
२३—क्लारा स्वेन मिशन, अस्पताल, बरेली ..	..	..	..	१७,७२७
२४—श्री राम किशन सेवाश्रम, लखनऊ ..	..	..	..	२,२००

नत्थी 'च'

(देखिए तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२६ पर)

सन् १९७०–७१ में जिला उन्नाव के सरकारी अस्पतालों को भवन निर्माण तथा दवाइयों के लिए दी गई धनराशियों का विवरण

चिकित्सालय का नाम	भवन निर्माण के लिए	औषधियों के लिए
	रु०	रु०
१—जिला अस्पताल, उन्नाव	४,०००	५६,८५०
२—एल० पी० डब्लू० हास्पिटल ..	२,२१३ (सेनेट्री लैट्रिन हेतु)	२२,०००
३—आर० एस० एस० मौरावां ..	१२,८०० (विद्युतीकरण)	३,५००
४—आर० एस० महिला चिकित्सालय, मौरावां	६,८५०	३,५००
५—बांगरमऊ पुरुष चिकित्सालय ..	५,८००	३,५००
६—बांगरमऊ महिला चिकित्सालय ..	..	३,५००
७—मारोखेरा	..	३,५००
८—शुक्लागंज	..	३,५००
९—भगवन्तनगर	..	३,५००
१०—पिंडरी कलां	..	१३,०००
११—सिकन्दरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ..	..	५,२५०
१२—बिछिया ,, ,, ,, ..	..	५,२५०
१३—अचलगंज ,, ,, ,, ..	..	५,२५०
१४—पुरवा ,, ,, ,, ..	..	४,५००
१५—बीघापुर ,, ,, ,, ..	५,५००	५,२५०
१६—सुमेरपुर ,, ,, ,, ..	५,५००	५,२५०
१७—हिऊली ,, ,, ,, ..	..	५,२५०
१८—असोहा ,, ,, ,, ..	..	५,२५०
१९—सबीपुर ,, ,, ,, ..	४५,०००	५,२५०
२०—फतेहपुर चौरासी,, ,, ,, ..	..	५,२५०
२१—गंज मुरादाबाद ,, ,, ,, ..	..	५,२५०
२२—हसनगंज ,, ,, ,, ..	..	५,२५०
२३—नवाबगंज ,, ,, ,, ..	..	५,२५०
२४—मियांगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ..	..	५,२५०
२५—औरास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ..	५,५०० (इस केन्द्र का अपना भवन न होने के कारण धन वापस कर दिया गया ।)	५,२५०
योग ..	९३,१६३	१,९४,३५०

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १३० एल० ए०—१९७२—८ ५ ।